प्रस्तावना

स्वास्थ्य एक ऐसा मुद्दा है जिससे हर व्यक्ति का सीधा संबंध है लेकिन फिर भी बेहतर स्वास्थ्य की इस मुहिम में सभी को एक साथ लाना एक बड़ी चुनौती है। बेहतर स्वास्थ्य को सामुदायिक जिम्मेदारी बनाना आज भी एक बडे लक्ष्य के रूप में हमारे सामने हैं ऐसा नहीं है कि स्वास्थ्य के स्तर पर कोई परिवर्तन नजर नहीं आ रहा है या समाज में जागरूकता नजर नहीं आ रही है, लेकिन इन प्रयासों को और गति देने की आवश्यकता है क्योंकि निरंतर व लम्बे प्रयासों से ही बड़े परिणामों की दिश में पहुॅचा जा सकता है।

राज्य में स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर बन सकें, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य के संबंध में जागरूकता बढ़े, इसके लिए स्वास्थ्य से जुडी समितियों 'ग्राम स्वराज' के तहत बनी ग्राम स्वास्थ्य समिति को मजबूत करने की योजना बनायी गयी है। ग्राम स्वास्थ्य समिति के स्तर पर जागरूकता लाने का सीधा सा उद्देश्य यह है कि अब गांव में स्वास्थ्य के सभी काम स्वास्थ्य समिति को करने है और यदि समिति को स्वास्थ्य के काम करने के लिए सक्षम बना दिया जाये तो गांवों में बेहतर स्वास्थ्य की कल्पना को साकार रूप दिया जा सकेगा।

ग्राम स्वास्थ्य समिति को मजबूत करने के लिए प्रत्येक ग्राम स्वास्थ्य समिति व एक सदस्य के लिये दो दिवसीय प्रशिक्षण किया जाना तय किया गया है। इन प्रशिक्षणों का प्रमुख उद्देश्य के मुद्दों पर संवेदनशील करना व व्यवस्थित नियोजन के लिए तैयार करना है। ग्राम स्वास्थ्य समिति को प्रशिक्षण देने के लिये प्रशिक्षक देने के लिये प्रशिक्षक दल को तैयार करना भी तय किया गया है जिसके लिए राज्य व जिले स्तर पर स्वास्थ्य पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण किया जायेगा। जिले के स्वास्थ्य व अन्य विभागों के प्रभावी प्रशिक्षकों को चुनकर उनको तीन दिवसीय प्रशिक्षण दिया जायेगा। ये प्रशिक्षक विकासखण्ड स्तर के चुने हुए प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण करेंगें। विकासखण्ड स्तर पर तैयार यह प्रशिक्षक ग्राम स्वास्थ्य समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण करेंगें।

प्रशिक्षण में उपयोग के लिये अलग–अलग स्तर को ध्यान में रखते हुए सन्दर्भ सामग्री का निर्माण किया जा रहा है। प्रस्तुत मार्गदर्शिका प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए तैयार की गई हैं जिससे प्रशिक्षण को प्रभावी बनाया जा सकें।

पंचायत की स्वास्थ्य कहानी
गीता और रमा जुबानी

दो सहेलिया हैं गीता और रमा। दोनों ही सीहोर के गांव बरखेड़ी कला में रहती हैं। दोनों में बहुत गहरी दोस्ती है। गीता का मायका सीहोर की राजूखेड़ी पंचायत में और रमा का बैतूल जिले के भीमपुर ब्लॉक में। गीता जब–जब अपने मायके से आती है तो वहां के गुण–गान करती रहती है। कहती है हमारी पंचायत में सब कुछ ठीक चलता है। पानी लेने के लिये लम्बा रास्ता तय करके नहीं जाना पड़ता, अपने घर में ही नल का कनेक्शन है। हमारे यहां सभी बच्चों को स्कूल में बढ़िया पका खाना मिलता है। यही नहीं गांव की आंगनवाड़ी और बालवाडी रोज खुलती है। रमा को सुनकर बहुत दुःख होता है उसका गांव भी राजूखेड़ी जितना ही बड़ा है लेकिन बरसात के चार महीने में तो रमा को भी कभी मायके जाने का मन नहीं करता। इतना कीचड़ हो जाता है कि चलने का रास्ता दिखता ही नहीं। उसका भतीजा अक्सर बीमार रहता हैं। तब से उसके भाई का भी स्वास्थ्य अक्सर खराब ही रहता है। वह कई बार सोचती है कि एक ही राज्य के दो बराबर के गांव में कैसे इतना अन्तर हो सकता है। एक गांव में इतनी गन्दगी, पानी की कमी, कीचड़, मच्छर तो है हीं साथ में ए.एन.एम तो उसने आज तक कभी देखी ही नहीं। दूसरी तरफ कैसे गीता का गांव इतना साफ रहता है। वहां आंगनवाड़ी रोज क्यों खुलती है जब हमारे गांव में महीने में दो–चार बार भी नहीं खुलती। स्कूल में बच्चों को खाना तो मिलता है लेकिन अक्सर इतना खराब होता है कि बच्चे खाते ही नहीं ।

एक दिन रमा घर में खाना बना रही थी कि गीता के देवर के मोबाइल पर रमा के मायके से फोन आया । रमा बहुत खुश हो गयी, खाना बनाने के लिये अपनी ननद को बिठाकर जल्दी से फोन पर बात करने लगी। लेकिन फोन हाथ में लेते ही रमा दुःख से रोने लगी। फोन पर सन्देशा था कि उसकी भाभी बेटी को जन्म देते हुये स्वर्ग सिधार गयी और नई जन्मी बेटी की हालत नाजुक है। कुछ लोग बच्चे को लेकर अस्पताल गये हैं उसे तुरन्त मायके में बुलाया है। सन्देशा सुनते ही रमा ने घर आकर कपड़े बांधे और अपने मायके के लिये निकल गयी।

करीब एक महीने के बाद रमा वापस आयी इस बार रमा बहुत ही दुःखी थी। अपने गांव की हालत देखकर उसे बहुत अफसोस हो रहा था सिर्फ उसकी भाभी ही नहीं उसकी बचपन की सहेली भी जब पिछले माह प्रसव के लिये अपने मायके आयी थी तो प्रसव के दौरान उसका देहांत हो गया था। गांव में राशन की दुकान में एकदम मनमानी चल रही थी । अधिकतर बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। उसका भतीजा मनीष भी अक्सर स्कूल जाने से आना–कानी करता रहता था। उसने मनीष को समझाने की कोशिश करी तो वह बोला कि उसकी मास्टरनी जी बैतूल शहर में रहती हैं सप्ताह में दो–तीन दिन ही स्कूल आती हैं। यदि आती है ंतो पढ़ाती कम है और डांटती ज्यादा, इसलिये वह इस स्कूल में अब नहीं पढ़ेगा। अपने भतीजे की बात सुनकर रमा ने अपने भाई से कहकर भतीजे का नाम गांव में चल रहे सिण्ड्रेला कान्वेंट स्कूल में लिखवा दिया। लेकिन यह स्कूल भी सरकारी स्कूल जैसा ही था, अध्यापिका खुद ही सिर्फ 12वीं पास थी।

उसका मन कर रहा था कि वह अपने गांव को बदल डाले, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि यह कैसे हो सकेगा। उसने सोचा कि वह इस बारे में गीता से बात करेगी। वह पूछेगी कि कैसे गीता का गांव इतना अच्छा है।

शाम को दोनों सहेलियां मन्दिर जा रही थीं और रमा अपना दुःख गीता को बताने लगी और उसने गीता से पूछा कि मेरे मायके में जहां हर तरफ बीमारी है, गन्दगी है वहीं तुम्हारे मायके में सब अच्छा है, ऐसा क्यों है ? क्यों

भगवान उसके गांव से बदला ले रहे हैं ? सुनकर गीता बोली हमारे गांव में भगवान की तो कृपा है ही लेकिन साथ में पंच परमेश्वर की भी। हमारे गांव की पंचायत बहुत अच्छी है और अगर कभी कोई गलत काम करने की कोशिश भी करे तो गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं, न सरपंच अपनी मनमानी कर पाता है न कोई ओर। वैसे तो हमारे सरपंच जी अच्छे भी बहुत हैं और साफ–सफाई और स्वास्थ्य को लेकर तो उनकी चिन्ता ज्यादा ही है। वह कहते हैं कि गांव का आदमी कर्जा दो टाइम पर लेता है या तो खेती में कोई बड़ी आफत आ जाये या बीमार हो जाये। उन्होंने कहा है कि वह कोशिश करेंगे कि गांव का कोई आदमी बीमारी में कर्ज नहीं ले।

हमारी पंचायत गांव में लोग कम बीमार पड़े इसके लिये पूरी कोशिश कर रही है।

यह सुनकर रमा ने कहा – भला पंचायत इसमें क्या कर सकती है ? बीमारी से पंचायत का क्या वास्ता ?

गीता बोली – अरे पंचायत को तो सीधा वास्ता है बीमारी से। अगर पंचायत और लोग मिलकर अच्छे से काम करेंगे तो लोगों का स्वास्थ्य बहुत बेहतर हो सकता है जैसा हमारे गांव में हो रहा है। हमारी सरकार ने भी पंचायत को स्वास्थ्य में कई जिम्मेदारियां दी हैं।

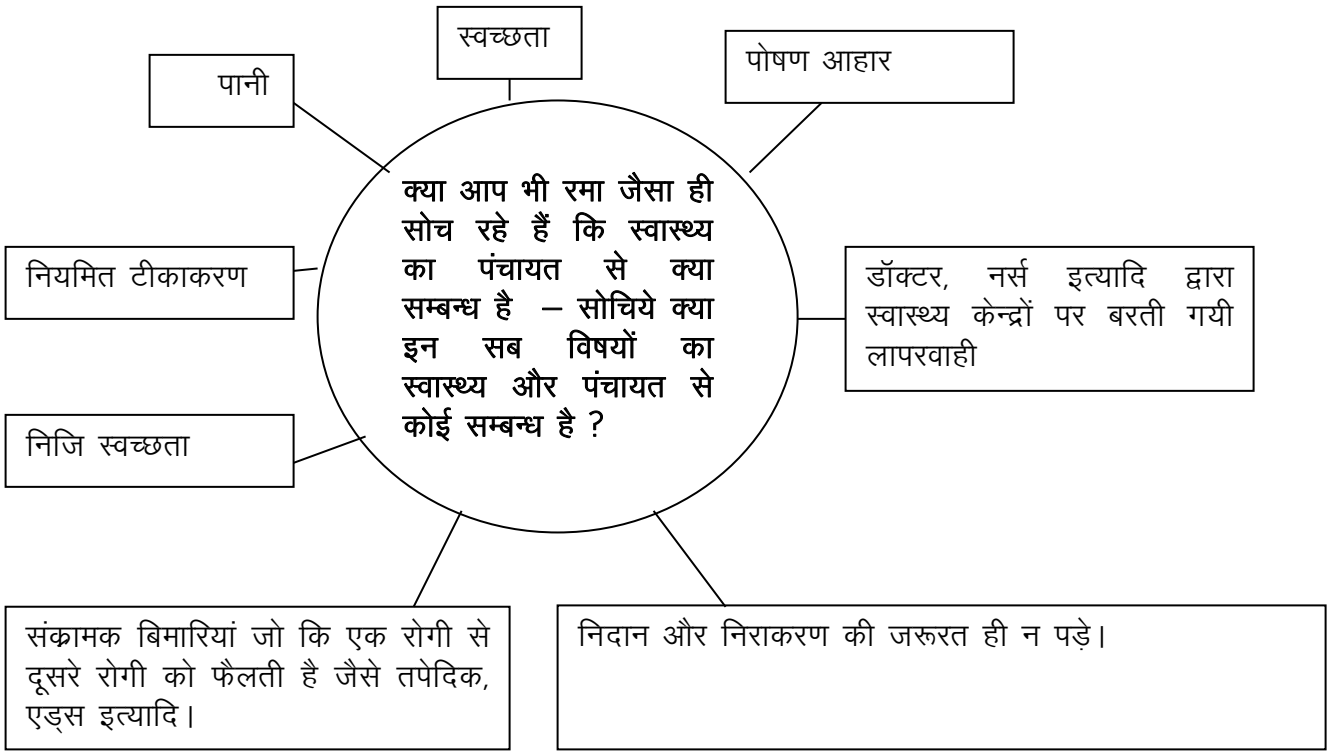

रमा : ठीक है गीता तुमने हमें स्वास्थ्य से जुड़ी खूब सारी बातें बताई लेकिल अब तुम हमें विस्तार से सिलसिलेवार बताओ। जैसे पंचायतों से जुड़ी खास बातें क्या है, पंचायत स्वास्थ्य की योजना कैसे बनाती है, काम करने की किन लोगों की जिम्मेदारी है, स्वास्थ्य की कौन सी योजनायें और कार्यक्रम हैं इनका लाभ कौन ले सकता है और कैसे ले सकता है, पंचायत अपने कामों की निगरानी कैसे करता है ?

गीता : अच्छा तुम तो इतना कुछ जानना चाहती हो, तो सुनों हम तुम्हें एक–एक करके बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पंचायत की पहले पाठ में, फिर बात करते हैं पंचायत की भूमिका की दूसरे पाठ में, फिर बात करते हैं योजना और निगरानी की तीसरे पाठ में, फिर बात करते हैं स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाओं और काम करने वालों की चौथे पाठ में। अब लेकिन ध्यान रखना इतना सब पढ़ना पड़ेगा तो शुरू करो, पलटो पेज.....

अध्याय –1
स्वास्थ्य से जुड़े पंचायत एवं ग्राम सभा के काम एवं जिम्मेदारियां

1. क्या बना पचायत

राष्ट्र पिता महात्मा गांधी ने आजाद भारत में पंचायतों के जरिये ग्राम स्वराज लाने की कल्पना की थी। ''उन्होंने कहा था गांव के बगैर देश की कल्पना नहीं की जा सकती।'' गांधी जी के सपने को इस व्यवस्था ने साकार किया है। भारत में पंचायत की प्रथा सदियों पुरानी है। इस व्यवस्था का मतलब था आम आदमी को आसानी से और समय प

न्याय मिल सके। ऐसा न्याय जिसमें किसी के साथ पक्षपात नहीं हो। जो अमीर और गरीब सबके लिये बराबर हो।

भारत में प्रथा यही रही है कि न्याय के सभी मामलों को पंचायत में उठाया जाता था। पंचायत बुलाई जाती थी। न्याय करने योग्य 5 पंच चुने जाते थे। इन पंचों को परमेश्वर माना जाता था। लोगों का इन पंच परमेश्वरों पर अटूट भरोसा था। गांव के छोटे बड़े सभी झगड़ों को निपटाने का सारा काम गांव की सार्वजनिक या जाति पंचायतों में सुलझा लिया जाता था। लोग गांव से बाहर न्याय मांगने नहीं जाते थे।

इसीलिए आजादी के बाद एक बार फिर लोगों की बनाई गई अपनी व्यवस्था फिर से चले यह सोचा गया। जिसमें लोगों को भरोसा हो, उनकी हिस्सेदारी हो। वे उस व्यवस्था को अपना समझ सके। उसमें जिम्मेदारी ले सके। इसके लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था बनी और चली इस व्यवस्था के माध्यम से लोगों के लिए कई योजनाएं और कार्यक्रम बनाये जा रहे हैं जिससे पंचायतें लोगों की जरूरत समझकर उन्हें पूरा कर सके और खुद भी मजबूत बन सके। लोगों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए, अपनी जरूरतों–अपनी परिस्थितियों में अपने ढंग से निर्णय करने के लिये सभी ने पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने और उसे मजबूत करने पर जोर दिया।

यह व्यवस्था इसलिये जरूरी है ताकि हमारे गांव आत्म निर्भर बन सके, गांव में आर्थिक एवं सामाजिक न्याय की पहल हो, गांव में हरिजन दलित आदिवासी पिछड़े वर्ग की महिलाओं को बराबरी का सम्मान मिले। अपने गांव के लोग अपने गांव के काम के बारे में निर्णय ले सके, गांव में चलने वाली व्यवस्थाओ में लगे कार्यकर्ताओं और कर्मचारियों पर गांव के लोग निगरानी और नियत्रण का काम कर सकें।

2. अब क्या खास बात हो गई है पंचायत राज में ?

पंचायत राज के इतिहास में 24 अप्रेल 1993 बहुत महत्वपूर्ण तारीख है इस दिन संविधान में 73 वॉ संविधान संशोधन कर पंचायत राज को स्थायी कर पहले से अधिक अधिकार देकर जिम्मेवार बनाने का रास्ता साफ किया

गया । आईये 73 वें संविधान संशोधन की मुख्य बातों की चर्चा करें जिसने पंचायतों को स्थायी करके महत्वपूर्ण भूमिका भी दी है।

- प्रदेश में जिला , जनपद और गांव के स्तर पर पंचायतों का गठन किया गया है ।
- संसद और विधान सभा की तरह ऊपर बताई तीनों स्तर की पंचायतें अब संविधानिक संस्थायें होगी । मतलब इनके पास कानूनी ताकत है ।
- सभी गांवों में ग्राम सभा होगी । सभी व्यस्क (18 साल से उपर)मतदाता इसके सदस्य होंगे । ग्राम सभा भी एक संवैधानिक संस्था बन गई है ।
- अब संसद और विधान सभा की तरह हर पांच साल में पंचायतों के चुनाव कराना जरूरी है।
- यदि कभी कोई पंचायत भंग कर दी जाये तो छह महीने के अंदर चुनाव कराना जरूरी है। मतलब पंचायतों को छै महिने से ज्यादा समय के लिये भंग करके नहीं रखा जा सकता ।
- चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष हों इसके लिये प्रत्येक राज्य में राज्य निर्वाचन आयोग बनाया गया है यह आयोग सरकार के अधीन नहीं बल्कि एक स्वायत्तशासी संस्था है ।
- पंचायतों का मुख्य काम सामाजिक न्याय के साथ विकास के काम कराना है ।
- पंचायतों को 29 विषयों पर काम सौंपे गये हैं । इन सभी विषयों को संविधान की ग्यारहवी सूची में लिख दिया गया है । मतलब यह कि राज्य सरकार को इतने काम तो पंचायतों को सौंपना ही पड़ेंगे ।
- महिलायें आगे आकर काम कर सकें इसके लिये सभी तीनों स्तर की पंचायतों में एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिये आरक्षित कर दी हैं ।
- अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के सदस्यों के लिये भी जहां उनकी जितनी संख्या है उसके अनुपात में (मतलब उसके अनुसार) उनके लिये भी सीटें आरक्षित हो गई हैं ।
- ग्राम पंचायत के सरपंच का चुनाव सभी मतदाताओं के द्वारा किया जायेगा जबकि जनपद और जिला पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव उनके लिये चुने गये सदस्य करेंगे।
- पंचायतों को वित्तीय सहायता कितनी और किस आधार पर मिले यह तय करने के लिये राज्य वित्त आयोग बनाया गया है ।

संविधान में संशोधन करके ये बातें तो पूरे देश में लागू कर दी गई हैं । देश तो बहुत बडा है । प्रदेशों की अपनी परिस्थितियों और जरूरतों के अनुसार पंचायतें अपने अपने यहां काम कर सकें इसके लिये संविधान की धारा 40 में कहा कि '' राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिये कदम उठाएगा और उनकों ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की ईकाईयों के रूप में कार्य करने के योग्य बनाने के लिये आवश्यक हो । ''

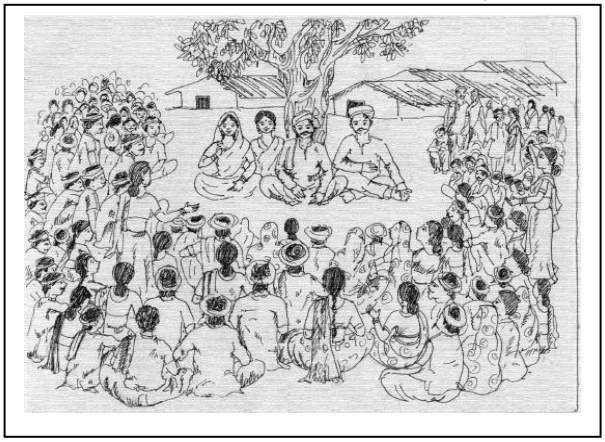

इसलिये सभी प्रदेशों ने पंचायतों को कुछ शक्तियां और अधिकार सौंपे है। मध्यप्रदेश में सरकार ने पंचायत राज एवं ग्राम स्वाराज अधिनियम 1993 बनाकर पंचायतों के लिये जो शक्तियां और अधिकार सौंपे हैं उनकी मुख्य बातें इस तरह हैं।

3. म.प्र. में पंचायती राज

मध्यप्रदेश देश का सबसे पहला राज्य है जिसने भारतीय संविधान के 73वें संशोधन 1992 के अनुरूप अनुसूची–11 में दर्शाये 29 विषयों के संपूर्ण अधिकार, जो पूर्व में राज्य शासन को थे, म.प्र. पंचायती राज अधिनियम 1993, दिनांक 25 जनवरी 1994 से लागू कर त्रिस्तरीय पंचायतों की सत्ता में भागीदारी देकर प्रदान किये गये।

शासन द्वारा महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज की कल्पना को साकार करने के लिये और राजनीति से लोकनीति के दर्शन को आगे बढ़ाते हुये दिनांक 26 जनवरी 2001 से प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की नीति पर प्रत्येक गांव और अनुसूचित क्षेत्रों में छोटे–छोटे गांवों तथा मजरे, टोले में ग्राम स्वराज व्यवस्था लागू की गइ है। ग्राम स्वराज व्यवस्था में ग्राम सभा प्रमुख इकाई होगी जो गांव के विकास एवं उसे सौंपे गए सभी कार्यों के लिये जिम्मेदार है।

इसका गठन गांव के समस्त वयस्क मतदाताओं द्वारा किया गया है और ग्राम सभा प्रत्येक गांव की शक्ति संपन्न स्थानीय शासन की स्वतंत्र इकाई बन चुकी है और असली सत्ता जनता के हाथ में सौंपी गई है इसमें भी वंचित वर्ग और महिलाओं की सहभागिता सुनिश्चित है

ग्राम पंचायत

संविधान में 73 वें संशोधन के बाद पंचायत राज मजबूत हुआ हैं । पंचायतें स्थानीय स्वशासन की इकाइयों के रूप में स्थापित हुई हैं । गांव के विकास और सामाजिक न्याय की योजना बनाना इनका प्रमुख काम हैं। ग्राम पंचायतें ग्राम सभा से निर्देश लेकर काम करेगीं प्रजातंत्र में अब गांव के आम नागरिक की भूमिका केवल वोट देने तक ही सीमित नहीं रही बल्कि ग्राम सभा के माध्यम से विकास तथा गांव में दिन प्रतिदिन होने वाले कार्यों पर नियंत्रण करना हो गई है । अब गांव के चुने हुए प्रतिनिधि अपने गांव के लिये अधिक अंच्छी भूमिका निभा सकेगें ।

ग्राम पंचायत का क्षेत्र गांव की आबादी (जनसंख्या) एक हजार होने पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है । जिन गांव की आबादी एक हजार से कम है वहॉ एक से अधिक गांव को मिलाकर ग्राम पंचायत का गठन होगा । बहुत छोटे–छोटे गांव होने पर तो चार, पांच गांव मिलाकर एक पंचायत बनी है।

ग्राम पंचायत का वार्डो में बटवारा (धारा – 12)

- हर एक ग्राम पंचायत में कम से कम दस और ज्यादा से ज्यादा बीस वार्ड होगें ।
- विहित अधिकारी (कलेक्टर) वार्डों का बटवारा करते समय यह ध्यन रखेंगे कि हर वार्ड की जनसंख्या लगभग बराबर हो । इन वार्डों का बटवारा जातियों के आधार पर नहीं होगा ।

ग्राम पंचायत की बैठक की प्रक्रिया

अधिनियम की धारा 44(1) के अन्तर्गत पंचायत बैठक आयोजन की प्रक्रिया

1. सरपंच द्वारा बैठक की तारीख, समय तथा स्थान तय किया जाएगा ।

   अ. सचिव द्वारा प्रत्येक बैठक की सूचना, जिसमें तारीख समय और उसका स्थान तथा उसमें किए जाने वाले कामकाज दिये जाएगें साधारण बैठक से पूरे सात दिन पहले और विशेष सम्मेलन से पूरे तीन दिन पहले पदधारी को भेजी जाएगी और पंचायत के कार्यालय पर प्रदर्शित की जाएगी ।

   ब. प्रत्येक बैठक में सरपंच, या उसके गैरहाजिरी में, उप सरपंच अध्क्षता करेगा, या दोनों की गैर हाजिरी में सम्मेलन में उपस्थित सदस्यों क्षरा चुना गया सदस्य अध्यक्षता करेगा ।

बैठक में कोई भी फैसला उपस्थित सदस्यों के बहुमत से किया जायेगा । बराबर मत पडने की हालत में अध्यक्ष के मत से फैसला होगा ।

- . यदि सभापति यह समझते हैं कि जिस विषय पर चर्चा हो रही है उसमें किसी सदस्य के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में आर्थिक हित हो सकता है तो सभापति उस सदस्य को मतदान करने या चर्चा में भाग लेने से रोक सकता है ।
- जिस सदस्य को रोका गया है वह सभापति के इस फैसले पर आपत्ति कर सकता है। ऐसी हालत में सभापति इस बात को बैठक में रखेंगे । बैठक में लिया गया फैसला अंतिम होगा।
- कोई पदधारी बोलते समय इन बातों का ध्यान रखे :–
- न्यायालय में विचारधीन किसी विषय पर टीका टिप्पणी नहीं करेगा ।
- स्थानीय शासन, राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के किसी पदधारी या पदाधिकारी के विरूद्व व्यक्तिगत आरोप या अभियोग नहीं लगायेगा ।
- संसद या राज्य के विधान सभा, जिला पंचायत या जनपद पंचायत या ग्राम पंचायत के संचालन या कार्यवाहियों के संबंध में आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग नहीं करेगा।
- सभापति द्वारा मत देने का प्रस्ताव रखे जाने के बाद उस पर कोई नहीं बोलेगा ।
- जिसे बोलना हो वह अपने स्थान पर खडा होगा किंतु सभापति द्वारा वक्ता का नाम पुकारे जाने से पहले नहीं बोलेगा। बोलने वाला सदस्य सभापति को संबोधित करेगा ।
- कोई भी पदधारी पंचायत के प्रशासन तथा कृत्यों से संबंधित किसी विषय के संबंध में संकल्प पेश कर सकेगा ।
- सभापति किसी भी संकल्प को स्वीकार करने के संबंध में फैसला करेगा , यदि उसकी राय में कोई संकल्प अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों का उल्लघंन करता है तो वह उसे ग्रहण नहीं करेगा और उसका फैसला अंतिम होगा।
- संकल्प की भाषा शालीन हो ।
- संकल्प की सूचना लिखित में होगी और उसमें प्रस्तावक के दस्तखत हों ।
- किसी भी संकल्प पर की जाने वाली चर्चा केवल संकल्प तक ही सीमित होगी ।
- जब अनेक विषय बिंदुओं से अर्न्तवलित किसी संकल्प पर चर्चा कर ली जाए , तब सभापति अपने विवेकानुसार संकल्प का विभाजन करेगा और प्रत्येक या किसी एक विषय बिंदु को जैसा वह उचित समझे पृथकतः मत देने के लिये रखेगा।

ग्राम पंचायत की समितियां

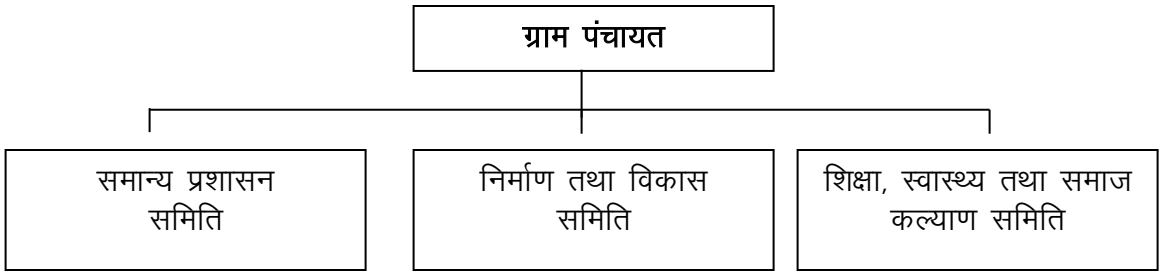

समिति का नाम	जिम्मेदारियां
सामान्य प्रशासन समिति	पंचायत क्षेत्र में निर्माण का अनुमोदन, बजट एवं लेखा, कराधान तथा दूसरे वित्तीय विषय खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, बीस सूत्रीय कार्यक्रम, पंचायत तथा दूसरी स्थाई समितियों के बीच समन्वय का काम करना।
निर्माण तथा विकास समिति	ग्राम पंचायत क्षेत्र में योजना, प्रबंधन, कार्यान्वयन तथा सभी निर्माण कार्यों का पर्यवेक्षण तथा निर्माण के ले आउट की योजना, बजट तथा उसका क्रियान्वयन एवं भविष्य के निर्माण की योजना। संचार में सुधार कुटीर तथा खादी उद्योगों के विकास पर जोर उद्यान या पार्क बनाना, ग्रामीण विद्युतीकरण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय, जल संसाधन
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण समिति	▪ पंचायत क्षेत्र के सभी स्कूलों का निरीक्षण एव0 शिक्षकों की उपस्थिति हर महीने की 5 तारीख तक प्रमाणित करना। ▪ टीकाकरण, परिवार नियोजन कार्यक्रम को बढ़ावा देना व जांच करना, ▪ पंचायत क्षेत्र के स्वास्थ्य की जांच और उनकी उपस्थिति प्रमाणित करना ▪ ग्राम पंचायत क्षेत्र में आरोग्य सुनिश्चित करना और नियमित साफ–सफाई ▪ याण, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एक पिछड़े वर्ग के विकास के कार्यक्रम बनाना। ▪ सामाजिक पिछड़े व विकलांग लोगों के लिये योजना बनाना व लागू करना ▪ सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बंटवाना एवं जांच करवाना, श्रम या मजदूरी एवं खेलकूद।

ग्राम पंचायत के स्वास्थ्य एवं स्वच्छता से जुड़े काम

- ग्राम सभाओं से आये प्रस्तावों को मिलाकर ग्राम पंचायत के आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की सालाना योजना तैयार कर जनपद पंचायत को समय पर भेजना ।
- अपने इलाके में हाट बाजारों तथा मेलों की स्थापना करना , उनके लिये नियम तय करना और उनका इतंजाम करना।
- केन्द्र सरकार, राज्य सरकार , जिला पंचायत और जनपद पंचायत के द्वारा सौंपी गई स्कीमों (योजनाओं), निर्माण कार्यो और परियोजनाओं को पूरी कराना और उनकी देख रेख करना ।
- पंचायत के संसाधनों (पैसा, सामग्री और मानव शक्ति), योाजनाओं और किये जाने वाले खर्चे पर नियंत्रण रखना।
- ग्राम पंचायत की सीमा में बनने वाले मकानों और आवासीय कालोनियों को मंजूरी देना ।
- ग्राम सभा की समितियों के काम से तालमेल रखना ।
- यह ध्यान रखना कि महिलाओं, दलितो, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जातियों के सदस्यों, अपंग और गरीबों के लिये जो भी योजनायें और कार्यक्रम हैं उनका फायदा उन तक समय पर जरूर पहुंचे और कोई अपात्र इनके हिस्से का फायदा न ले पाये ।
- ग्राम सभा को जो काम सौंपे गये है उनके लिये केन्द्र सरकार और राज्य सरकार से मिलने वाले पैसों को ग्राम सभाओं को पहुंचाना । ये पैसे बांटते (आंवटन) समय केन्द्र और राज्य सरकार के द्वारा तय किये गये मानदण्डों और नियमों का पालन करना ।
- ग्राम पंचायत के इलाके की जैविक सम्पदा मतलब (पेड, पौधे, लता, पत्र, कंद आदि जीव जानवर जन्तु, कीडे मकोडे, चारागाह, खदाने , सार्वजनिक भूमि, नदी , झरने भूमिगत जल कुंआ, बावडी, आदि के रख

रखाव की चिंता करना।) इनके व्यवसायिक उपयोग के लिये शर्ते तय करना । उनके उपयोग पर शुल्क लगाना ।

- शिशु रक्षा और सुरक्षित मातृत्व की व्यवस्था करना
- परिवार कल्याण कार्यक्रम का क्रियान्वयन करना
- टीकाकरण करना
- वात्सल्य एवं आयुष्मति योजना का क्रियान्वयन करना
- महामारी की रोकथाम करना
- स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम पर निगरानी करना
- ग्राम पंचायत स्तर पर स्वास्थ्य कर्मियों के कार्य का निरीक्षण करना
- स्वास्थ्य संबंधित राष्ट्रीय कार्यक्रम के क्रियान्वयन में मदद करना ।
- गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण करना
- गर्भवती महिला की देखभाल ;टी.टी., आई. एफ.ए. और तीन जॉचेद्ध)
- जटिलता होने पर गर्भवती महिला को तुरंत अस्पताल पहुॅचाना
- सुरक्षित मातृत्व के लिए उचित कार्य प्रणाली बनाना
- समुदाय की जरूरत के अनुसार स्वास्थ्य/जागृति शिविर आयोजित करना ।
- स्वास्थ्य केन्द्र पर सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना
- समुदाय को स्वास्थ्य सुविधाओं के उपयोग के लिए प्रेरित करना
- स्वास्थ्य कर्मी के कार्य पर निगरानी रखना
- स्वास्थ्य व्यवस्था पर नियत्रंण रखना।
- पंचायत में स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए दी गई राशि का सदुपयोग करना ।

पंचायतों को विभिन्न विभागों द्वारा सौंपे गये स्वास्थ्य से जुड़े काम

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

- ग्राम पंचायत के अन्तग्रत ग्रामीण क्षेत्रों की समस्त नल–जल एवं स्पॉट सोर्स योजनाओं का संधारण ।
- ग्रमीण स्वच्छता कार्यक्रम ।
- समस्त हैण्डपम्प योजनाओं का संधारण ।

लोक निर्माण विभाग

- ग्रामीण सडकों , नालियों और छोटी पुलियों का निर्माण और रख–रखाव ।
- ग्राम पंचायत को हस्तांतरित की गई या उसके नियंत्रण वाले भवनों का रख–रखाव ।
- नावों , फेरी और जल मार्गों का संधारण ।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

- परिवार कल्याण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन और पर्यवेक्षण।
- महामारी की रोकथाम , उपचार के उपाय ।
- मांस , मछली एवं अन्य स्वास्थ्य बिगड़ने वाली वस्तुओं के विक्रय पर नियंत्रण ।
- इन्यूनाईजशन एवं टीकाकरण कार्यक्रम का क्रियान्वयन एवं पूर्ण भागीदारी ।
- आवारा कुत्तों पर नियंत्रण ।
- चमड़े और खालों की रंगने , अभिशोषण टेनिगं पर नियंत्रण ।
- हानिकारक एवं उत्तेजक व्यवसायों पर नियंत्रण ।
- थ्शशु रक्षा एवं सुरक्षित मातृत्व की व्यवस्था ।
- ग्राम पंचायत स्तर के स्वास्थ्य विभाग कर्मचारियों के कार्य का निरीक्षण (दाई ,उ. उन.एम. अदि)
- स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम पर निगरानी ।
- अकाल एवं आकस्मिक मृत्यु की सूचना देना ।

महिला एवं बाल विकास विभाग

- आंगनवाड़ियों का संचालन ।
- मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम का क्रियान्वयन ।
- झूलाघर एवं बालवाड़ी ।
- मातृ कुटीर ।

समाज कल्याण विभाग

- सामाजिक सुरक्षा पेन्शन योजना ।
- ग्रामीण पुस्तकालय एवं वाचनालय की स्थापना एवं रख–रखाव ।

मध्यप्रदेश पंचायती राज व्यवस्था में पंचायतीय ईकाईयों को 29 विषयों संबंधी कार्यो की जिम्मेदारी दी गयी है जो कि निम्न है –

1. कृषि और उससे जुड़ी चीजें
2. भूमि सुधार और उस पर अमल करना
3. सिंचाई जल प्रबन्धन तथा जल अच्छादन
4. पशु पालन और दूध उद्योग
5. मतस्य पालन
6. लघु वन
7. सामाजिक वन और फार्म बनोद्योग
8. लघु उद्योग
9. खादी ग्राम और कुटीर उद्योग
10. ग्रामीण आवास
11. पेय जल
12. इन्धन और चारा
13. सड़के, पुलिया, पुल, जल मार्ग, तथा संचार के साधन
14. गांव में बिजली व्यवस्था
15. गैर–परम्परागत ऊर्जा स्त्रोत।
16. गरीबी–उन्मूलन कार्यक्रम
17. शिक्षा संबंधी कार्य
18. तकनीकी प्रशिक्षण और व्यवसायिक शिक्षा
19. प्रौढ़ और औपचारिक शिक्षा
20. पुस्तकालय खुलवाना
21. सांस्कृतिक क्रिया–कलापों को बढ़ावा देना
22. बाजार और मैंलों को आयोजित करना
23. स्वास्थ्य और स्वच्छता के अन्तर्गत अस्पताल और शौचालय
24. परिवार कल्याण
25. महिला और बाल विकास
26. समाज कल्याण/शारीरिक और मानसिक विकलांगों का कल्याण
27. दलितों व पिछ़ड़ों का कल्याण
28. लोक वितरण
29. सामुदायिक गतिवधियों का अनुरक्षण

ग्राम सभा

ग्राम सभा की बैठक प्रक्रिया

ग्राम सभा की समितियॉ

पहले ग्राम सभा की 8 समितियॉ होती थीं । पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम की धारा 7 के में संशोधन करे आठ के स्थान पर अब दो समितियों के गठन का प्रावधान किया है । ये समितियॉ हैं :–

एक ग्राम निर्माण समिति

दो ग्राम विकास समिति

ग्राम सभा की समितियॉ गठन और उनके काम

अधिनियम की धारा 7 ख के अनुसार ग्राम निर्माण समिति, ग्राम पंचायत के एक अभिकरण ऐजेन्सी के रूप में काम करेगी। यह समिति पांच लाख रूपये तक के सभी निर्माण काम करेगी । साथ ही ग्राम पंचायत और ग्राम सभा के द्वारा सौंपे गये दूसरे काम भी करेगी ।

ग्राम निर्माण समिति और ग्राम विकास समिति में अध्यक्ष को छोडकर कम से कम दो सदस्य होंगे । इनके अध्यक्ष का चुनाव ग्राम के सदस्यों के द्वारा होगा । अध्यक्ष ढाई वर्ष के लिये चुना जायेगा ढाई साल के बाद फिर से चुनाव होगा। यदि अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार दूसरी बार चुराव के लिये अयोग्य न हो तो वह फिर से चुनाव लड़ सकेगा ।

- ग्राम विकास समिति का गठन तथा उसके काम दी गई प्रक्रिया के अनुसार होगा ।
- ग्राम निर्माण समिति के सदस्य ग्राम विकास समिति में सदस्य होंगे ।
- इसकी प्रक्रिया क्या होगी इसके लिये प्रावधन बनाये गयें हैं ।
- ग्राम निर्माण समिति और ग्राम विकास समिति संयुक्त रूप से मिलकर गांव के विकास की एक पूरी योजना तैयार करके ग्राम सभा की मंजूरी के लिये पेश करेंगी ।
- अधिनियम की धारा 7 छ के अनुसार ग्राम पांयत का सचिव ग्राम निर्माण समिति का सचिव होगा ।
- ग्राम विकास समिति का सचिव ग्राम सभा में दो तिहाई सदस्यों के बहुमत से चुना जायेगा ।
- समिति के सदस्यों का रिश्तेदार समिति का सदस्य नहीं बन सकता।

स्वास्थ्य कार्यक्रमों के तहत समिति की भूमिका

क्रं.	कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य	समिति की भूमिका	विभाग से समन्वय
1.	परिवार कल्याण कार्यक्रम	जन्म दर में कमी लाना	➢ लोगों को समझाना और जागरूकता पैदा करना। ➢ परिवार नियेाजन के स्थाई तथा अस्थाई साधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना ➢ परिवार नियेाजन के साधनों से जुड़ी अफवाहें दूर करना	➢ यह पता करना कि योजना में गांव को क्या सुविधा मिलेगी और कैसे ➢ विभाग के कर्मचारी ठीक समय और ढंग से सुविधा दे यह तय करना ➢ गांव की समस्या और येाजना के आधार पर विभाग से सुविधाओं की मांग
2.	टीकाकरण	गर्भवती माता तथा बच्चों को विशेष रोगों से बचना	➢ टीके की उपलब्धता सुनिश्चित करना ➢ स्थान, दिन व समय तय करना	➢ विभाग के कैम्प की गांव में सूचना देना ➢ कर्मचारी के साथ
3.	टी.बी. नियंत्रण	रोगियों की संख्या में कमी लाना	➢ रोगियों की पहचान ➢ इलाज के लिए समझाना ➢ परिवार व समुदाय के भीतर जागयकता लाना	➢ विभाग के कार्यक्रम को समझाना ➢ अस्पताल तक पहुॅच सुनिश्चित करवाना

			➢ बच्चों को बी.सी.जी. का टीका लगवाना	
4.	मलेरिया नियंत्रण	मलेरिया प्रसार में कमी	➢ जागरूकता लाना ताकि मच्छरों के पलने के स्थान को कम करना ➢ दवा छिड़काव	➢ विभाग कार्यकार्ता का गांव में भ्रमण सुनिश्चित करवाना ➢ दवा तथा जॉच की व्यवस्था सुनिश्चित करवाना
5.	कुष्ट निवारण	कुष्ठ को पूरी तरह से खत्म करना	➢ रोग की पहचान के लिए जागरूकता ➢ लोगों में कुष्ठ से जुडे. वहम दूर करना	➢ जॉब का कैम्प ➢ दवा की उपलब्ता सुनिश्चित करवाना
6.	अंधत्व निवारण	मोतियाबिंद के आपरेशन द्वारा अंधेपन में कमी लाना	➢ मोतियाबिंद के मरीलों की पहचान ➢ मरीजों को शासन व स्वंयसेवा संस्था द्वारा लगाए गए शिविरों में जाकर इलाज के लिए तैयार करना ➢ नीम–हकीमों से इलाज के लिए मरीजों को दूर रहने की सलाह देना।	➢ विभाग के शिविर आयोजन की जानकारी लेना ➢ जरूरत पड़ने पर ऐसे शिविर लगाने के प्रस्ताव ➢ स्वंय सेवा संस्था से सम्पर्क तथा शिविर लगाने में सहयोग करना
7.	एड्स नियंत्रण कार्यक्रम	एड्स रोग के संबंध में जन–चेतना का प्रचार–प्रसार	➢ राज्य एवं राष्ट्रीय कार्यक्रमों की देख–रेख तथा पर्यवेक्षक ➢ अपने गांव में इन कार्यक्रमों की सू चना देना	➢ यह सुनिश्चित करना कि विभाग द्वारा संचालित गतिविधि गांव में भी आयोहित हो ➢ संचालित कार्यक्रमों के संबंध में अपनी रिपोर्ट से जनपद पंचायत को अवगत कराना
8.	स्वास्थ्य जीवन सेवा गारंटी योजना	प्रत्येक गांव में एक प्रशिक्षित दाई तथा जन स्वास्थ्य रक्षक उपलब्ध करवाना	➢ दाई का चुनाव ➢ जन स्वास्थ्य रक्षक का चुनाव ➢ स्वास्थ्य सेवा के गांव में क्रियान्वयन तथा समन्वयन	➢ दाई तथा जन स्वास्थ्य रक्षक के समय–समय पर प्रशिक्षण के लिए तालमेल बनाना ➢ स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के काम की समीक्षा तथा मूल्याकंन ➢ विभाग से मिलकर यह सुनिश्चित करना कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता तथा अन्य सेवाएं गांव में पहुॅचे
9.	शिविरों का आयोजन	स्वास्थ्य मातृ एवं शिशु कल्याण शिविर टीकाकरण शिविर पल्स पोलिया शिविर प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य शिविर परिवार स्वास्थ्य जागरूकता शिविर नेत्र शिविर	➢ गांव के लोगों को आयोजित होने वाले शिविरों के स्थान तथा समय की सूचना देना ➢ लोगों को शिविर में जाने के लिए प्रेरित करना ➢ शिविर में आने वाले सभी लोगों के पंजीयन की व्यवस्था करना	➢ शिविर आयोजन की जानकारी प्राप्त करना ➢ जरूरत के अनुसार शिविर आयोजन के लिए विभाग से ताल–मेल करना ➢ शिविर आयोजन की योजना बनाना
10.	प्रचार–प्रसार तथा जागरूकता बढ़ाना	गांव में स्वास्थ्य से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर जागरूकता बढ़ाना	➢ मासिक बैठक के द्वारा गांव में जागरूकता ➢ स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी का प्रचार–प्रसार	➢ जागरूकता के लिए विभाग से साहित्य तथा सामग्री लेना ➢ जरूरत पड़ने पर उचित सहयोग लेना

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत् बनी ग्राम स्वास्थ्य तथा स्वच्छता समिति

भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत मध्यप्रदेश की कार्ययोजना को स्वीकृति दी गई है। मिशन के अंतर्गत सुदृढ़ीकरण हेतु व्यापक कदम उठाये जा रहे हैं। इसके साथ ही ग्राम स्तर पर भी स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु समुदाय को संसाधन उपलब्ध कराने की योजना है। ग्राम स्तर पर इसी उद्देश्य को लेकर ग्राम स्वास्थ्य तथा स्वच्छता समिति के गठन का निर्णय लिया गया है। ग्राम स्वास्थ्य तथा स्वच्छता समिति प्रत्येक ग्राम में गठित की जायेगी। बड़े ग्रामों के समीप स्थित मजरे–टोलों का प्रतिनिधित्व उस ग्राम की समिति में होगा। यह समिति ग्राम पंचायत के अधीन तथा अन्य स्थानीय समितियों के समन्वय से कार्य करेगी। प्रदेश में ग्राम पंचायतों के अधीन ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता हेतु तदर्भ समितियों का गठन किया जा सकता है। इस बावत् प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का पत्र क्रमांक एफ–2/प.2/07/70 दिनांक 12/02/2007 सुलभ सन्दर्भ हेतु संलग्न है –

ग्राम स्वास्थ्य तथा स्वच्छता समिति का स्वरूप

प्रत्येक ग्राम स्वास्थ्य तथा स्वच्छता समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे –

1. ग्राम पंचायत की (यथासम्भव महिला) पंच – अध्यक्ष
2. अशासकीय संस्थाओं के प्रतिनिधि अधिकतम 2
3. प्रत्येक मजरे–टोले से एक–एक प्रतिनिधि (अधिकतम 3)
4. स्थानीय महिला स्व–सहायता समूह के प्रतिनिधि
5. आशा (सदस्य सचिव)
6. आंगनवाड़ी कार्यकर्ता
7. संबंधित उप स्वास्थ्य केन्द्र की ए.एन.एम
8. संबंधित उप स्वास्थ्य केन्द्र के पुरूष स्वास्थ्य कार्यकर्ता

ग्राम स्वास्थ्य निधि

प्रत्येक ग्राम स्वच्छता तथा स्वच्छता समिति के पास एक ग्राम स्वास्थ्य समिति संधारित की जायेगी। इस निधि का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर निर्धारित प्राथमिकताओं के आधार पर लोक स्वास्थ्य गतिविध्यों के लिये प्रयास को प्रोत्साहित करना है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की ओर से इस निधि में प्रतिवर्ष रूपये 10,000/– का अनुदान किया जायेगा। इस अनुदान का उपयोग निम्नलिखित गतिविधियों/कार्यों के लिये किया जा सकेगा –

1. स्थानीय परिवारों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु चलित निधि के रूप में जिसमें से ग्राम के गरीब परिवार अपनी स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं के लिये अग्रिम धन निकाल सकेंगे जिसे किश्तों में वापस किया जा सकेगा।
2. ग्राम स्तर पर आयोजित की जाने वाली लोक स्वास्थ्य गतिविधियों के संचालन हेतु तथा स्वच्छता अभियान, शालेय स्वास्थ्य गतिविधियां, समन्वित बाल विकास परियोजना, आंगनवाड़ी में आयोजित होने वाले कार्यक्रम, गृह सर्वेक्षण आदि।
3. असामान्य परिस्थितियों में किसी असहाय महिला अथवा अति गरीब परिवार की निजी स्वास्थ्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये भी इस निधि से व्यय किया जा सकेगा।
4. ग्राम स्वास्थ्य निधि की राशि अनाबद्ध राशि होगी। जिसके व्यय का निर्णय ग्राम स्वास्थ्य तथा स्वच्छता समिति द्वारा लिया जायेगा। परन्तु सामान्य तौर पर इस राशि का उपयोग स्थानीय स्तर पर आयोजित की जानेवाली सामुदायिक गतिविधियों के लिये ही किया जा सकेगा। इन गतिविधियों के अंतर्गत ऐसी गतिविधियां ही होंगी जिनमें एक से अधिक घरों के रहवासी लाभान्वित हो सके। पोषाहार शिक्षा, पर्यावरण सुरक्षा, लोक स्वास्थ्य संबंधी कार्यों पर इस निधि से व्यय किया जा सकेगा।
5. ग्राम स्तर पर स्थानीय समुदाय ग्राम स्वच्छता समिति में अतिरिक्ति राशि का अंशदान देने के लिये अधिकृत होंगे। जिन ग्रामों में स्थानीय समुदाय द्वारा अतिरिक्त आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने पर विचार किया जा सकता है।
6. ग्राम स्तर पर घरों में शौचालय का निर्माण भी किया जा सकता है।

ग्राम स्वास्थ्य निधि के बैंक खाते का साधारण

प्रत्येक ग्राम स्वास्थ्य तथा स्वच्छता समिति के द्वारा एक बैंक खाते का संधारण किया जायेगा। यह खाता ग्राम स्वास्थ्य तथा स्वच्छता समिति के अध्यक्ष तथा आशा द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जायेगा। समिति द्वारा ग्राम स्वास्थ्य निधि की आय तथा व्यय का विवरण एक पृथक पंजी में संधारित किया जायेगा। यह पंजी आवश्यकतानुसार निरीक्षण हेतु ग्राम पंचायत/स्वास्थ्य कार्यकर्ता अथवा अन्य अधिकारियों को उपलब्ध कराई जायेगी।

उत्तरदायित्व

प्रत्येक ग्राम स्वास्थ्य तथा स्वच्छता समिति के लिये यह आवश्यकता होगी कि वह अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत अपने वाले सभी घ्ज्ञरों के गृह सर्वेक्षण की जानकारी संधारित करें, जिसके आधार पर बुनियादी सेवायें उपलब्ध कराई जा सके।

प्रत्येक समिति के पास ग्राम में आयोजित गतिविधियों तथा उन पर होने वाले व्यय की विस्तृत जानकारी उपलबध रहेगी जिसे आवश्यकतानुसार जांच हेतु उपलब्ध कराया जायेगा। इस जानकारी की नियमित समीक्षा ऐ.एन.एम तथा सरपंच द्वारा की जायेगी।

जनपद पंचायत स्तर पर उनके क्षेत्राधिकार में आने वाली सभी ग्राम स्वास्थ्य तथा स्वच्छता समितियों के संचालन की समीक्षा करेंगे। इस हेतु जानकारी मिशन के सदस्यों तथा आशा की सहायता करने वाले विकासखण्ड स्तरीय संगठकों द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी।

जिला परियोजना प्रबंधन इकाईयों में ग्राम स्वास्थ्य तथा स्वच्छता समिति का एक डाटाबेस संधारित किया जायेगा।

ग्राम सभाँ के स्वच्छता से जुडे काम एवं जिम्मेदारियां

- अ ग्राम पंचायत की योजना बनने से पहले गांव की योजना बनाना जिससे वह ग्राम पंचायत की योजना में शामिल हो सके।
- अ योजना में मंजूर किये गये गांव में जो भी काम हो उन पर निगरानी रखना जिससे काम ठीक तरह से हो।
- अ ग्राम पंचायत के सालाना बजट बनने से पहले अपने गांव की जरूरतें और आमदनी का ब्यौरा ग्राम पंचायत को भेजना जिससे गांव की जरूरतों के लिये बजट में इंतजाम किया जा सके ।
- अ यह देखना कि सरकारी कार्यक्रमों खास कर गरीबी हटाने वाले कार्यक्रमों का फायदा गांव के सबसे गरीब सदस्यों को मिले।

- गांव के जंगल, जमीन, पानी , खदान आदि की देखरेख करना । यह देखना कि इनका ऐसा दोहन या उपयोग हो कि ये साधन बर्बाद न हों, दूषित न हो पायें और खत्म न हो जायें ।
- गांव की जैविक सम्पदा का संतुलित उपयोग हो । इस संपदा के व्यवसायिक उपयोग के लिये शर्ते /नियम और सिद्धांत तय करना।
- तालाबों का रख रखाव और उनका इंतजाम।
- गांव के काम के लिये पैसा कहां से आयेगा इसको संमझना और खर्च पर नियंत्रण करना ।
- जनपद पंचायत और जिला पंचायत द्वारा सौंपे गये काम ग्राम सभा के सामने रखना । सब की सलाह से उन कामों को करना ।
- समय समय पर सरकार के द्वारा सौंपे गये काम ग्राम सभा में सभी के सामने पेश करना ।
- गांव में काम करने वाले कर्मचारियों पर नियंत्रण जिसमें वेतन रोकना, आकस्मिक अवकाश (छुटटी) मंजूर करना , काम की जांच करना और काम में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही की सिफारिश करना।
- ग्राम पंचायत के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों की समस्त नल–जलयोजनाओं को संचालित करना ।
- ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम में सहयोग करना, उपयोग करना ।
- समस्त हैण्डपम्प योजनाओं का संधारण ।
- ग्रामीण सडकों,नालियों और छोटी पुलियों का निर्माण और रख–रखाव ।
- परिवार कल्याण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन और देखरेख।
- महामारी की रोकथाम , उपचार के उपाय ।
- टीकाकरण कार्यक्रम का क्रियान्वयन एवं पूर्ण भागीदारी ।
- शिशु रक्षा एवं सुरक्षित मातृत्व की व्यवस्था करना
- ग्राम पंचायत स्तर के स्वास्थ्य विभाग कर्मचारियों के कार्य का निरीक्षण करना।
- स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम पर निगरानी करना।
- आंगनवाड़ियों का संचालन करना।
- मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम का क्रियान्वयन करना।
- झूलाघर एवं बालवाड़ी चलाना।
- मातृ कुटीर ।

ग्राम सभा को सौंपे गये विभिन्न विभागों के स्वच्छता से जुड़े काम

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

- ग्राम पंचायत के अन्तग्रत ग्रामीण क्षेत्रों की समस्त नल–जल एवं स्पॉट सोर्स योजनाओं का संधारण ।
- ग्रमीण स्वच्छता कार्यक्रम ।
- समस्त हैण्डपम्प योजनाओं का संधारण ।

लोक निर्माण विभाग

- ग्रामीण सडकों , नालियों और छोटी पुलियों का निर्माण और रख–रखाव ।
- ग्राम पंचायत को हस्तांतरित की गई या उसके नियंत्रण वाले भवनों का रख–रखाव ।
- नावों , फेरी और जल मार्गों का संधारण ।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

- परिवार कल्याण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन और पर्यवेक्षण।
- महामारी की रोकथाम , उपचार के उपाय ।
- मांस , मछली एवं अन्य स्वास्थ्य बिगड़ने वाली वस्तुओं के विक्रय पर नियंत्रण ।
- इन्यूनाईजशन एवं टीकाकरण कार्यक्रम का क्रियान्वयन एवं पूर्ण भागीदारी ।
- आवारा कुत्तों पर नियंत्रण ।
- चमड़े और खालों की रंगने , अभिशोषण टेनिगं पर नियंत्रण ।
- हानिकारक एवं उत्तेजक व्यवसायों पर नियंत्रण ।
- थ्शशु रक्षा एवं सुरक्षित मातृत्व की व्यवस्था ।
- ग्राम पंचायत स्तर के स्वास्थ्य विभाग कर्मचारियों के कार्य का निरीक्षण (दाई ,उ.उन.एम. अदि)
- स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम पर निगरानी ।
- अकाल एवं आकस्मिक मृत्यु की सूचना देना ।

महिला एवं बाल विकास विभाग

- आंगनवाड़ियों का संचालन ।
- मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम का क्रियान्वयन ।
- झूलाघर एवं बालवाड़ी ।
- मातृ कुटीर ।

समाज कल्याण विभाग

- सामाजिक सुरक्षा पेन्शन योजना ।
- ग्रामीण पुस्तकालय एवं वाचनालय की स्थापना एवं रख–रखाव ।

अध्याय–2
पंचायत और हमारा स्वास्थ्य

अच्छा स्वास्थ्य और पंचायत की भूमिका

स्वास्थ्य के बारे में हम जब भी सोचते हैं तो ध्यान आता है अस्पताल, दवाई, नर्स, बुखार का और यह सोचते ही लगता है हमारे स्वास्थ्य की चिन्ता तो सिर्फ अस्पताल में हो सकती है, डाक्टर कर सकता है, ए.एन.एम कर सकती है। पंचायत हमें ध्यान भी नहीं आती। सिर्फ हम साधारण गांव के लोग ही नहीं अक्सर हमारी पंचायतें यानि हमारे चुने हुये प्रतिनिधि भी सोचते हैं कि स्वास्थ्य तो कठिन और तकनीकी विषय है। पंचायत इसमें क्या करेगी ? और यह सोचकर न तो समुदाय और न पंचायत खुद स्वास्थ्य के विषय में कुछ सोचते हैं और करते हैं।

लेकिन ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हमारी सेहत के साथ जुड़ी हैं और इनका ध्यान रखें तो अस्पताल और दवा की जरूरत कम पड़ेगी। जैसे साफ पानी, आस–पास सफाई, उचित पोषण, बच्चों को टीकाकरण, गर्भवती महिलाओं की नियमित जांच – और यही वह विषय है जिसमें पंचायत हमारी मदद कर सकती है।

अधिकतर पंचायतें ऐसा मानती हैं कि पहले तो वह स्वास्थ्य के बारे में जानकार नहीं है इसलिये वह स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान नहीं देती। दूसी तरफ पंचायतों को ऐसा भी लगता है कि समुदाय को सड़क चाहिये, स्कूल का भवन चाहिये, राशन कार्ड चाहिये लेकिन समुदाय स्वास्थ्य के सम्बन्ध में पंचायत से अपेक्षा नहीं रखती है। लेकिन ऐसा नहीं है हमने करीब 80 पंचायतों में जाकर 600 से भी अधिक साधारण गांव में रहने वाले लोगों से पूछा कि उनकी सबसे बड़ी परेशानी क्या है और उन्हें पंचायत से सबसे ज्यादा क्या चाहिये ? हैरानी होगी यह जानकर कि लोगों को सड़क तो चाहिये ही लेकिन सबसे ज्यादा जरूरत है उन्हें पानी की। और जानते हैं कि उन्हें पंचायत से सबसे ज्यादा क्या चाहिये ? वह चाहते हैं कि पंचायत उनके स्वास्थ्य की देखभाल में विभाग के साथ तालमेल बिठाकर उनकी मदद करें ।

पंचायतों को अपने प्रयास बीमारियों से निदान और निराकरण की बजाय अच्छी सेहत और स्वच्छता के लिये करने चाहिये । मंशा यह हो कि

आपसे क्या छुपा है – आप तो जानते ही हैं कि गांव में बिमारियों पर कितना खर्च हो जाता है अक्सर इलाज के लिये कर्जा लेना पड़ता है और फिर बहुत से गरीब कर्जे के चक्कर में फंस जाते हैं। मानपुरा नाम का एक गांव सिहार जिले में है जिसमें लोगों ने जोड़ा कि कुल मिलाकर 70–80 परिवारों के बीच ही ढाई–तीन लाख का खर्चा तो साधारण ही हो जाता है बड़ी बिमारियों को छोड़ भी दें तो भी। एक बार बच्चे को दस्त हुआ और बिगड़ गया तो डाक्टर की फीस 60–70 रू. दवा इंजेक्शन का खर्चा और 100 रू. आने जाने का किराया कम से कम 50 रू. यानि एक मामूली दस्त भी कितना बड़ा खर्चा हो जाता है। और यही नहीं हमारे गांव के बच्चे और महिलायें इन्हीं मामूली बिमारियों से ज्यादा पीड़ित हैं। हमारे देश में बाल–मृत्यु दर यानि कि हर हजार जन्में बच्चों पर मृत्यु होने वाली बच्चों की संख्या ..... है। मध्यप्रदेश में तो

यह संख्या तो देश के औसत से भी ज्यादा है। इसलिये स्वास्थ्य में डाक्टर से ज्यादा तो बचाव की जरूरत है। बड़े–बूढ़े कह गये हैं कि इलाज से अच्छा बचाव । और बचाव में डाक्टर से ज्यादा जरूरत है पंचायत की।

हमारी सोच और वास्तविकता

हमारी भ्रांतियां	दूसरी सोच
• स्वास्थ्य एक बहुत तकनीकी विषय है पंचायतों को इसका ज्ञान कैसे होगा।	• स्वास्थ्य में बहुत सारी चीजें शामिल हैं जैसे अच्छा खान–पान, सफाई, साफ पानी, बच्चों व माताओं की देखभाल आदि – इसके लिये हम सबमें थोड़ी बहुत समझ है और बहुत कुछ आसानी से सीखा और समझा जा सकता है। रोगी को डाक्टर की जरूरत है लेकिन स्वास्थ्य को बनाये रखने के लिये पंचायत ज्यादा महत्वपूर्ण है।
• स्वास्थ्य का मतलब है बिमारियों का उपचार।	• स्वास्थ्य के दो हिस्से होते हैं एक है बचाव का और दूसरा का इलाज का। और इलाज से जरूरी है बचाव।
• लोग चाहते हैं पंचायत गांव में सड़क खड़ंजा और ऐसी अधोसंरचना का विकास करें।	• यह सच है कि लोगों को पंचायतों से अधोसंरचना विकास की अपेक्षा है। लेकिन वह सबसे पहले चाहते हैं कि पंचायत उन्हें साफ पानी दिलवाये और उनकी सेहत की देखभाल करें।
• सरकार ने पंचायत को स्वास्थ्य के सम्बन्ध में कोई काम नहीं सौंपे हैं ।	• ऐसा नहीं है, पंचायत के बिना सरकार स्वास्थ्य की परिस्थितियों को सुधार ही नहीं सकती। हर पंचायत को यह हक है कि वह अपने स्वास्थ्य की वार्षिक योजना बनायें और सरकार द्वारा दी गयी बहुत सी सुविधाओं जैसे टीकाकरण, योजनाओं का लाभ, आंगनवाड़ी केन्द्र को इस प्रकार संचालित करें कि पंचायत में रहने वाले सभी लोगों को उनका फायदा मिले। पंचायत अपने गांवों के लिये प्रशिक्षित दाई रख सकती है। साफ–सफाई और साफ पानी की देखभाल कर सकती है। आंगनवाड़ी केन्द्र खुलने एवं ए.एन.एम के आने का समय व दिन सुनिश्चित कर सकती है।

रमा **मध्यप्रदेश सरकार ने पंचायत को स्वास्थ्य में क्या जिम्मेदारियां सौंपी हैं ?**

गीता पंचायत स्वास्थ्य विभाग और समुदाय के बीच की एक कड़ी है इसलिये वह महत्वपूर्ण है । अब तो सरकार ने यह महसूस किया है कि पंचायत के बिना देश में स्वास्थ्य की परिस्थितियों को सुधारना बहुत मुश्किल है । राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो कि गांवों में स्वास्थ्य की परिस्थितियों को बेहतर करने के लिया लाया गया है उसमें पंचायतों को जोड़ने के लिये विशेष प्रावधान है और कुछ संसाधन भी हैं ।

पंचायत की दो महत्वपूर्ण समितियां हैं –

- पंचायत की निर्माण समिति
- पंचायत की विकास समिति

गीता निर्माण समिति में तो सीधे–सीधे निर्माण के कामों का प्रावधान है लेकिन पंचायत की विकास समिति का सम्बन्ध है शिक्षा, स्वास्थ्य और इसी तरह के महत्वपूर्ण विकास के कामों से। मध्यप्रदेश प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में पंचायत की विकास समितियों को गांव के स्वास्थ्य का नियोजन करने की जिम्मेदारी दी है। स्वास्थ्य नियोजन में छोटे–मोटे खर्चों को पूरा करने के लिये विकास समिति को 10,000 रू. की सालाना एक मुश्त राशि भी दी जा रही है। वह इन 10000रू. से स्वास्थ्य को

लेकर विभिन्न खर्चे कर सकती है। जैसे – बरसात के समय में डी.डी.टी का छिड़काव, किसी बीमारी के प्रकोप में स्वास्थ्य विभाग की मदद से स्वास्थ्य शिविर का आयोजन, किसी प्रकार का स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम, गरीब समुदायों के लिये ग्रेन बैंक का निर्माण, कुछ मामूली बीमारियों के लिये अक्सर इस्तेमाल होने वाली दवाईयों को पंचायत में उपलब्ध करवाना।

इसके अतिरिक्त पंचायत स्तर पर एक पानी व स्वच्छता स्थिति की भी शुरूआत की जा रही है जिसका मुख्य कार्य है साफ पेयजल की उपलब्धता व पंचायत के स्तर पर स्वच्छता एवं सफाई प्रबन्धन । इस समिति के खाते में भी 10000 रू. वार्षिक राशी का प्रावधान किया गया है जिससे वह गांव स्तर पर सफाई एवं पेयजल की व्यवस्था रखने में मदद कर सकें।

कार्य – गांव के विकास की योजना बनाना और क्रियान्वयन में मदद करना, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि।

सम्भावनायें –

रमा **यह बताओ गीता कि पानी से कौन सी बीमारियां होती है और पंचायत पानी को लेकर क्या कर सकती है ?**

गीता गन्दे पानी से हमें हेजा, उल्टी, दस्त, पीलिया जैसे कई रोग होते हैं। मेरे मायके पास ही एक गांव है मानपुरा, जहां पर जब गर्मियों में हैण्डपम्प सूख जाता था तो लोग पास के एक खुले कुऐं से पानी लेने लगते थे। साल दर साल गर्मियों में इस गांव में लगभग सभी बच्चे और बड़े दस्त का शिकार होते थे और लगभग 15–20 लोगों को पीलिया जैसी बीमारी भी हर साल होती थी। सभी गांव वाले एक बार जब ग्राम सभा में बैठे थे इस बारे में चर्चा होने लगी। यह सभी को समझ में आ गया कि यह बीमारी कुऐं के गन्दे पानी की वजह से ही फैल रही है। लेकिन कोई ओर चारा भी नहीं था, गर्मियों में गांव के 7 हैण्डपम्प में से 5 तो बिल्कुल सूख जाते थे अथवा इतने कड़े चलते थे कि एक बाल्टी भरने में ही महिलओं का हाथ दर्द हो जाता था। जब मीटिंग में इन सब पर बात हुयी तो ग्राम सभा में प्रस्ताव बनाया गया कि गांव में नलजल योजना शुरू की जाये। प्रस्ताव तो पूरी सहमती से पास हो गया । यह बात तब की है जब गांव की स्वास्थ्य समिति द्वारा पंचायत के अनुमोदन के बाद यह प्रस्ताव पी.एच. ई.डी विभाग में दिया जाता था। चूंकि यह प्रस्ताव पूर्ण सहमती से गांव में पास हुआ था और इसमें लोगों की पानी की समस्या को लेकर बहुत स्पष्टता से लिखा था इसलिये यह प्रस्ताव पास भी हो गया । गांव में नलजल योजना लगायी गयी। इसमें बोरिंग कराने के लिये गांव के लोगों ने पंचायत के साथ मिलकर एक ऐसी जगह का चुनाव किया जहां पर बरसात के तीन–चार महीने बाद तक एक बरसाती नदी बहती थी और टंकी लगायी गांव के बीचो–बीच। पंचायत व पी.एच.ई.डी के साथ मिलकर गांव के सभी मोहल्लों में मोहल्ला स्तर पर एक–एक कनेक्शन दिये । अब गर्मियों में इस गांव में नल–जल योजन से ही पानी लिया जाता है। गांव के लोग खुद ही कहते हैं कि अब हर घर में उल्टी, दस्त, पीलिया जैसी बीमारियां बहुत कम हो गयी हैं है और हर घर में इन बीमारियों पर होने वाला लगभग 1000 रू. बच रहा है।

रमा **क्या साफ–सफाई रखने में पंचायत हमारी मदद कर सकती है ?**

गीता साफ–सफाई और बीमारी का गहरा सम्बन्ध है यह तो हम जानते ही हैं। सड़क पर फैली हुयी गन्दगी, हैण्डपम्प के आस–पास चारों तरफ गन्दा पानी, गांव में पड़ी खुली शौच इन्हीं सबमें तो कीटाणु पनपते हैं। इधर–उधर पड़े हुये मल के बीच हमारे बच्चे खेला करते हैं। उसी में ही ढोर–डंगर चलते हैं। बच्चे तो कुछ बचकर भी निकल जाते होंगे लेकिन जानवर तो अक्सर इस पर पांव ही रख देते हैं। जिस शौच के लिये हम घर से इतनी दूर जाते हैं वह फिर से हमारे करीब आ जाती है। भले ही वह हमें आंख से इतनी नजदीक न दिखे लेकिन जान–अनजाने यह हमारे हैण्डपम्प, हमारे घर, हमारे कुऐं, सभी के आस–पास पहुंच जाता है – गांव भर का गन्दा मल ।
गड्ढों में जमे हुये पानी में अनगिनत मच्छर पैदा होते हैं और अगर नाली की सफाई नहीं हुयी तो हम सभी जानते हैं कि मच्छर तो बैठना तक मुश्किल कर देते हैं। यानि गन्दगी को तो दूर करना ही है।

इसमें अकेले पंचायत तो कुछ नहीं कर सकती है लेकिन अगर हम भी साथ हो लें और पंचायत की मदद करें तो पंचायत कई ऐसी व्यवस्था बना सकती है जिससे कि गांव में स्वच्छता बढ़े। पंचायत अपने व गांव के लोगों के संसाधनों को जोड़कर घरों के बाहर, हैण्डपम्प के आस–पास सोखता गड्ढा बनवा सकते हैं जिससे पानी का जमाव तो रोका जा सके।

जानती हो हमारे गांव को इस बार निर्मल पंचायत का पुरस्कार भी मिला है। हमारे गांव के हर घर ने और हर हैण्डपम्प के आगे सोखता गड्ढा है इसलिये इस्तेमाल किया हुआ पानी चारों तरफ नहीं फैलता। राजूखेड़ी में हर घर में शौचालय भी है। इसलिये कोई खुले में शौच नहीं जाता । मैं ही क्या राजूखेड़ी की सभी महिलाये गर्व से फूली नहीं समाती। वो कहती हैं कि हमारे गांव में न गन्दगी है न बीमारी। हमारे गांव में उल्टी, दस्त, हैजा जैसी बीमारियां पहले से कहीं कम हो गयी हैं। इन सबकी शुरूआत में पंचायत की एक प्रमुख भूमिका थी। पंचायत ने राजूखेड़ी गांव के सभी बी.पी.एल परिवारों को चिन्हित करके सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रस्ताव बनाया । इससे सभी गरीब परिवारों को शौचालय बनाने के लिये 1200 रू. मिले। कुछ अतिरिक्त संसाधन पंचायत ने दिये और बचे हुये पैसे लोगों ने स्वयं लगाये। अब हम राजूखेड़ी जाये तो हमें कहीं भी इधर–उधर पड़ा मल नहीं दिखता।

रमा **पोषण आहार में पंचायत की क्या कोई भूमिका है ?**

गीता घर में पके सादे लेकिन संतूलित भोजन की तो कोई तुलना ही नहीं, लेकिन फिर भी जाने–अनजाने कई हजारों लोग कुपोषण के शिकार हैं, खास तौर से माताऐं व बच्चे । हमारे स्वास्थ्य ही नहीं शिक्षा कार्यक्रमों में भी बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य के लिये पोषण आहार की व्यवस्था है।

यही नहीं भारत की तमाम गरीब जनसंख्या को जिनमें से हमारे सीहोर के ही हजारों परिवार आते हैं, शासन द्वारा संचालित राशन व्यवस्था पर आश्रित हैं और उचित मूल्य की दुकानों से ही उनका खान–पान चलता है। सरकार की इतनी व्यवस्थाओं के बावजूद, जिनमें शामिल हैं आंगनवाड़ी केन्द्र, बालवाड़ियां, स्कूलों में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम और राशन व्यवस्था, भी बहुत से लोग इन व्यवस्थाओं का लाभ

नहीं उठा पाते। कारण है यह व्यवस्थायें अक्सर अपनी मनमानी करती हैं या फिर अपने कार्यों के प्रति उदासीन रहती हैं।

यहीं से शुरू होता है पंचायत का कार्यक्षेत्र। हमारे गांव में हमारे पंचायत में अगर आंगनवाड़ी नियमित रूप से नहीं खुलती है तो हम ग्राम सभा में आंगनवाड़ी के विरूद्ध प्रस्ताव पास कर, सरपंच के हस्ताक्षर के साथ, जिले के महिला एवं बाल विकास अधिकारी को उचित कार्यवाही के लिये भेज सकते हैं। ग्राम सभा और पंचायत को अपनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को चुननें का भी अधिकार है अर्थात यदि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ठीक से काम नहीं कर रही तो हम उसे बदलने के लिये प्रस्ताव पारित कर सकते हैं। साथ ही पंचायत, पंचों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, ए.एन.एम और गांव के साधारण लोगों के माध्यम से यह आसानी से पता लगा सकती है कि गांव के कौन से बच्चे बहुत अधिक कुपोषित हैं–जिसे आम तौर पर ग्रेड–3 या 4 का कुपोषण भी कहा जाता है। पंचायत की मीटिंग में बैठकर ऐसे बच्चों के लिये विशेष योजना बनाने के लिये तो सभी आगे आ जायेंगे।

यही कर सकती है पंचायत मध्यान्ह भोजन को लेकर। अगर भोजन नियमित रूप से नहीं बंट रहा है या उसकी गुणवत्ता खराब है तो पंचायत और ग्राम सभा पालक शिक्षक संघ के अध्यक्ष के विरूद्ध कार्यवाही कर सकती है। ग्राम सभा में पालक शिक्षक संघ के आय–व्यय का और मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता की चर्चा की जा सकती है। इसी तरह छोटी–छोटी मदद से पंचायत अपने गांवों के पोषण के स्तर को बढ़ा सकती है और साथ ही स्वास्थ्य को भी।

रमा **बच्चों के टीकाकरण में पंचायत क्या कर सकती है और नियमित टीकाकरण क्यों आवश्यक है ?**

गीता बच्चों को छः जानलेवा बीमारियां जैसे, गलघोटू, कुक्कर खांसी, टेटनस, खसरा, क्षय रोग एवं पोलियो से बचाने के लिये बच्चों का टीकाकरण जरूरी है। दिक्क्त यह आती है कि हम सब अपने कामों में इतने व्यस्थ हैं कि सरकारी अस्पताल जाकर टीका लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर यह अस्पताल कई बार तो गांव से इतना दूर पड़ जाते हैं कि टीका लगवाने के लिये एक पूरा दिन ही निकल जाये, मजदूरी के नुकसान के साथ–साथ आने जाने का खर्चा और अलग। लेकिन हमारी पचांयतों में व्यवस्था है कि स्वास्थ्य विभाग के तरफ से ए.एन.एम नियमित रूप से दौरा करेगी और पंचायत में ही बच्चों का टीका लगायेगी।

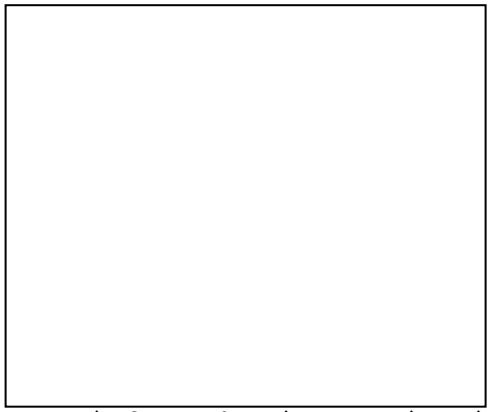

परेशानी तब होती है जब ए.एन.एम नियमित रूप से आती नहीं है और यदि आती भी है तो अधिकतर लोग उससे मिल नहीं पाते। बहुत से बच्चे टीकाकरण से छूट ही जाते हैं। इसके अलावा गांव में अधिकतर परिवारों को तो टीकाकरण के बारे में ठीक से पता तक नहीं है जिससे लोग खुद भी इस बारे में सोचते नहीं है।

पंचायतों को स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की निगरानी करने का अधिकार है। अर्थात अगर ए.एन.एम नियमित रूप से नहीं आती है तो पंचायत पंचों के, पंचायत की स्वास्थ्य समिति के, पंचायत की विकास समिति के, ग्राम सभा के कुछ सदस्यों के मिले जुले हस्ताक्षर के साथ पंचनामा ऐसा करके ए.एन.एम की शिकायत जिला स्वास्थ्य विभाग, कलेक्टर कार्यालय, जिला पंचायत अथवा राज्य स्तरीय स्वास्थ्य विभाग को भेज सकती है। पंचायत एक चुनी हुयी संवैधानिक इकाई है इसलिये शासन की तरफ से उसे मदद मिलने की पूरी उम्मीद भी है।

लेकिन कई बार ए.एन.एम आती है तो लेकिन कुछ एकाध घरों में रूक कर ही वापस चली जाती है। पूरे गांव को पता ही नहीं चलता । ऐसे में पंचायत ए.एन.एम के आने का दिन, समय एवं स्थान निश्चित कर सकती है जिससे सभी लोगों को जानकारी हो। ए.एन.एम के आने से पहले डोंडी भी पिटवा सकती है जिससे लोगों को मालूम पड़ जाये कि ए.एनएम के दौरे पर है।

रमा इन सभी विषयों के अलावा भी पंचायत क्या स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिये कुछ कर सकती है ?

गीता हां क्यों नहीं, सीहोर में ही एक जमुनिया पंचायत है जहां पर तीसरी बार एक महिला जीत कर सरपंच बनकर आयी है । उन्होंने अपनी पंचायत में शराब के खुली खरीदी पर रोक लगा दी थी, यही नहीं जब लोग शराब पीकर अपनी पत्नियों को पीटते है तो सरपंच ऐसे पुरूषों पर बहुत सख्ती से पेश आते हैं। इसके अलावा हम लोग ग्राम सभा में बैठकर यह तय कर सकते हैं कि अगर शराब बेचने के लिये कोई पंचायत में आयेगा तो उसको जुर्माना देना पड़ेगा।

इसके अलावा पंचायत स्वास्थ्य विभाग की मदद से गांव में स्वास्थ्य कैम्प लगवा सकती है। अगर गांव में कोई उपस्वास्थ्य केन्द्र है और नियमित नहीं खुलता तो उसकी शिकायत कर सकती है। सरपंच की जान पहचान तो एम.एल.ए तक होती है फिर वह अक्सर जिला पंचायत तो जाते ही रहते हैं मीटिंग वगैरह के लिये अतः इन सभी विषयों पर वह बराबर जिला पंचायत में, कलेक्टर महोदय को सी.एम.ओ साहब को अपने स्वास्थ्य कर्मचारियों के बारे में सूचित कर सकते हैं। अगर गांव वालों को साथ लेकर सरपंच ऐसा करेंगे तो जीत निश्चित ही उनकी होगी।

रमा ठीक है गीता तुमने इतनी सब बातें तो बताई लेकिन पंचायतों से जुड़ी पूरी बात कैसे समझें ?

गीता तुम्हारी पूरी बात का मतलब क्या है ?

रमा मेरा मतलब है कि तुम हमें शुरू से बताओ कि ये पंचायतों की बात शुरू कहां से हुयी, किसने बनाई, कैसे बनी, स्वास्थ्य से जुड़ी इनकी जिम्मेदारियां क्या हैं, स्वास्थ्य से जुड़ी योजनायें कौन सी हैं, कैसे और कौन उनका लाभ ले सकता है और पंचायत इसमें क्या मदद कर सकती है ?

गीता अच्छा, तुम तो बहुत कुछ जानना चाहती हो तो सुनो, सबसे पहले बताते हैं तुम्हें पंचायतों का जन्म और इतिहास, फिर तुम्हें बतायेंगे पंचायत और हमारा स्वास्थ्य इसके बाद तुम्हें बताते हैं स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ खास योजनायें। ठीक है रमा तो अब तुम इस किताब के तीन पाठ।

दृश्य 1

रामसिंह सरपंच जी पिछले महीने से दो हैण्डपम्प टूटे हुये हैं और एक तो जाने कब से सूखा है।

सरपंच सही याद दिलाया, मैं भी बेकार के चक्करों में यह भूल ही गया था । इसी बार की 11 सूत्री में देखता हुँ कि यह शिकायत दर्ज हुयी की नहीं और अगर दर्ज है तो ठीक होने के बारे में क्या लिखा है। अगर कहीं कुछ गड़बड़ है तो परसों जब मैं ब्लॉक ऑफिस जाउंगा तो जरूर इस बारे में बात करूंगा। एक काम और करो जरा सारे हैण्डपम्प चेक कर लो कि और किसी में भी दिक्कत तो नहीं है।

रामसिंह बाकी तो ठीक ही हैं। बस सुखिया के घर के आगे वाला थोड़ा कर्रा चल रहा है।

सरपंच सुनो जरा नन्कू के घर से थोड़ा सा मोबिल ऑइल लेकर हल्का सा डाल तो दो हैण्डपम्प में, नही तो कल को यह भी टूट जायेगा। लेकिन जो सूख गया है उसके बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। ऐसा करते हैं कि जब मंगलवार को कलेक्टर साहब एक दिन समाधान पर बैठते हैं तभी पूछते हैं कि सूखे हैण्डपम्प के बारे में क्या करें।

रामसिंह हां यह ठीक रहेगा । मेरे साले के गांव में मैने देखा कि लोगों ने हैण्डपम्प के आगे सोख्ता गड्ढा बनाया है। जिससे जमीन में पानी भी जाता रहता है और चारों तरफ पानी फैला भी नहीं रहता ।

सरपंच अच्छा किया जो तुमने खुद ही बात उठा दी, मैं कहता तो सब यही कहते कि सरपंच अपनी चला रहा है। गांव में अगर आठ हैंण्डपम्प हैं तो पांच के आगे तो कीचड़ भरा हुआ है जानवरों को पानी पिलाने के लिये सीधे हैण्डपम्प ले आते हैं। मैने देखा कल नन्कू की बाई जहां पानी की बाल्टी रखे थी वहीं किशन की भैंस के खुरों में लगा गांव भर का मैला जगह को गन्दा कर रहा था। किशन को टोक देता तो उसे बुरा लग जाता ।

रामसिंह बात तो सौलह आने सही कही, लेकिन कुछ करना तो पड़ेगा। कुछ अपनी बाईयों को समझाना पड़ेगा और कुछ गांव के और लोगों को ।

सरपंच ऐसा करते हैं कि शाम को जब चौपाल पर बैठेंगे तो अपन इस बात में जरा चर्चा कर लेंगे।

रामसिंह सही कह रहे हो सरपंच जी। मैं सबको कह भी दूंगा कि शाम को चौपाल पर आ जायें।

अध्याय–3
पंचायतों में स्वास्थ्य योजनायें, कार्यक्रम और कार्यकर्ता

स्वास्थ्य से जुड़ी योजनायें एवं कार्यक्रम

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन क्या है ?

पंचायती राज संस्थायें एक ऐसा निकाय है जिसको संवैधानिक दर्जा मिला है और लोगों ने चुना भी है। इसके अलावा पंचायत इकाईयों की विशेषता है कि वे समुदाय के बहुत करीब है। शायद ही कोई ऐसा निकाय होगा जो कि लोगों के इतने करीब होगा। अतः लोगों के स्वास्थ्य समस्याओं को समझना और उससे निपटना जितना पंचायतों के लिये संभव है वह किसी भी विभागीय संरचना के लिये संभव नहीं है। हालांकि इस काम को करने के लिये पंचायतों को विभाग विशेष तौर से स्वास्थ्य विभाग का सहयोग लेना पड़ेगा। यह समझते हुये राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ने पंचायतों को एक महत्वपूर्ण इकाई के रूप में देखा। यही नहीं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने यह कोशिश करी कि कैसे वह ढांचे में आधारभूत परिवर्तन करने जिससे वह समुदाय की स्वास्थ्य समस्याओं को समरसता व एकीकृत भाव से निपटा सके।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की मुख्य रणनीति है पंचायती राज संस्थाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक व सशक्त करना। जिससे वह स्वास्थ्य कार्यक्रमों के प्रबंधन व बेहतरी में मुख्य भूमिका निभा सके। जो मुख्य पंचायती ढांचा इस कार्यक्रम के लिये उत्तरदायी है वह है ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति जो कि पंचायतों की एक स्थायी समिति है। मध्यप्रदेश में पंचायतों के कार्य को प्रभावी तरीके से चलाने के लिये दो समितियों का गठन किया गया था। एक है पंचायत निर्माण समिति व दूसरी पंचायत विकास समिति । पंचायत की इस विकास समिति का अन्य विकास कार्यक्रमों के अलावा स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों में भी मुख्य भूमिका है। पंचायत की स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति व विकास समिति समुदाय, ए.एन.एम, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा इत्यादि के साथ मिलकर अपने गांव के स्वास्थ्य की योजनायें बनायेंगी। जनपद व जिला स्तरीय पंचायत समितियां ग्राम पंचायत से आये हुये स्वास्थ्य योजनाओं को जिला स्वास्थ्य मिशन में सम्मिलित करेंगे।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के मुख्य घटक

- प्रत्येक गांव में एक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता–आशा की तैनाती।
- पंचायत की स्वास्थ्य और सफाई समिति की अध्यक्षता में समुदाय के साथ जुड़कर अपने गांव की स्वास्थ्य की योजना बनाना।
- रोजमर्रा के इलाज के लिये ग्रामीण अस्पतालों को मजबूत करना तथा उन्हें समुदाय कि प्रति जवाबदेह बनाना।
- स्थानीय स्वास्थ्य परम्पराओं को पुनः जीवित करना जिसे आयुष का नाम दिया गया है।
- बेहतर स्वास्थ्य प्रबंधन के लिये कार्यक्रमों का विकेन्द्रीकरण ।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के प्रमुख बिन्दु

- राज्यों को अपने सहमति ज्ञापनों में पी.आर.आई को निधियों, कार्मिकों और स्वास्थ्य के लिये कार्यक्रमों के प्रत्यायोजन के लिये प्रतिबद्धता व्यक्त करनी होगी।
- जिला स्वास्थ्य मिशन जिला परिषद के नेतृत्व में काम करेगा। बी.एच.एम, जिले में स्थित सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों, उपकेन्द्रों, पी.एच.सी और सी.एच.सी का नियंत्रण, मार्गदर्शन और देखरेख करेगा।
- आशा का चयन ग्राम पंचायत द्वारा किया जायेगा और यह ग्राम पंचायत के प्रति जवाबदेह होगी।
- पंचायत की ग्राम स्वास्थ्य और सफाई समिति एक ग्राम स्वास्थ्य योजना तैयार करेगी और अंतःक्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा देगी।
- प्रत्येक उपकेन्द्र को दस हजार रूपये प्रतिवर्ष की दर से स्थानीय कार्रवाई के लिये मुक्त निधि उपलब्ध कराई जायेगी। यह निधि ए.एन.एम और सरपंच के संयुक्त बैंक खातें में जमा करा दी जायेगी और इस खाते को ए.एन.एम द्वारा ग्राम स्वास्थ्य और सफाई समिति के परामर्श से संचालित किया जायेगा।
- उत्तम अस्पताल प्रबंधन के लिये पी.आर.आई को रोगी कल्याण समितियों में सहयोजित किया जायेगा।
- पी.आर.आई के सदस्यों के प्रशिक्षण की व्यवस्था।
- पंचायतों सहित सभी स्तरों पर सभी लाभभोगियों के लिये स्वास्थ्य संबंधी डाटा बेस उपलब्ध कराये जायेंगे।

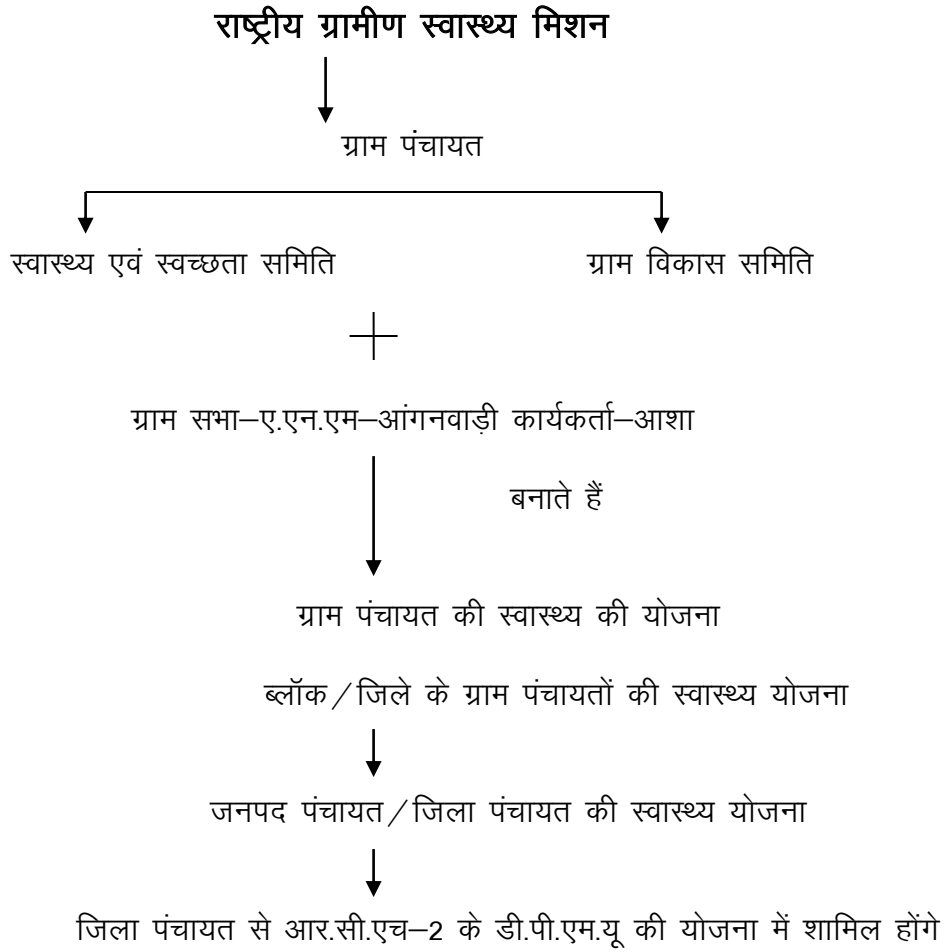

जननी सुरक्षा योजना

गर्भवती होना महिला के प्रजनन काल में प्राकृतिक अवसर है परन्तु गर्भावस्था के और प्रसव के दौरान कुछ मुश्किलें आ सकती हैं, जो कि मां और उसके बच्चे के लिये जानलेवा साबित हो सकती है। हममे से बहुत सी बहने जब छोटी थी तब हम देखा सुना करते थे कि कई महिलाओं व बच्चों की जान प्रसव के दौरान जाती है। आज भी अगर हम चारों तरफ नजर डाले तो कितनी बहनें बच्चों को जनने के दौरान मुश्किलों में फंस जाती हैं। कई ऐसे प्रसव में माऐं अपनी जान खो देती हैं व कई नवजात शिशुओं की मृत्यु हो जाती है।

कारण यह होता है कि सही समय पर सही सुविधा नहीं मिलने से छोटी और मामूली परेशानी भी मृत्यु का कारण बन जाती है। आम तौर पर पहले यह प्रथा थी कि प्रसव घर पर ही होता था और घर पर होने के कारण कई बार आपात कालीन सुविधायें नहीं मिल पाती या फिर कई बार घर का माहौल/साफ–सफाई बच्चा जनने के लिये अनुकूल नहीं होता । प्रत्येक परिवार में अलग–अलग तरह की प्रथायें होती है। कहीं मां के कमरे को गोबर से लीपा जाता है तो कहीं राख से । कई बार ऐसी बहुत सी प्रथायें समय के अनुसार पीछे रह गयी हैं और उनमें से कई तो मां और बच्चे दोनों के लिये नुकसानदायी भी हो जाती हैं।

इसके अलावा प्रसव का स्थान, प्रशिक्षित दाई की उपलब्धता, साफ उबले उपकरणों की उपलब्धता और विशेष परिस्थितियों में जानकार डॉक्टर इत्यादि का होना – सभी जरूरी है मां और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य के लिये। कई बार यह सभी सुविधायें घर पर उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। और जब बहुत कठिन परिस्थिति हो जाती है तो हम आनन–फानन में मां को अस्पताल ले जाने की कोशिश करते हैं। कई बार हमारी यह कोशिश पूरी नहीं हो पाती और गर्भवती माता रास्ते में दम तोड़ देती है।

इसलियें जरूरी है कि प्रसव के लिये अस्पताल जाया जाये। जहां पर सभी तरह की सुविधा जैसे डाक्टर, नर्स, दवा, उपकरण सभी एक छत के नीचे मिल जाते हैं। इसके साथ यदि किसी कारण से कुछ परिस्थिति बिग

उद्देश्य – इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं को सुरक्षित प्रसव के लिये अस्पताल में प्रसव कराने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है।

विशेष ध्यान देने योग्या बात –

- वह गर्भवती महिलायें जिनकी दो या उससे कम जीवित संतान है।
- यदि दो से अधिक संताने है तो गर्भवती महिला को इस योजना का लाभ तभी मिलेगा अगर वह नसबन्दी कराने के लिये तैयार हो जाती हैं।
- इस योजना का लाभ तभी मिलता है जब प्रसव किसी शासकीय अस्पताल में हो और महिला प्रसव के दौरान अस्पताल में तीन दिन तक भर्ती रहे जिससे उसकी व बच्चे की पूरी देखभाल हो सके।
- पंचायत की वह महिला जो गर्भवती महिला को अस्पताल में प्रसव के लिये प्रोस्तसाहित करती है उसे प्रोत्साहन राशि की अलग से व्यवस्था है। अधिकतर यह प्रोत्साहन राशि आशा, ए.एन.एम अथवा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को दी जाती है।
- इसके अतिरिक्त कुछ राशि गर्भवती महिला को अस्पताल पहुंचाने हेतु वाहन सुविधा उपलब्ध कराने के लिये भी रखी गयी है। यह राशि लगभग – 200 रू की है।

इस योजना का लाभ उठाने और सुरक्षित प्रसव के लिये क्या–क्या करना जरूरी है–

- जैसे ही पता चले कि घर की बहु या बेटी गर्भवती है तो सबसे पहले उसका पंजीयन आंगनवाड़ी में करायें। जिससे उसे नियमित रूप से टीके लग सकें और पोषण आहार भी मिल सके।
- प्रसव का समय आने से पहले ही वाहन आदि सुविधाओं की व्यवस्था करके रखें जिससे समय आने पर जरूरी मदद मांगी जा सके। यह वाहन चाहें तो अपने घर का ट्रेक्टर हो सकता है या फिर गांव में किसी ओर का भी।
- यदि आसानी से वाहन नहीं उपलब्ध हो रहा है तो इस बात की सूचना पंचायत अथवा स्वास्थ्य कार्यकर्ता कौ दी जा सकती है जिससे वाहन उपलब्ध करवाने में मदद कर सके।
- प्रसव का समय निकट आने पर आशा कार्यकर्ता या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को सूचित कर दें जिससे वह अपने काम निपटाकर गर्भवती महिला की देखभाल व मोटा उपचार कर सके।
- प्रसव के लिये नजदीकी शासकीय अस्पताल का पता व सीन की जानकारी तो पहले से होनी ही चाहिये साथ में ही आंगनवाड़ी में करे गये पंजीयन इत्यादि के बारे में भी जानकारी लेकर ही जायें जिससे किसी प्रकार का समय नष्ट नहीं हो।
- प्रसव के उपरांत मां और बच्चे दोनों की देखभाल के लिये जब तक डाक्टर कहें अस्पताल में रूकें व जननी सुरक्षा योजना का फार्म जरूर भरवा लें, अधिकतर इस फार्म को भरने के लिये अस्पताल में उपलब्ध नर्स इत्यादि मदद कर देते हैं। ऐसा करने पर ही उन्हें जननी सुरक्षा योजना का लाभ मिल पायेगा।

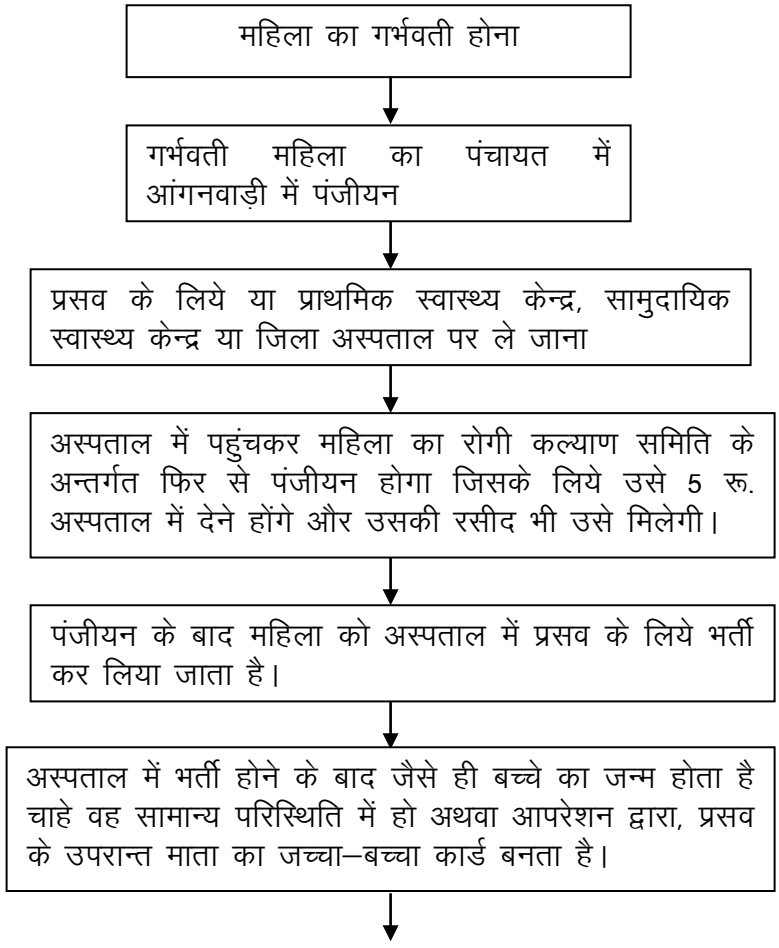

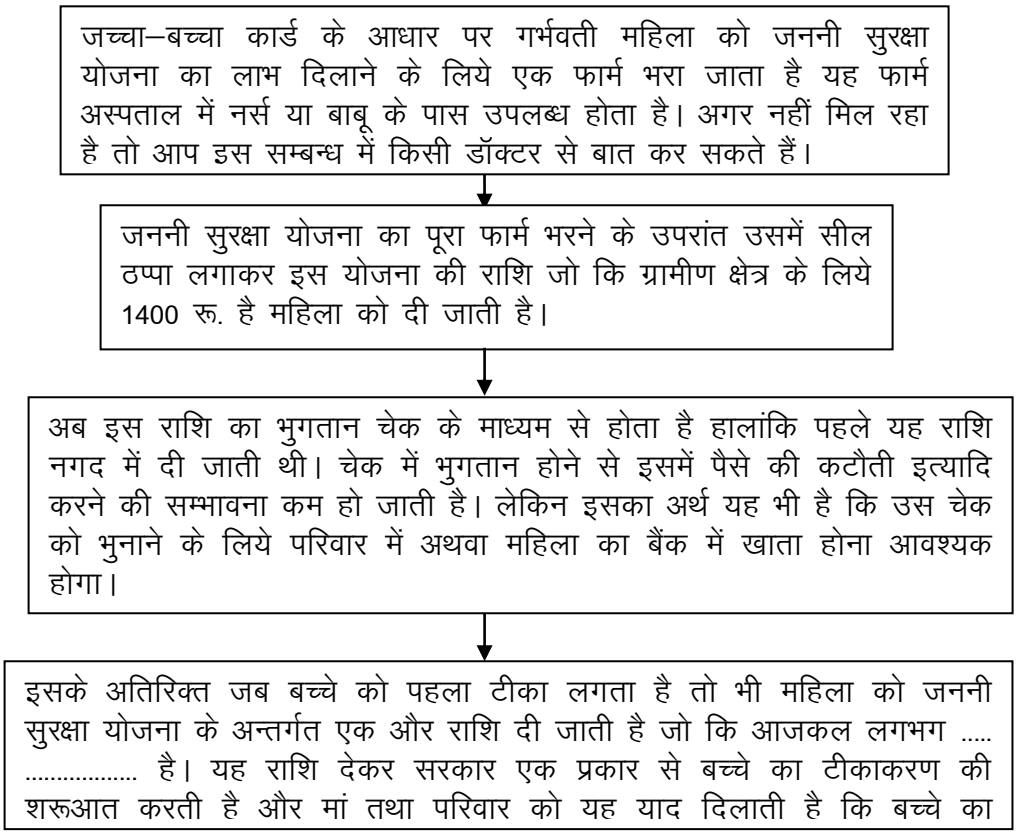

जच्चा–बच्चा कार्ड के आधार पर गर्भवती महिला को जननी सुरक्षा योजना का लाभ दिलाने के लिये एक फार्म भरा जाता है यह फार्म अस्पताल में नर्स या बाबू के पास उपलब्ध होता है। अगर नहीं मिल रहा है तो आप इस सम्बन्ध में किसी डॉक्टर से बात कर सकते हैं।

↓

जननी सुरक्षा योजना का पूरा फार्म भरने के उपरांत उसमें सील ठप्पा लगाकर इस योजना की राशि जो कि ग्रामीण क्षेत्र के लिये 1400 रू. है महिला को दी जाती है।

↓

अब इस राशि का भुगतान चेक के माध्यम से होता है हालांकि पहले यह राशि नगद में दी जाती थी। चेक में भुगतान होने से इसमें पैसे की कटौती इत्यादि करने की सम्भावना कम हो जाती है। लेकिन इसका अर्थ यह भी है कि उस चेक को भुनाने के लिये परिवार में अथवा महिला का बैंक में खाता होना आवश्यक होगा।

↓

इसके अतिरिक्त जब बच्चे को पहला टीका लगता है तो भी महिला को जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत एक और राशि दी जाती है जो कि आजकल लगभग .... है। यह राशि देकर सरकार एक प्रकार से बच्चे का टीकाकरण की शरूआत करती है और मां तथा परिवार को यह याद दिलाती है कि बच्चे का

जननी सुरक्षा योजना

उद्देश्य : इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को संस्थागत प्रसव कराने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है।

पात्रता : उन सभी गर्भवती महिलाओं को लाभ प्राप्त करने की पात्रता होगी जिनका प्रसव शासकीय अस्पताल के जनरल वार्ड में भर्ती रह कर कराया गया हो। मान्यता प्राप्त निजी संस्था में प्रसव कराने वाली गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों तथा अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग की महिलाओं को भी योजना से लाभ प्राप्त होगा।

योजना का स्वरूप एवं कार्यक्षेत्र : हितग्राही महिला को शासकीय अस्पताल के जनरल वार्ड में भर्ती रह कर प्रसव कराने पर ग्रामीण क्षेत्र में रूपये 1400 तथा शहरी क्षेत्र में रूपये 1000 की राशि दी जाती है। यह राशि प्रसवोपरांत एकमुश्त दी जाती है। हितग्राही महिला को इस योजना के अंतर्गत संस्थागत प्रसव के दौरान समस्त सेवायें (औषधी, सामग्री आदि) संबंधित शासकीय संस्था द्वारा निःशुल्क प्रदान की जाती है। इसके साथ ही गर्भवती महिला को अस्पताल तक पहुंचाने वाली प्रेरक महिला को भी ग्रामीण क्षेत्र में रूपये 600 शहरी क्षेत्र में रूपये 200 प्रोत्साहन राशि दी जाती है। जननी सुरक्षा योजना मध्यप्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों, जिला चिकित्सालयों तथा अन्य सभी चिन्हांकित शासकीय अस्पतालों में जहां 24 घण्टें प्रसव की सुविधायें उपलब्ध है, लागू की गई है। जननी सहयोगी योजना के अंतर्गत मान्यता प्राप्त सभी निजी चिकित्सालयों में भी योजना का लाभ प्राप्त किया जा सकता है।

दृश्य – 4

अनीता — सुना है राधा को लड़की होने पर अस्पताल में पैसे मिले हैं।

गायत्री — हां तुम्हे नहीं पता, जननी सुरक्षा योजना कहते हैं इसको, अगर अस्पताल में बच्चा हो तो सरकार की तरफ से पैसा मिलता है।

अनीता — बच्चा होने पर पैसा .....! सुना तो मैने भी है मेरी भाभी कह रही थी लेकिन विश्वास नहीं हुआ।

गायत्री — नहीं मैने तो खुद अपनी ननद को अस्पताल लेकर गयी थी उसे भी पैसे मिले। 800 रू. मिले। मिलने तो 1400 चाहिये थे लेकिन 200–200 करके तीन जगह तो नर्सों ने और कर्मचारियों ने कमीशन ले लिया। गाड़ी के लिये अलग से पैसे मिले थे सो तो दिये ही नहीं।

अनीता — अरे क्या गाड़ी का भी मिलता है ?

गायत्री — हां जननी सुरक्षा योजना में जो गाड़ी मां को अस्पताल लेकर जाती है उसके लिये अलग से ....रू. मिलते हैं।

अनीता — यह तो बहुत अच्छा है लेकिन जो तुम्हें पैसे मिले नहीं या कमीशन में देने पड़े उसका क्या करोगी ? तुम्हे 1400 का 800 मिला कोई और सीधा होगा तो उसे तो 400 ही देंगे वो भी इतनी झिगझिग के बाद। कोई तो तरीका होगा जिससे पूरा ही पैसा मां को मिले। कम से कम बाद में उसकी खिलाई पिलाई और बच्चे की देखभाल के काम तो आयेगा। जो इतना खर्चा होता है उसमें कुछ पूरा हो जायेगा । बाबू या नर्स के पेट में गया तो उनका पेट और भी बढ़ेगा।

गायत्री — हां मेरे देवर ने लिखित में शिकायत की है कम पैसा मिलने की। पहले तो शिकायत जमा ही नहीं कर रहे थे लेकिन मेरा देवर भी बी.ए पास है वह भी भिड़ गया शिकायत की एक कापी तो अस्पताल में दी और एक कापी जिले के ऑफिस में भी दी । कह रहा था कि अगर कुछ कार्यवाही नहीं होगी तो कलेक्टर ऑफिस में भी जाकर बात करेगा।

अनीता — इतनी भागदौड़ में तो जो मिलना है उतना खर्च भी हो जायेगा। हो सकता है ज्यादा ही खर्च हो जाये। और बाद में कुछ मिले भी नहीं।

गायत्री — लेकिन अगर ऐसे ही छोड़ देंगे तो आज हमें परेशान करा, कल तुमको करेगे, परसों किसी ओर को। आजकल तो एक नया कानून भी आया हे उसको सूचना का अधिकार कहते हैं उसमें आप कई तरह की जानकारी मांग सकते हैं अस्पताल से । हमारे घर में लोग सोच रहे है कि अगले महीने इसी कानून से अस्पताल में एक अर्जी लगायेंगे कि हमने जो शिकायत करी थी कमीशन की उसपर क्या कार्यवाही हुई ।

अनिता — तुम तो बड़ी बड़ी बातें करती हो, तुम्हें डर नहीं लगता ऐसे कानून में उलझते हुये।

गायत्री — डरे तो मरे ! ऐसे ही डरते रहेंगे तो हमारा पैसा कभी हमको नहीं मिलेगा। और यह लोग हमारे पैसों को खा खा कर और ताकतवर हो जायेंगे, और फिर डरना किस बात का हमने थोड़ा न कोई चोरी की है जिसने चोरी की है वो डरे।

अनिता तुम्हारी हिम्मत देखकर तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। मुझे बताना कि तुम्हारी अर्जी पर क्या हुआ। मेरे दिमाग में यह भी आ रहा है कि तुम सरपंच जी से भी इस बारे में बात कर लो। हो सकता है वो भी तुम्हारी कुछ मदद कर सकें। और कुछ नही तो कम से कम स्वास्थ्य विभाग में एक बार तुम्हारी तरफ से बात ही कर लें।

गायत्री हां यह भी अच्छा रहेगा। मैं आज ही बोलती हूँ ।

राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम

उद्देश्य – गर्भवती महिलाओं और शिशुओं में होने वाली जानलेवा बीमारियों जैसे टिटनेस, पोलियो, टी.बी., काली खांसी, गलघोंटू एवं खसरे से बचाव करना है।

पात्रता – गर्भवती महिलाओं और 0 से 5 व र्ा की आयु के बच्चे

योजना का स्वरूप और कार्यक्षेत्र – गर्भवती महिलाओं को आवश्यकतानुसार टिटनेस के एक या टीके लगाये जावें। इससे महिला एवं नवजात शिशु दोनों की टिटनेस बीमारी से रोकथाम होगी। जन्म से एक व र्ा की आयु के बच्चों को बी. सी.जी, पोलियो, डी.पी.टी एवं खसरे का टीका, विटामिन 'ए' घोल की एक खुराक दी जाती है। इससे उल्लेखित 6 जानलेवा बीमारियों से बच्चों का बचात होता है।

टीकों की उपलब्धता – टीकाकरण सुविधाएं सभी आंगनवाड़ी केन्द्रों, स्वास्थ्य उप केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, जिला अस्पतालों और बड़े अस्पतालों में उपलब्ध हैं।

टीकाकरण समय सारणी

गभीवती महिलाओं के लिये	
गर्भावस्था के प्रारम्भ में	टी.टी.–1 इंजेक्शन
टी.टी –1 एक माह के बाद	टी.टी–2 या टी.टी बूस्टर (इंजेक्शन)
नवजात शिशु के लिये	
1.1/2 माह	बी.सी.जी. (इंजेक्शन)
	डी.पी.टी 1 (इंजेक्शन) तथा
	ओ.पी.वी.–1 (खुराक)
ढाई माह	डी.पी.टी 1 (इंजेक्शन) तथा
	ओ.पी.वी.–1 (खुराक)
साढ़े तीन माह	डी.पी.टी 3 (इंजेक्शन) तथा
	ओ.पी.वी– 3 (खुराक)
9 माह	खसरा (इंजेक्शन)
16 से 24 माह	डी.पी.टी बूस्टर (इंजेक्शन) तथा
	ओ.पी.वी. – बूस्टर (खुराक)

यदि शिशु का जन्म अस्पताल/क्लिनिक में हुआ हो तो उसे जन्म के समय बी.सी.जी इंजेक्शन दिया जाना चाहिये। यदि आपको इंजेक्शन देने/खुराक देने में देरी भी हो जाये तो आपको तब भी इसे अवश्य ही बच्चे को दिलवाना चाहिये। इसके संबंध में अपने स्वास्थ्य कार्यकर्ता से परामर्श लें।

दृश्य दो

शिवचरण — रमेश भाईसाहब, मैं सोच रहा था कि पाठ करा लेते हैं। आपको ढाई साल हो गये सरपंच बने, एक साल तो ठीक है लेकिन पिछले साल में तो गांव की दो बहुयें और एक बेटी जचगी में जाती रहीं।

सरपंच — सही कह रहे हो इस मंगलवार को नदी के पास वाले मन्दिर में सत्यनारायण की कथा कर देते हैं। लेकिन यह तो बताओ की भागचन्द की बहु ने टिटनेस का टीका लगवा लिया था और बाकियों ने भी।

शिवचरण — पता नहीं, टीके कौन लगवाता है पहले जमाने में भी तो बच्चे होते थे लेकिन कोई टीके लगते थे क्या।

सरपंच — नहीं भइया गर्भवती महिलाओं की नियमित जांच, अच्छा खाना पीना और सभी टीके बहुत जरूरी हैं। पहले नहीं लगते थे तो यह भी तो देखो की न मालूम कितनी औरतों की जान को जचगी में ही चली जाती थी।

शिवचरण — अब जरूरी भी है तो कौन घर–घर जाकर यह कहे कि टीके लगवाओ, टीके लगवाओ। खुद को भी तो सोचना चाहिये, मैने तो अपनी घरवाली को भी लगवाये थे और अभी बहन का भी पंजीयन करवा दिया है।

सरपंच — ऐसा करते हैं कि ाम को मीटिंग बुलाते हैं। सारे पंचों को इकट्ठा कर लो। सबको अपने मौहल्ले का तो पता होगा ही कि किस मौहल्ले में कोई बहु बेटी गर्भवती है क्या और क्या उसका पंजीयन हुआ है। शिवचरण मीटिंग बुलाने की जिम्मेदारी तुम्हारी। और सबसे यह भी कह देना कि पता कर लें पंजीयन के बारे में और अगर पंजीयन हो गये तो सुविधा भी मिल रही है कि नहीं।

शिवचरण — तो फिर ाम को मिलते हैं रमेश भइया।

पंजीयन

प्रजनन शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम को प्रभावी रूप से चलाने के लिए जन्म, विवाह, गर्भ और मृत्यु का पंजीयन जरूरी है।

1. **विवाह का पंजीयन :** विवाह की सही उम्र लड़के के लिये 21 वर्ष या अधिक एवं लड़की के लिये 18 वर्ष या अधिक है। इसके पहले शादी करना दंडनीय अपराध है। विवाह का पंजीयन निम्न कारणों से जरूरी है :–

- कम उम्र में गर्भधारण से लड़की के स्वास्थ्य पर बुरा असर होता है । साथ ही मानसिक रूप से परिपक्व नहीं हो पाने के कारण दंपत्ति परिवार की जिम्मेदारियों को सफलतापूर्वक नहीं उठा पाते।
- यदि विवाह का पंजीयन किया गया है तो नरए दंपत्ति का पता लगाना आसान होता है। ग्राम स्वास्थ्य समिति द्वारा नए दम्पत्तियों को परिवार नियोजन के साधन अपनाने हेतु सलाह दी जानी चाहिए।

गर्भवती माता का पंजीयन :

- प्रत्येक गर्भवती महिला की तीन प्रसव पूर्व जांच, टिटनेस के दो टीके, आयरन की गोलियां मुफ्त दिए जाने के लिए उसका पंजीयन होना जरूरी है।
- गर्भावस्था या प्रसव काल के दौरान कोइ परेशानी होने परउसे समय पर उचित इलाज के लिए उपयुक्त अस्पताल (जैसे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/सिविल केन्द्र अस्पताल/जिला अस्पताल) में भेजा जा सकता है।
- गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली गर्भवती महिलाओं का पंजीयन हो तो उन्हें राष्ट्रीय मातृत्व सहायता योजना व आयुष्मति योजना के तहत सहायता मिल सकती है।
  1. **जन्म का पंजीयन :** जन्म के पंजीयन से बच्चों को टीकाकरण आदि सेवाऐं आसानी से प्रदान की जा सकती है । बच्चे के विद्यालय में प्रवेश के लिए भी आजकल जन्म पंजीयन प्रमाण पत्र मांगा जाता है।
  2. **मृत्य का पंजीयन :** मृत्यु के पंजीयन से मृत्यु का कारण एवं बीमारी की गंभीरता का पता लगता है। मृत्यु के पंजीयन का प्रमाण पत्र , बीमा , पेंशन आदि का पैसा या मृत व्यक्ति के जायदाद आदि के बंटवारे के लिए भी जरूरी है। शासकीय योजना जैसे राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना का लाभ लेने के लिए भी मृत्यु का पंजीयन प्रमाण पत्र सहायक होता है।

ग्राम स्वास्थ्य समिति ग्राम सभा की बैठक में इन चार जरूरी पंजीयनों के बारे में चर्चा करें और पंजीयन को बढ़ाने के लिए उचित कदम उठाऐं।

समेकित बाल विकास सेवाएँ

गरीबी कम करने के उद्देश्य से चलाए जाने वाले विकास कार्यक्रमों का लाभ हमेशा बच्चों तक नहीं पहुंचता और न ही उस माहौल में सुधार होता है जिसमें वे रहते और बड़े होते है। यह माना जाता है कि गरीबी मिटाने के राष्ट्रीय प्रयास जारी रहेंगे परन्तु बच्चों की आवश्यकताओं पर तुरन्त ध्यान देने की ज़रूरत है। 1991 की जनगणना के अनुसार, भारत में छः साल के कम उम्र के बच्चों की संख्या लगभग 15 करोड़ है जो भारत की आबादी का करीब 17.5 प्रतिशत उनमें से अधिकतर बच्चे ऐसे आर्थिक और सामाजिक वातावरण में रहते हैं जो बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास में बाधक हो सकता है। इन परिस्थितियों में गीरबी, गंदगी, बीमारी, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध न होना, बच्चों की समुचित देखभाल का अभाव और खाने–खिलाने के तरीके व आदतें शामिल हैं।

राष्ट्रीय बाल नीति, 1974 की धारणा है कि इन बच्चों को समान अवसरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए बाल विकास कार्यक्रम जरूरी हैं। बच्चों की (जन्म से पहले और बाद में) विभिन्न आवश्यकताओं की प्राथमिकता निर्धारित करने तथा समन्वित तरीके स उन पर अमल करने के लिए राष्ट्रीय बाल नीति ने एक खाका उपलब्ध कराया । बच्चे की व्यापक आवश्यकताओं को पूरा करने की चुनौती से निपटने के लिए भारत ने समेकित बाल विकास सेवा (आई सी डी एस) शुरू की, तथा इसे बीस साल पहले 2 अक्तूबर, 1975 को 33 प्रखंडों में शुरू किया गया।

प्रारंभिक बचपन का सही विकास ही मानव विकास का आधार है, इस बात को स्वीकारते हुए सामुदायिक स्तर पर बुनियादी सेवाओं को सदृढ़ बनाकर छः साल से कम आयु के बच्चों के सम्पूर्ण विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आई सी डी एस को तैयार किया गया है । कार्यक्रम इस तरह से बनाया गया है कि यह साधनविहीन तथा कम आय वाले वर्ग तक पहुंच सके तथा असमानता को प्रभावी ढंग से दूर कर सके। यह काय्र क्रम बच्चे की बेहतर देखभाल, स्वास्थ्य एवं पोषण , पानी और प्र्यावरण संबंधी सफाई जैसी मूलभूत सेवाओं को छोटे बच्चों , गर्भवती महिलाओं, दूध पिालने वाला माताओं तथा महिलाओं/किशोरियों के समूहों को एक साथ प्रदान करने का समन्वित दृष्टिकोण उपलब्ध कराता है। लगभग तीन लाख प्रशिक्षित आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तथा आंगनवाड़ी केन्द्र के इतने ही साहयक और सामुदायिक महिला समूह स्वास्थ्य सेवा प्रणाली तथा समुदाय के माध्यम से इन तक पहुंचते हैं।

उद्देश्य

- छः वर्ष से कम आयु के बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति को सुधारना।
- बच्चे के उचित मनोवैज्ञानकि, शारीरिक तथा सामाजिक विकास की नींव रखना।
- मृत्यु–दर, रूग्णता, कुपोषण और बीच में स्कूल छोड़ने की घटनाओं में कमी लाना।
- बाल विकास को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न विभागों में नीति निर्धारण और कार्य क्रम लागू करने में प्रभावकारी तालमेल कायम करना।
- उचित स्वास्थ्य और पोषण संबंधी शिक्षा के माध्यम से बच्चों के सामान्य स्वास्थ्य और पोषण आवश्यकताओं की देखभाल के लिए माताओं की क्षमता बढ़ाना।

छः साल से कम उम्र के बच्चों के अलावा भी आई सी डी एस सामाजिक रूप से पिछड़े गांवों और शहरी तंग बस्तियों में रहने वाली गर्भवती और दूध पिलाने वाली माताओं की जरूरी आवश्यकताओं का भी ध्यान रखती है। किसी परियोजना का चुनाव करते समय आर्थिक रूप से पिछड़े, अकाल पीड़ित क्षेत्र ओर ऐसे क्षेत्र जहॉ सामाजिक सेवाओं के विकास को मजबूती की जरूरत हो, को प्राथमिकता दी जाती है। कमजोर वर्गो के लोगों यथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और निम्न आय वर्ग वाले लोग इसमें विशेष रूप से सम्मिलित हैं।

आई सी डी एस निम्नलिखित सेवाएं उपलब्ध कराती है :

स्वास्थ्य

- टीकाकरण
- स्वास्थ्य जांच
- निर्देशक सेवाएं
- छोटी बीमारियों का इलाज

पोषण

- पूरक पोषाहार
- वृद्धि की निगरानी और प्रोत्साहन

प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा

- 3–6 साल के बच्चों के लिए।

पानी की आपूर्ति , सफाई, अनौपचारिक तथा प्रौढ़ शिक्षा जैसी अन्य सहयोगी सेवाएं प्रदान करना।

आंगनवाड़ी

आंगनवाड़ी केन्द्र द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं की आवश्यक जानकारी

- बच्चों को 80 ग्राम दलिया / 90 ग्राम मुरमुरे या पंजीरी ।
- गर्भवती महिला को 160 ग्राम दलिया/ 110 ग्राम पंजीरी या 110 ग्राम मुरमुरे।
- कुपोषित बच्चों को 160 ग्राम दलिया/180 ग्राम पंजीरी या 180 ग्राम मुरमुरे।
- किशोरी बालिकाओं को 160 ग्राम दलिया/110 ग्राम मुरमुरे या 110 ग्राम पंजीरी।

लाभार्थी	सेवाऐ
बच्चे (छः वर्ष से कम)	पूरक पोषण आहार, टीकाकरण, स्वास्थ्य की जांच
तीन से छः वर्ष	शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा
गर्भवती व धात्री माताऐ	पूरक पोषाहार, स्वास्थ्य जांच, टिटेनस का टिका (गर्भवती माताऐ)
महिलाए (15 से 45 वर्ष)	स्वास्थ्य व पोषाहार

दृश्य–3

सुमित्रा दीदी तुम्हारे छुटके को आंगनवाड़ी में कुछ मिलता है क्या, मैने अपनी मुनिया को भेजा था तो उसे भगा दिया। शायद लड़कियों को नहीं देते होंगे खाली लड़कों के लिये होगा।

गंगा अरे नहीं, आंगनवाड़ी तो सरकार की है वह थोड़े ही लड़की और लड़के में फर्क करते हैं। लेकिन यह बदमाशी तो आंगनवाड़ी वाली सुशीला दीदी की है। आधे समय तो कमरा खुलता नहीं है खुलता भी है तो उसमें उसका ससुर चिलम पीता रहता है। बच्चों को तो डांटकर भगा देते हैं और दलिया खुद हड़प कर लेते हैं।

सुमित्रा बड़े घर की बहु भी है लेकिन फिर भी ऐसी हरकते करते हैं अब हम लोग कुछ कह भी नहीं सकते।

गंगा हम नहीं कह सकते तो क्या हुआ पंचायत तो कह सकती है।

सुमित्रा हां, पंचायत को क्या दिखता नहीं है, कहना होता तो कह देती अब तक।

गंगा ऐसा करते हैं सुमन के घर भागवत के बाद हम सभी बाई लोग वहीं रूक जाते हैं और इस बारे में बात कर लेते हैं। उसके बाद सब इकट्ठी सरपंच से बात करने जायेंगे।

सुमित्रा जाने दो, थोड़ी सी दलिया गुड़ के लिये इतना बैर क्यों लेना।

गंगा अरे ऐसे कैसे दीदी, इतने बच्चे हैं गांव में अगर सबको मिलेगा तो गांव का भला नहीं होगा।

सुमित्रा लेकिन .....

गंगा अरे दीदी डरो मत मुझे पूरा विश्वास है कि अगर हम सब लोग साथ जायेंगे तो कोई कुछ नहीं कहेगा और सरपंच जी भी हमारा साथ देंगे।

राष्ट्रीय मातृत्व सहायता योजना

यह केन्द्र प्रवर्जित योजना है, मध्य प्रदेश में 15 अगस्त 1995 से प्रभावशील है ।

उद्देश्य

गरीब परिवार की महिलाओं को गर्भावस्था के समय चिकित्सीय एवं आर्थिक सहायता प्रदान करना है ।

पात्रता

1. गर्भवती महिला की आयु 19 वर्ष अथवा अधिक हो ।
2. वह गरीबी रेखा के नीचे की परिवार की हो ।
3. केवल दो जीवित दो बच्चों के जन्म तक ही सहायता प्रदान की जावेगी ।
4. प्रसव 12 से 8 सप्ताह पूर्व

सहायता के आवेदन पत्र

ग्रामीण क्षेत्र के ग्राम पंचायत /शहरी क्षेत्र में स्थानीय निकाय को आवेदन प्रस्तुत करना है । इस स्तर पर 15 दिन तक आवेदन पत्रों की जांच कर आवेदन पत्र अनुसार राशि स्वीकृत करने के अधिकार हैं ।
सहायता राशि – 500/– रूपये ।

बालिका समृद्धि योजना

यह योजना केन्द्र के द्वारा प्रवर्तित योजना है ।

उद्देश्य

- बालिका के जन्म पर बालिका एवं उसके माता के प्रति परिवार एवं समाज के नकारात्मक विचारों में बदलाव लानां।
- शालाओं में बालिकाओं के प्रवेश एवं नियमित अध्ययन में सुधार लाना ।
- बलिकाओं का विवाह अधिक उम्र में करने की प्रवृत्ति को बढ़ाना ।
- य उपार्जन के कार्यो में बालिका की सहायता करना ।

पात्रता

- 15 अगस्त 1997 को या उसके बाद शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवार में जन्म लेने वाली बालिकायें
- मीण क्षेत्र में बी पी एल सूची चिन्हित परिवार की बालिकायें पात्र होंगी ।
- शहरी क्षेत्र में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की सूची तैयार न हो तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत चिन्हित परिवारों की बालिकायें ।
- बालिका की जन्म तारीख, जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर सत्यापित हो ।

शहरी क्षेत्र में सब्जी , मछली, फल बेचने का कार्य कबाड़ी का कार्य या फुटपाथ पर रहने वाले परिवार की बालिकाओं को भी यह लाभ देने का प्रावधान है ।

सहायता का स्वरूप

14. जन्म के समय 500/– की राशि
15. जन्म लेने वाली पात्र बालिका जब स्कूल जाना प्रारंभ करेगी तो उसे निम्नानुसार वार्षिक छात्रवृत्ति दी जायेगी जो कक्षा में प्रत्येक सफल वर्ष के लिये होगी ।

कक्षा	वार्षिक छात्रवृत्ति की राशि
पहली से तीसरी तक	300 रूपये प्रतिवर्ष प्रति कक्षा
चौथी कक्षा	500 रूपये प्रतिवर्ष
पॉचवी	600 रूपये प्रतिवर्ष
छटवी से सांतवी	700 रूपये प्रतिवर्ष
आठवीं	800 रूपये प्रतिवर्ष
नवमी से दसवीं	1000 रूपये प्रतिवर्ष

राशि प्रदाय की प्रकिया

पर्यवेक्षक, महिला बाल विकास विस्तार अधिकारी के नाम संयुक्त खाता निकट के बैंक/पोस्ट आफिस में खोला जायेगा। यह राशि सावधि ब्याज खाते में जमा करना है ।

बालिका को राशि भुगतान की प्रकिया

बालिका के 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर,, अविवाहित में राशि निकालने की अनुमति, ग्राम पंचायत/ नगर पालिका देगी ।

आयुष्मति योजना

उद्देश्य :–ग्रामीण भूमिहीन परिवार की महिलाओं एवं बालिकाओं को निःशुल्क चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराना ।

पात्रता

- ग्रामीण भूमिहीन परिवार की महिला एवं बालिका
- पात्रता केवल अस्पताल में भरती किये गये महिला एंव बालिका को होगी ।
- बाह्य रोगी पात्र नहीं होगें ।

सहायता की प्रकिया

- मरीज यदि 1 सप्ताह तक अस्पताल में भरती रहता है तो उसे 400/– की सहायता दी जाएगी ।
- एक सप्ताह से अधिक समय तक भरती रहने पर 1000/– की सहायता दी जावेगी
- सहायता राशि नगद न देकर दवाईयों के द्वारा दी जावेगी ।

दवाईयों का क्रय

- जिले व विकास खण्ड पर स्थित रेडक्रास सोसाइटी के दवा केन्द्र ।

अन्य सुविधा

- मरीज के साथ अस्पताल में रहने वाले एक सहयोगी की निःशुल्क भोजन एवं रहने की सुविधा

मध्याहन भोजन योजना

इस योजना के अन्तर्गत सरकारी प्राथमिक /विद्यालयों/सरकार से सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों और स्थानीय निकायों द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों के कक्षा एक से लेकर पॉच तक के सभी बच्चों को शामिल किया गया है । वहां प्रति स्कूल दिवस प्रति बच्चे को 100 ग्राम पका हुआ भोजन दिया जाता है ।

दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना

गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले समस्त वर्ग के परिवारों को बीमार पड़ने पर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवायें निःशुल्क उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश में 25 सितम्बर 2004 से दीनदयाल अन्त्योदय उपचार योजना लागू की गई है। इस योजना में रूपये 20000/– की सीमा तक निःशुल्क जांच एवं उपचार की पात्रता एक परिवार को एक वित्तीय वर्ष में होगी।

परिवार स्वास्थ्य कार्ड – योजना के अन्तर्गत रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले प्रत्येक पात्र परिवार को एक परिवार स्वास्थ्य कार्ड दिया जाता है। इस कार्ड में परिवार के मुख्या का फोटो तथा परिवार का पूरा विवरण दर्ज रहता है। भर्ती होकर इलाज कराने पर इलाज कराने पर इलाज तथा जांच का विवरण भी इस कार्ड में दर्ज किया जाता हैं ।

लाभ किन संस्थाओं से प्राप्त है – इस योजना के हितग्राहियों को उन शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में, जहां भर्ती सुविधा उपलब्ध है, भर्ती होकर उपचार कराने पर लाभ दिया जाना है। हितग्राही को इस योजना का लाभ शासन द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थाओं में भी रिफर किया जाने पर प्राप्त होगा, किन्तु जांच एवं इलाज पर एक परिवार के लिये व्यय की सीमा अधिकतम रूपये 20000/– तक ही है।

जिला/राज्य बीमारी सहायता निधि

उद्देश्य – जिला/राज्य बीमारी सहायता निधि के अंतर्गत मध्यप्रदेश के निवासी, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले गरीब व्यक्ति को घातक एवं जानलेवा बीमारी होने पर मध्यप्रदेश शासन द्वारा निःशुल्क चिकित्सा सेवा (रू. 25000 से 1,50,000 तक) उपलब्ध कराना है।

पात्र हितग्राही – मध्यप्रदेश के मूल निवासी, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्ति।

योजना का स्वरूप एवं कार्यक्षत्र : जिला बीमारी सहायता निधि के आवेदन पत्र किसी भी स्वास्थ्य केन्द्र से प्राप्त किया जा सकते है। आवेदन करने के उपरांत कलेक्टर के माध्यम से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पास जमा किये जाते हैं। इस योजना के तहत रू. 25000 से रू. 75000 के प्रकरणों का निर्णय प्रभारी मंत्री तथा जिला कलेक्टर द्वारा और रू.75000 से 150000 के प्रकरणों पर निर्णय मंत्री लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मध्यप्रदेश द्वारा लिया जाता है। इस सुविधा का लाभ सिर्फ शासकीय अस्पतला अथवा शासन द्वारा मान्यता प्राप्त निर्धारित अस्पतालों में इलाज कराने पर भी मिलता है। सहायता राशि का चेक अस्पताल के नाम पर होगा। इस योजना का लाभ एक व्यक्ति को एक बार ही मिल सकता है।

यह योजना सिर्फ निम्न बीमारियों के लिये है – 1. वक्ष शल्य क्रिया 2. गुर्दा प्रत्यारोपण 3. कुल्हे का बदल जाना 4. घुटने का बदला जाना 5. रीड़ की हड्डी का ऑपरेशन 6. रेटिनल डिटेचमेंट, 7. हृदय शल्य क्रिया , 8. न्यूरो सर्जरी, 9. ब्रेन सर्जरी, 10. समस्त कैंसर रोग, 11. एम.डी.आर., 12त्र सिर की चाट जिसमें ऑपरेशन की आवश्यता हो, 13. प्रसूति उपरांत जटिलताओं के इलाज हेतु।

सम्पर्क – मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।

दीनदयाल चलित अस्पताल योजना (मोबाईल हैल्थ क्लीनिक)

उद्देश्य : राज्य सरकार द्वारा मध्यप्रदेश के सुदूर आदिवासी क्षेत्रों में गुणवत्ता पूर्ण स्वास्थ्य सेवायें पहुंचाना।

योजना क्रियान्वयन की प्रक्रियाः इस योजना के तहत एक चलित वाहन का निर्माण कराया गया है जिसमें डॉक्टर, स्टॉफ, जरूरी उपकरण एवं दवाईयां उपलब्ध है। यह चलित वाहन आदिवासी क्षेत्र के ग्रामों एवं हाट बाजारों में सभी वर्ग के लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधायें उपलबध कराता है।

दीनदयाल चलित अस्पताल योजना के अन्तर्गत निम्नांकित स्वास्थ्य सेवायें निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है।

1. चिकित्सीय परामर्श, प्राथमिक उपचार प्राथमिक जांच व निःशुल्क दवा वितरण।
2. प्रसव पूर्व एवं प्रसव उपरांत स्वास्थ्य परीक्षण व आवश्यक दवाईयों का वितरण।
3. मलेरिया व टी.बी. जांच के लिये रक्त एवं खखार पट्टी संग्रहण।

4. जटिल स्वास्थ्य संबंधी प्रकरणों की पहचान व आवश्यक उपचार के लिये शासकीय चिकित्सा संस्थाओं में मरीजों को रिफर करना।
5. टीकाकरण।
6. परिवार नियोजन के विभिन्न माध्यमों के संबंध में जानकारी।
7. विभिन्न जनकल्याणकारी कार्यक्रमों का प्रचार–प्रसार करना, स्वास्थ्य संबंधी परामर्श।

योजना प्रारम्भ होने के प्रारम्भिक स्थान : बैतूल (भीमपुर विकासखंड), श्योपुर (कराहल विकासखंड, मण्डला (भवई विकासखण्ड), झाबुआ (सोण्डवा विकासखण्ड), डिण्डोरी (बजाम विकासखण्ड), शहडोल (बुखास विकासखंड) अनुपपुर (पुष्पराजगढ़ विकासखण्ड), बालाघाट (बिरसा विकासखण्ड), उमरिया (पाली विकासखण्ड), जबलपुर (कुण्डम विकासखण्ड), सीधी (कुसुमी विकासखण्ड)। द्वितीय चरण में 52 विकासखण्डों में योजना प्रारम्भ की जा रही है।

संपर्क – चलित अस्पताल द्वारा संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा नियम मार्ग व स्थान पर प्रातः दस बजे से शाम छह बजे तक सेवायें उपलब्ध कराई जायेंगी।

ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम

स्वस्थ्य रहने के लिये शुद्ध पेय जल न मिलने के कारण बहुत सी बीमारियॉ होती है । इनसे बचने के लिये जरूरी है कि पीने का पानी साफ मिले वैसे तो पीने के पानी का इन्तजाम कराना राज्य सरकार का विषय है। इसीलिये गांव में पीने का पानी उपलब्ध काराने की योजनाये राज्य सरकारें अपने साधनों से चलाती है । भारत सरकार इस काम के लिये (त्वरित ग्रामीण जलापूर्ती कार्यक्रम) के तहत राज्य सरकारों को सहायता दे रही है । 31 जनवरी 2001 तक देश की 14,22,664.00 गांव की बसाहटों में कार्य क्रम चल रहा है । अभी भी 23,282.00 जगह बसाहटों में पेय जल पहुचाना बांकी है । इस योजना के लक्ष्य इस प्रकार है :–

क) प्रत्येक दिन प्रत्येक ब्यक्ति को पीने का 40 लीटर पानी मिल सके ।
ख) मरूभूमि विका कार्यक्रम क्षेत्रों में मवेशियों के लिये 30 लीटर पानी प्रति दिन मिल सके ।
ग) 250 लोगों की आवादी के लिये एक हैन्डपंप मिल सके ।
घ) मैदानी इलाकों में बसाहटों के बीच या बसाहटों से 1.6 कि.मी. पानी का साधन हो ।

ग्रामीण जलापूर्ती कार्य के तहत अब तक 35 हजार से ज्यादा हैन्डपंप लगाये गये है। और पाईप के द्वारा पानी पहुचाने की डेढ़ लाख योजनाये चलाई गई है ।

ज्यादा से ज्यादा स्थानों पर जल उपलब्ध कराने के अलावा सरकार जल की गुणवत्ता की, समस्याओं के समाधान का भी प्रयास कर रही है जैसे लोराइड की अधिकृता, लौह की अधिकता , आर्सनिक की अधिकता आदि । इसके लिये अलग–अलग उप मिशन चलाये जा रहे हैं जिनके अन्तर्गत ग्रामीण लोगों के लिये शुद्ध पेयजल सुनिश्चित करने के वास्ते निरोधक तथा उपचारी उपाय किये जाते हैं । त्वरित ग्रामीण जलापुर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत मिलने वाली राशि के 20 प्रतिशत तक के हिस्से को राज्य सरकारें उप–मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत परियोजनाओं के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं । गुणवत्ता की समस्या पत्थर मिट्टी की विशेषताओं के कारण हो सकती है या फिर

मनुष्य द्वारा विभिन्न तरीकों से फैलायें जा रहे जल प्रदूषण के कारण हो सकती है । हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि हम भूजल को दूषित न करें ।

सभी क्षेत्रों में बसावटों के फैलने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में भूजल पेयजल का मुख्य स्रोत है और लगभग 85 प्रतिशत ग्रामीण पेय जलपूर्ति भूजल पर निर्भर है । इसलिये पेयजल संसाधनों का स्थायित्व बहुत जरूरी है । हमें पानी के संरक्षण के लिये जल के इस्तेमाल , जल एकत्र करने तथा परकोलेशन टैंक , चैक टैंक जैसे उपाय करने चाहिये ।

स्रोतों और प्राणालियों के दीर्घावधि स्थायित्व को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने ग्रामीण जलापूर्ति क्षेत्र में सुधार किये है । ग्रामीण पीने के पानी कि पूर्ति याजनाओं में सामुदायिक हिस्सेदारी को पक्का स्वरूप दिया गया है जिसके अन्तर्गत लाभार्थियों को पूंजीगत लागत का कुछ अंश देना होगा और उसके संचालन और रख–रखाव की जिम्मेवारी लेनी होगी। ऐसा प्रस्ताव है कि इस क्षेत्र के सुधार को जब पक्का स्वरूप दे दिया जायेगा तब ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं के अमल का काम धीरे–धीरे पंचायती राज संस्थाओं को दे दिया जायेगा । यह फैसला किया गया है कि प्रयोग के तौर पर सुधारों को देशभर में 63 पायलट जिलों में चलाया जाये जिसमें से 57 में क्रियान्यवन की स्वीकृति दी जा चुकी है । इन पायलट परियोजनाओं के क्रियान्वयन से प्राप्त अनुभव के बाद इसको देश के बाकी बचे जिलों में फैलाया जायेगा । सरकार ने वर्ष केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम 2000–2001 से प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के रूप में एक नई पहल शुरू की है । पी.एम.वाई – ग्रामीण पेयजल के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य/केंद्रशासित प्रदेश को अपने हिस्से का कम से कम 25 प्रतिशत भाग ऐसी परियोजनाओं/कार्यक्रमों पर खर्च करना होगा जिनसे जल संरक्षण , जल उपयोग , जल एकत्र करने , मरूभूमि विकास कार्यक्रम/सूखा–बहुल क्षेत्र कार्यक्रम वाले इलाकों में ज्यादा दोहन हो चुके डार्क/ग्रे ब्लाकों तथा अन्य जल की कमी/ सूखा प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल स्रोतों के स्थायित्व के लिये किया जायेगा आंवटित राशि का बांकी 75 प्रतिशत हिस्सा गुणवत्ता संबंधी समस्याओं के समाधान वाली योजनाओं तथा जल स्रोतों के बिना तथा आंशिक रूप से उपलब्ध स्रोतों वाले इलाकों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए किया जायेगा ।

यह बात अच्छे से पता है कि जल , स्वच्छता और स्वास्थ्य के बीच सीधा संबंध है । अशुद्ध पेयजल के इस्तेमाल , मानवीय शौच के ठीक से निपटान न किये जाने और व्यक्तिगत व खाद्य स्वच्छता की कमी के कारण अनेक रोग फैलते है । शिशुओं की उच्च मृत्यु दर का मुख्य कारण भी अस्वच्छता को माना जाता हैं । इसी संदर्भ में केंदीय प्रायोजित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम शुरू किया गया ।

स्वच्छता से मतलब पहले केवल मनुष्य के शौच के शेष–पूल , खुले गढ्ढों , पिट शौचालय, बकट प्रणाली आदि के जरिए निपटान से होता था । आज इसका मतलब एक व्यापक परिकल्पना से हो गया है जिसमें तरल तथा ठोस अपशिष्ट निपटान , खाद्य स्वच्छता , व्यक्तिगत , घरेलू तथा वातावरण की स्वच्छता शामिल है । ठीक स्वच्छता न केवल सामान्य स्वस्थ्य की दुष्टि से जरूरी है बल्कि इसका व्यक्तिगत तथा सामाजिक जिंदगी में भी महत्वपूर्ण स्थान है । स्वच्छता लोगों की मूलभूत आवश्यकता है क्योकि इसका संबंध खाद्य स्वच्छता , व्यक्तिगत स्वस्च्छता ,घरेलू तथा पर्यावरण की स्वच्छता से है स्वच्छता की आदतों से जल और मृदा के प्रदूषण पर रोक लगता है जिससे बीमारियां नही फैल पाती ।

देश में कुल ग्रामीण घरों से सम्पूर्ण स्वच्छता केवल 16–20 प्रतिशत तक ही सीमित है । स्वच्छता और बढ़ावा देने के लिए 1.4.99 से केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम को नया स्वरूप दिया गया । इस कार्यक्रम के उद्देश्य इस प्रकार हैः–

- ग्रामीण जनसंख्या को तेजी से इसके दायरे में लाकर 2002 तक 25 प्रतिशत ले जाना ।
- जागरूकता पैदा करके और स्वस्थ्य शिक्षा के द्वारा लोगों में इसकी जागरूकता के द्वारा लोगों में इसकी जरूरत के अहसास को उत्पन्न करना ।

- ग्रामीण स्कूलों में स्वच्छता सुविधायें उपलब्ध कराना ।
- सस्ती और अनुकूल प्रौद्योगिकियों को प्रोत्साहन ।
- इस तरीके से जल और स्वच्छता संबंधी रोगों की संख्या मे कमी लाना (शिशु/बाल मृत्यु दर तथा दस्त रोगों में कमी से यह सिद्ध होता है)।

इस उद्देश्यों की पूर्ति हेतु केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत चुनिंदा 150 जिलों में सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान चलाया गया है ं इसके मुख्य भाग है :–

- प्रत्येक के घर में शौचालय का निर्माण ।
- महिलाओं के लिए शौचालय परिसर ।
- विद्यालय स्वच्छता ।
- जागरूकता उत्पन्न करना ।

ग्रामीण लोगों को विभिन्न प्रौद्योगिक विकल्पों और मॉडलों की जानकारी दी जाती है और उसमें से उचित मॉडल को वे अपने घर में शौचालय बनाने के लिए चयन कर सकते है । ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण केंद्रों और ग्रामीण स्वच्छता मार्ट के जरिये कम खर्च वाली आधार इकाईयॉ उपलब्ध कराई जाती हैं । घर में इस्तेमाल होने वाले शौचालय की आधार इकाई की कीमत रुपये 625/– से रुपये 1000/– तक होती है । इन कम खर्चीली आधार इकाईयों के लिए सब्सिडी रुपयें 500/– तक सीमित की कई है ।

दस्त और शौच से संबंधित रोगों के शिकार अधिकतर बच्चें होते है । सफाई से संबंधित सुविधाओं को स्कूलों में विशेष ध्यान देना इस कार्यक्रम की प्रमुख गिनती हैं । स्कूल में सफाई का महत्व जानकर बच्चे यह संदेश घर तक ले जा सकते है । जिससे उनके धरों में भी सफाई के प्रति जागरूक्ता आ सकती है ।

पिछले वित्तीय वर्ष से अतबतक सफाई की 85 परियोजनायें मंजूर की गई है। जिनके तहत नीचे लिखे गये लक्ष्य रखे गये हैं :–

घरों में व्यक्तिगत शौचालय	75 लाख
विद्यालय शौचालय	90 हजार
मलिाओं के लिये शौचालय परिसर	8400
केन्द्रीय स्वच्छता मार्ट/निर्माण केन्द्र	711

योजना बनाना क्यों जरूरी है ?

हम लोग जब कोई काम करते हैं तो उस काम को करने के पहले उसके बारे में बहुत सी बातों पर विचार करते हैं। किसी काम को करने के पहले उस काम से जुड़ी बातों को जानने , समझने उसे करने के तौर–तरीके सोचने, उसके फायदे नुकसान के बारे में जानने–समझने की कोशिश करते हैं। और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा काम नही होगा, लगा हुआ पैसा, समय , मेहनत, सब कुछ बेकार हो सकता है। इसीलिये कोई काम करने से पहले उस काम की योजना बनाना जरूरी है।

जब हम लोग एक समय में एक ही काम करते हैं तो उसके बारे में ठीक से सोच समझ लेते हैं । लेकिन एक साथ कई काम करने हो तब सब कामों के बारे में छोटी–छोटी बातों को ध्यान रखना मुश्किल हो जाता है। और ज्यादा संभावना रहती है कि किसी न किसी काम पर हमारा ध्यान कम जाये और ध्यान कम जायेगा तो काम की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है।

अगर एक ही समय में बहुत सारे काम ग्राम सभाओं को करने है तब तो योजना बनाना ज्यादा जरूरी है क्योंकि घर का काम तो अपनी मर्जी से, अपनी सुविधा से जैसा पसन्द आये वैसा कर सकते है। लेकिन गांव का काम अपनी मर्जी, अपनी पसन्द, अपनी सुविधा से नहीं किया जा सकता।

किये जाने वाले काम क्या होने है, कैसे करना है, कहॉ होना है, कब होना है, कौन करेगा, यह सब बात सबके साथ सबके सामने करने की जरूरत है। और यह सब तभी होगा। जब हम गांव में सबके साथ मिल बैठकर अपने गांव में किये जाने वाले कामों की योजना बनायें।

मिल जुलकर योजना बनाना :–

जब हम अपना कोई काम शुरू करते हैं और उसमें गड़बड़ हो जाती है तब ऐसे समय में जब हम किसी की सलाह लेते हैं पूछते हैं तो लोग कहते है पहले हमसे पूछा था क्या ? जब बिगड़ गया तब पूछ रहे हो ? ऐसी बाते हमारे घरों में रोज होती है हम सब लोग ये बात जानते हैं। घरों में शादी बारात के काम, पंगत के काम, अकेले एक आदमी या एक परिवार की अपनी दम पर नहीं होते ऐसे सब कामों में गांव–समाज के सभी लोग जो सहयोग कर सकते है अपनी–अपनी सामर्थ के हिसाब से करते हैं।

इसी तरह से जैसे हम लोग अपने घरों के बड़े काम करते हैं वैसे ही हमें अपने गांव के काम भी सबके सहयोग से मिल जुलकर करने पड़ेगे।

जब हम अपने घरों में मिलजुलकर काम करने की बात करते हैं तो मुश्किल नहीं आती क्योंकि लोग कम होते हैं लेकिन जब गांव के लोगों की हिस्सेदारी की मिलजुलकर काम करने की बात आती है तो हमें ज्यादा प्रयास करने की जरूरत पड़ती है। क्योंकि गांव में बहुत सारे लोग हैं अलग–अलग मुहल्लों में रहते है। सबके अपने–अपने विचार हैं काम को करने के तोर–तरीके अलग–अलग हैं। सबके सोचने का तरीका अलग है। लोग अलग–अलग तरह के काम करते हैं। सबका खाली रहने का, व्यस्त रहने का समय अलग है। सम्बन्ध भी किसी के किसी से कम है किसी से जयादा है, किसी से बिल्कुल नहीं है। कुछ लोगों को आपस में मनमुटाव है।

इस बातों के होते हुये गांव में हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों की राय सलाह से सहमति से योजना बनाने का काम करना है। सहभागिता या हिस्सेदारी का असली मतलब है गांव के गरीब , अनुसूचित जाति, जनजाति , महिलाये, पिछड़े वर्ग की सबकी हिस्सेदारी, हर समय और हर काम में हिस्सेदारी।

मिल–जुलकर योजना बनाने का मतलब केवल सबका एक साथ बैठ जाना ही नहीं है। बल्कि असली सहभागिता का मतलब है सब लोग आये, सब लोग बोले, अपनी बात रखें, जो ठीक नहीं लगे बोले ठीक नहीं है, जो ठीक लगे बोले ठीक है। यह देखें कि किये जाने वाले काम का निर्णय सबके हित में हो , गांवके हित में हो। पहले वो काम किया जाये जो सबसे पहले जरूरी है। सबसे पहले उनकी मदद करें, उनका सहयोग करें जिन्हें मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। लगाये जाने वाले संसाधन–साधन वहां पहले पहुंचे जहां उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। इतना ही नहीं कामों को किये जाने में सबलोग मदद करें उसकी देखरेख में मदद करें, उसे आगे चलाने में अच्छा बनाने मे मदद करें।

पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम सभाओं को अब अपने गांव के विकास की योजना सामाजिक न्याय को ध्यान में रखते हुये बनाना है। इसका मतलब है ग्राम सभाओं को अपने गांव में आने वाली योजनाओं / कार्यक्रमों और पैसों से अपने गांव को अच्छा बनाने, आगे बढ़ाने और अपने पैरों पर खड़ा होने की योजना बनाकर उस पर काम करना है।

इन सब चीजों के साथ–साथ यह देखना जरूरी है कि गांव के अच्छे के लिये क्या जरूरी है। गांव की तरक्की और गांव के लोगों की बेहतरी के लिये क्या–क्या काम करना जरूरी है। चाहे वे काम पैसे में होने हो या बगैर पैसे के। यह सब भी योजना निर्माण का एक हिस्सा है।

लेकिन सभी गांवों में जो काम हो रहे हैं चाहे वे वार्षिक कार्ययोजना के माध्यम से हो रहे हो या जरूरतों के आधार पर स्वच्छता साफ–सफाई के काम उनमें ज्याद नहीं होते।

अगर हम 10–20 गांवों के पिछले 2, 3 साल में किये गये काम देख लें या वार्षिक कार्य योजना में देखें तो उसमें स्वच्छता के, साफ–सफाई के, पानी के, काम कम ही देखने को मिलेंगे।

अगर हम गांव की तरक्की, गांव के विकास की बात करते हैं तो हम भूल जाते हैं। केवल सड़क, खडन्जा और भवन बन जाने से ही गांव का विकास होने वाला नहीं है। यह सब जरूरी है लेकिन और भी चीजें जरूरी हैं। इन जरूरी कामों में एक काम है गाँव की स्वच्छता, गाँव की साफ–सफाई। यह साफ–सफाई स्वच्छता जितनी गाँव के लिये जरूरी है उतनी ही जरूरी है घरो की और घरो में रहने वाले लोगों की। इसलिये साफ–सफाई और स्वच्छता से जुड़ी बातों को समझना जरूरी है कि हमारे गांव में स्वच्छता से जुड़ी दिक्कतें क्या–क्या है ? उनके समाधान के तरीके क्या–क्या हो सकते हैं ? स्वच्छता और साफ–सफाई कर लेने से क्या–क्या फायदा होगा ? इसलिये गांव में ग्राम सभा सदस्यों, समूहों, समितियों, पंच,सरपंच, सभी को मिलकर अपने गांव के लोगों के साथ मिलकर स्वच्छता के लिये योजना बनाकर काम करना चाहिये।

ग्रामसभा में योजना और बजट बनाना ।

ग्राम सभा की प्रमुख जिम्मेदारी है कि वह गांव के आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिये योजना बनाये और उसका बजट पास करें।

बजट बनाने का काम तभी पूरा हो सकता है जब ग्राम सभा ने अपनी योजना बना ली हो। बजट बनाने का काम योजना बनाने के बाद का ही एक काम है। बजट बना लेने से हमें यह पता चलता है कि हमारी योजना के लिये किन–किन मदों से, किन योजनाओं कार्यक्रमों से पैसा मिल सकता है। कितना पैसा हमारे पास है और हमें कितने पैसों की जरूरत है। बजट बनाना योजना बनाने का ही एक हिस्सा है।

बजट अनुमान कौन बनाता है।

ग्राम सभा का बजट अनुमान तैयार करने की जिम्मेदारी ग्राम विकास समिति की है, समिति को अगले साल के लिये तय की गई कार्ययोजना के आधार पर बजट बनाकर ग्राम सभा में प्रस्तुत करना पड़ता है।

वार्षिक बजट का अनुमोदन कैसे होता है।

ग्राम विकास समिति द्वारा तैयार किये गये बजट अनुमान पर ग्राम सभा विचार करेगी। ग्राम सभा को यह अधिकार होगा कि वह जहॉ–जहॉ जरूरी समझे बदलाव कर सकती है। ग्राम सभा समिति द्वारा प्रस्तुत किये गये इस बजट अनुमान पर चर्चा करके जरूरी लगने पर संशोधन करके आने वाले 1 साल (1 अप्रैल से 31 मार्च तक) के लिये बजट अनुमान को पास करेगी।

योजना बनाने के चरण

योजना बनाने की बात की शुरूआत

हम दो तरह से कर सकते हैं। पहले मुहल्ले से, दूसरा गांव से। हम पहले अलग–अलग मुहल्लों में लोगों के साथ बैठें और उनके साथ अपने–अपने मुहल्लों की जरूरतों पर चर्चा करें और उसकी सूची बना लें। उनके मुहल्ले की सबसे प्रमुख जरूरतों की पहचान भी कर लें और उसे पूरा करने में उनका क्या सहयोग हो सकता है उसे भी पता कर लें। इसके बाद सारे मुहल्ले की प्रमुख जरूरतों और उसमें किये जाने वाले सहयोग को लेकर ग्राम सभा में बैंठे और तय करें कि पूरे गांव को ध्यान में रखते हुये क्या –क्या काम जरूरी लग रहे हैं। किन–किन कामों को पहले करना जरूरी है। जिन कामों को करना जरूरी लग रहा है उसमें लगने वाले साधनों में से हमें लोगों के सहयोग से कितना मिलने वाला है। जो बचेगा उसे ग्राम सभा के सहयोग से पूरा किया जा सकता है या नहीं।

पहले मुहल्ले में बैठने से फायदा ये होता है कि कम लोगों के साथ ज्यादा अच्छी और गम्भीर चर्चा हो जाती है। अपने मुहल्ले की बात करते समय उनका जुड़ाव भी ज्यादा होता है। मुहल्ले में बैठने से जरूरतें कम सामने आती हैं इसलिये उन पर ज्यादा चर्चा करने का मौका मिलता है। जब चर्चा ज्यादा होती है तो नये रास्ते, नये विकल्प पता लगते हैं लेकिन पहली ही बार में गांव की बात शुरू करने पर लोगों का जुड़ाव उतना नहीं हो पाता और चर्चा ज्यादा लम्बी और गम्भीर नहीं हो पाती । एक साथ ज्यादा लोगों को समझाना भी मुश्किल होता है। मुहल्ले में पहले चर्चा कर लेने से लोगों की समझ बन जाती है जिसका बाद में बड़ी बैठक करने में फायदा मिलता है। हालांकि जहां जैसी परिस्थितियॉ हों वैसा कर सकते हैं। चाहे पहले गांव की बड़ी बैठक करें या मुहल्ले की। आप अपनी सुविधा से तय कर सकते हैं।

1 समस्याओं की पहचान करना

योजना बनाते समय हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जिन लोगों के लिये योजना बन रही है उनके सबके साथ सीधी बातचीत हो। योजना बनाने का काम चाहे व्यक्तिगत लोगों के लिये किया जाये, चाहे किसी समूह के लिये किया जाये। चाहे योजना पूरे गांव के लिये बनाई जाये योजना बनाते समय हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि जिनके बीच हम योजना बना रहे हैं उनकी क्या–क्या जरूरतें हैं वे क्या–क्या चाहते हैं।

गांव में लोगों के साथ चर्चा करके जो भी समस्यायें निकले उनकी एक सूची बना लेनी चाहिये। हो सकता है सारी बातें हमें याद नहीं रहे। लिखने से हमें जब भी जरूरत पड़ेगी कि कौन सी बात सामने आई थी तो हम उसे देख सकते हैं। सूचीकरण करने का एक फायदा और होता है लोगों को ध्यान में रहता है कि हमने किन समस्याओं को निकाला है। ध्यान में रहने पर लोग उनके बारे में सोचते विचारते रहते हैं। सोचने विचारने से नई बातें सामने आती रहती हैं। जिनकी सूची बना ली है उसे पढने से कई बार नई समस्याऐं भी याद आ जाती है जिन्हें उसी सूची में जोड़ा जा सकता है।

2 सबसे ज्यादा जरूरी समस्याओं और जरूरतों का निर्णय करना

गांव में लोगों के साथ–साथ बातचीत करने पर निकली समस्याओं का समाधान एक साथ नहीं किया जा सकता। या जितनी भी जरूरते लोगों के साथ बातचीत करने पर निकलकर सामने आती हैं उन सबको एक साथ एक समय में पूरा करना हो सकता है सम्भव नहीं हो । ऐसा भी हो सकता है कि सम्भव होने पर भी जरूरी नहीं हो । कई जरूरतें ऐसी होती हैं कि बहुत जरूरी नहीं होती । जिनके बगैर काम चल रहा था और आगे भी चल सकता है, लेकिन कुछ जरूरतें ऐसी होती हैं जिनका उसी समय या एक निश्चित समय में पूरा हो जाना बहुत जरूरी होता है इसलिये हमें यह निर्णय करना पड़ेगा कि किन जरूरतों पर पहले काम करें और किन पर बाद में। प्रमुख समस्याओं के चयन में इन बातों का ध्यान रखने से हमें मदद मिल सकती है।

- हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि हम कितनी समस्याओं का निदान कर सकते हैं।
- हमारी अपनी क्षमतायें कितनी हैं ।
- हमारे पास क्या–क्या साधन हैं सुविधायें हैं।
- जो काम करना है उसमें बाहरी मदद की क्या जरूरत है
- हमारी मदद और बाहरी सुविधाओं को मिलाकर भी काम पूरा होगा या नहीं।
- अभी तुरन्त में किस काम का होना पहले जरूरी है जिसके बगैर रहा नहीं जा सकता।
- समस्या कितनी गम्भीर है उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है ।
- पूरा नहीं होने पर कितना नुकसान हो रहा है और कितना नुकसान बढ़ता जायेगा ।

हम प्रमुख समस्याओं को पता करने में चार बातों को ध्यान रखें तो हमें मदद मिलेगी । पहले क्या जरूरी है ? किसके लिये जरूरी है ? कितना जरूरी है ? और कब जरूरी है ? बस इसी तराजू पर सबको तौल लें फिर जिस समस्या या जरूरत का पलड़ा भारी दिखे उसका पहले समाधान करने की कोशिश करें।

हम अपने काम के समाधान का तरीका चुनते समय यह भी ध्यान रखें कि हमें अपनी समस्या का निदान कितने दिन में पूरा करना जरूरी है। यदि निश्चित समय में काम पूरा नहीं होगा तो फिर बाद में काम करने का कोई फायदा नहीं होगा।

गांवों में काम करते समय अनुभव किया गर्मियों में जब लोग पानी के लिये परेशान हो रहे थे कुछ लोगों ने बड़े काम के लालच में नहर का काम शुरू किया। पानी की टंकी और पाइप लाइन का काम शुरू किया और बारिश तक उनका कोई काम पूरा नहीं हो सका। जब गर्मियों में जरूरत थी तो परेशान होते रहे।

कई बार हमें जब तुरन्त लाभ की जरूरत हो तो लम्बे समय में पूरे होने वाले कामों को नहीं करना चाहिये। ऐसे समय ऐसा काम करना चाहिये जो उस परेशानी के समय में हमें तुरन्त थोड़ा आराम दे सकें। जिससे हमारी तुरन्त की जरूरत पूरी हो सके। लम्बे समय की जरूरतों को पूरा करने के लिये हम थोड़ी राहत मिलने के बाद काम शुरू कर सकते हैं।

महिलाओं के लिए उपयोगी

हम किसी काम को करने के तरीकों को चुने तो यह देखें कि महिलाओं के लिये वो कितना आसान है, उपयोगी है। उस काम से उन्हें क्या फायदा हो सकता है। ऐसा कौन सा तरीका है जिसको करने पर महिलायें उसमें अपनी ज्यादा हिस्सेदारी कर सकती है। कोई चीज को बनाने, चलाने, देखरेख करने, सुधारने, में उनकी हिस्सेदारी कैसे बढ़ाई जा सकती है।

गांव में योजना बनाने के अनुभवों से पता चलाता है कि पुरूषों ने जिन कामों को सबसे जरूरी बताया महिलाओं ने उन कामों को सबसे पीछे रखा। दोनों की जरूरतों और समस्याओं में अन्तर होता है। गांव में ज्यादातर महिलायें पानी भरती है तो उनके लिये पानी पहली जरूरत है जबकि पुरूष सड़क की बात पहले करते हैं। वो कहते हैं पानी तो मिल ही जायेगा दूर से ही सही क्योंकि पानी भरने में उनको मीलों दूर पैदल चलकर नहीं जाना पड़ता। वे महिलाओं के पीने के पानी को भरके लाने में होने वाली तकलीफ को कैसे समझ सकते हैं । इसीलिये महिलाओं से बात करना बहुत जरूरी है कि उनकी क्या–क्या जरूरते हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं जिन्हें वे पूरा करना हल करना चाहती है।

एक गांव में पानी की दिक्कत होने पर जब समाधान की बात की गई तो महिलाओं ने मुहल्ले के पास में हैण्डपम्प लगाने की अपेक्षा उसे थोड़ी दूर एक व्यक्ति के खेत में लगवाना चाहा। जब इस कारण को समझने की कोशिश की गई तो महिलाओं ने बताया पास में जहां और लोग चाहते थे वहां शाम–सुबह मर्दों की बैठक जमी रहती थी। इसलिये महिलाओं ने कहा हम वहां से पानी नहीं भर सकते । फिर महिलाओं को पानी भरना था इसलिये जहां से वे रात–दिन में कभी भी आसानी से भर सकती थी। उनकी पसन्द को ध्यान में रखकर खेत में थोड़ी दूर हैण्डपम्प लगाया गया।

3. गांव की जानकारियां इकट्ठा करना

गांव में योजना बनाने का काम करते समय हमे कई तरह की जानकारी इकट्ठी करनी पडती है इस जानकारी को इक्टठा करना अच्छी योजना बनाने के जरूरी है । हालाकि लोग अपने गांव के बारे में ज्यादा से ज्यादा बाते जानते है। गांव में लोगों को यह पता होता है किसका खेत कौन सा है, कौन सी भैस, गाय किसकी है , कौन सा पेड़ किसका है , गांव में लोगो के पास ना तो जानकारियो का अभाव है न अनुभवो का केवल एक बात की कोशिश करनी पड़ती वो ये कि ''सारी जानकारी को लोगों के सामने एक साथ एक बार में कैसे रखी जा सके'' ताकि लोग अपने सामने दिख रही अपने गांव की जानकारियों के आधार पर कोई निर्णय कर सकें जो उनको योजना बनाने में मदद करें।

4. गांव में संसाधनों की पहचान करना

हमें अपने काम को करते समय यह ध्यान रखना पड़ता है कि हम जो काम करने वाले है उस काम को पूरा करने के लिये उसमें लगने वाला जो सामान है, वो हमारे पास है या नहीं । अगर हमारे पास नहीं हैं तो आसानी से सस्ती कीमत पर कहां मिल पायेगा। कुछ चीजें हमारे पास होती हैं कुछ चीजें हमारे पास नहीं होती हैं। जो चीजें हमारे पास नहीं हैं उन्हे हम बाहर से खरीद कर लाते हैं जिसमें पैसा लगता है ।

लेकिन कई बार ऐसा भी होता है हम अपने घर में रखी चीजों को भूल जाते हैं और बाजार से नई चीजें खरीद कर लाते हैं जिसमें पैसा लगता है । शादियों, तीज, त्यौहार पंगत में ऐसा ही होता है। सामान अगर ध्यान से न रखा जाये तो समय पर मिलता नहीं है और जब एकदम जरूरी होता है तो हम ढूढ नहीं पाते क्योंकि उस समय उतना समय ही नहीं होता।

ऐसा ही एक गांव में हुआ वहां पर पहाड के टूटे छोटे छोटे पत्थर पड़े थे और पास में नदी की रेत भी थी लेकिन लोगों ने ध्यान नहीं दिया और दोनों चीजें ठेकेदार से खरीदी । इसमें उनका 10,000 दस हजार रू. खर्च हो गया और पैसा कम पडने से काम रूक गया । अब अगर किसी को याद आ जाता, ध्यान आ जाता कि दोनों चीजें हमारी ग्राम सभा के पास है तो उसे खरीदने का पैसा बच जाता । इसीलिये सीहोर ब्लाक में बहुत सारे गांवों में ग्राम सभाओं ने अपने गांव में क्या क्या साधन हैं जिनका वे अपने गांव के काम में इस्तेमाल कर सकते हैं उसका चित्र बना कर रखा है । इसका फायदा ये होता है कि वे भूलते नहीं हैं ।

5. बजट बनाना

योजना बनाते समय हमें किये जाने वाले काम में लगने वाले खर्चों का हिसाब भी लगाना पड़ता है कि पूरे काम में कितना पैसा खर्चा होगा। किसी काम के खर्चों का हिसाब –किताब लगाने को उस काम का बजट बनाना कहते हैं।

जो काम हम करने वाले हैं उस काम के बारे में खूब सोच–विचार करके कि किस–किस काम में पैसा खर्चा होगा, किस चीज में ज्यादा, किस चीज में कम खर्चा होगा, हमारे पास कितना पैसा है कितने पैसे की हमें मदद की जरूरत पड़ेगी, कहॉ–कहॉ से पैसा मदद के रूप में मिल सकता है, कौन–कौन से साधन हमारे पास हैं कौन–कौन से साधनों की हमें जरूरत पड़ेगी, जिन साधनों की हमें जरूरत पड़ेगी वे कितनी कीमत में आयेंगे या कोई हमें सहयोग में दे देगा, इन सब बातों पर विचार करके हम बजट बनाते हैं।

किसी भी काम में एक–एक पैसे का हिसाब नहीं लग पाता है। फिर भी खूब सोच–विचार कर खर्च का अन्दाजा लगाना पड़ता है। यह अन्दाजा बहुत सोच समझकर सारी बातों को ध्यान में रखकर लगाना जरूरी है वरना हमारा बजट सही नहीं बन पायेगा। उसका नतीजा यह होगा कि खर्चों के लिये पैसा कम पड़ जायेगा और हमारे कई काम पूरे नहीं हो पायेंगे। जो काम पूरे होने से छूट जायेंगे उनमें हमारे कुछ जरूरी काम भी हो सकते हैं।

6 जिम्मेदारियों का बंटवारा करना

किसी भी काम की जिम्मेदारियां बांट लेने से काम आसानी से पूरा हो जाता है । लोगों की सहमति से इच्छा और ज्ञान के आधार पर किये गये जिम्मेदारियों के बंटवारे से काम समय पर होता है और उसमें गड़बड़ियां नहीं होती। जितना अच्छा जिम्मेदारियों का बंटवारा होता है काम भी उतना ही अच्छा होता है । किसी काम में ज्यादा लोगों के जिम्मेदारी लेने से उसे पूरा करने की जबावदारी भी बंट जाती है । ज्यादा लोगों के कंधे पर जबावदारी आने से काम की सफलता बढ जाती है।

गांव में काम करने वाले सरकारी कर्मचारी जिनका गांव के लोगों के साथ काम पड़ता है जिनमें स्वास्थ्य कार्यकर्ता, शिक्षक, पटवारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, शिशु केन्द्र कार्यकर्ता, पंचायत सचिव, ग्राम सेवक, आदि लोग हो सकते हैं। इन सबके साथ सम्पर्क करने से इनकी योजना निर्माण में मदद मिलेगी क्योंकि ये लोग अपने अपने सरकारी विभागों से चलने वाली योजनाओं के बारे में बता सकते हैं। गांव में निकली जरूरतों को अपने विभाग तक पहुंचाने में और विभाग की तरफ से किस काम में मदद की जा सकती है किस तरह का सहयोग किया जा सकता है, यह बात बतायेंगे। जिससे हमें अपनी योजना को पूरा करने में मदद मिलेगी ।

7 चल रहे कामों की निगरानी करना

किसी भी काम को करते समय हमें उसकी देखरेख करते रहना चाहिये। देखते रहने से हमें समय पर उस काम की कुछ कमियां दिख सकती है और दिखने वाली कमियों को समय पर ठीक करने से हमारा काम अच्छा होगा। किसी काम की अच्छी देखरेख करने के लिये जरूरी है कि हमें आवश्यकता पड़ने पर सही सूचना सरलता से मिल जाये। जिन लोगों के पास जिस काम को देखने की जिम्मेदारी है वे समय पर जिम्मेदार लोगों तक अपनी काम से जुड़ी सूचनायें पहुंचाते रहें। ताकि लोगों को एक दूसरे के कामों से जुड़ी जानकारियां पता लगती रहे। और अगर उसमें कोई सुधार की गुंजाइश लगती है तो उसे मिल जुलकर सुधारा जा सके।
हमे किसी काम की देखरेख करने में ये बातें मदद कर सकती हैं।

- काम समय से हो रहा है या नहीं।
- अभी तक जितना सोचा था उतना हुआ या नहीं।
- लगने वाला सामान, ठीक है या नहीं।
- खरीदने वाले सामान की कीमत ठीक है या नही।
- जिनको अलग–अलग कामों की जिम्मेदारी दी थी, वे उसे निभा रहे हैं या नहीं।
- काम को करने वाले पूरा समय दे रहे हैं या नहीं।
- जो नियम–कानून बने थे उनका पालन हो पा रहा है या नहीं।

देख रेख करने के और क्या–क्या तरीके हो सकते हैं ? लोग खुद तय कर सकते हैं कि किन–किन चीजों की देख रेख करना है? देख–देख करने की जिम्मेदारी किसकी–किसकी है? देखरेख करने पर जो पता चलेगा उन पर निर्णय कौन करेगा? यह सब बातें लोग आपस में बैठकर तय कर सकते हैं।

8. किये गये काम का मूल्यांकन करना :

किसी भी काम का मूल्यांकन हमें उस काम की गलतियों के बारे में बताता है। पुराने काम में की गई गलतियां को सुधार कर हम आगे आने वाले कामों को अच्छा कर सकते हैं। किसी भी काम का मूल्यांकन दो तरह से कर सकते हैं। पहला जिन्होंने काम किया वे खुद जांचे–परखें। दूसरा जो लोग काम में शामिल नहीं थे उनसे अपने काम का मूल्यांकन करायें। खुद अपने काम का मूल्यांकन करने में हम कभी–कभी अपनी गलतियों को नहीं पहचान पाते, या पहचान कर भी नजर अन्दाज कर देते हैं। क्योंकि हमारे काम से हमारा जुड़ाव होता है। लेकिन अगर अपने किये गये काम का कोई बाहर वाला मूल्यांकन करता है तो बारीक और छोटी–छोटी बातों को मूल्यांकन करते समय देखेगा। हमें यह स्वतन्त्रता है कि हम अपने काम का मूल्यांकन खुद करें या बाहर के लोगों से कराये ।

इन बातों से मूल्यांकन का आधार तय करने में मदद मिलेगी –

- जैसा सोचा था उतने समय में काम हुआ या नहीं।
- पैसा ज्यादा तो नहीं लगा।
- जितनी हिस्सेदारी लोगों ने तय की थी उतनी की या नहीं।
- सभी का सहयोग कैसा रहा।
- लोगों ने कितनी जिम्मेदारी अपने आप ली।
- जिनकों जिम्मेदारी दी गई या जिन्होंने अपने आप ली उन्होंने कितनी सक्रियता से निभाई।
- लोगों ने कितनी आर्थिक मदद की, कितना संसाधन लगाया।
- काम को देखने, काम को करवाने में लोगों ने कितना सहयोग दिया।
- ग्राम सभा के चुने हुये सदस्यों का सहयोग कैसा रहा।
- किये गये काम को लोग अपना समझ रहे हैं या नहीं।
- महिलाओं का जुड़ाव कितना रहा।

मूल्यांकन करने के लिये इसके अलावा बहुत सारी बातों का चुनाव किया जा सकता है जिसके आधार पर हम अपने काम का मूल्यांकन कर सकते हैं। मूल्यांकन में हमें किन–किन चीजों को देखना है इसको लोग खुद तय कर सकते हैं। इस काम के लिये लोगों की एक समिति बनाई जा सकती है। केवल इतना ध्यान रखना चाहिये कि समिति ज्यादा बड़ी या छोटी नहीं हो। जो लोग मूल्यांकन करने वाले हैं उनका चुनाव सर्वसम्मति से करें, वे अनुभवी हो, गम्भीर हो, उन पर लोगों का भरोसा हो। समिति बनाते समय इन बातों का ध्यान रखा जा सकता है।

- समिति में काम का बंटवारा साफ हो।
- कुछ लोग तकनीकी बातों को देखें।
- कुछ लोग हिसाब–किताब को देखें।
- मूल्यांकन का समय तय कर लिया जाये कि कितने दिन में काम होगा।
- पूरा काम होने के बाद उसको लिख लिया जाये ताकि आगे काम आये।
- समिति में महिलाओं को भी रखा जाये

9 किये गये काम को लिख लेना

योजना बनाने के काम में हमे बहुत सारी बातो को जानने समझने की जरूरत पड़ती है। समझने जानने के बाद ठीक ढंग से लिखा जाना भी बहुत जरूरी है । ताकि हमारा काम आसान हो और जरूरत पढ़ने पर हम लोगों के साथ निकली जानकारी को समय पर उपयोग कर सकें । लिये गये निर्णय और काम करने के जो भी तौर–तरीके तय किये जाये उन सब बातों को ग्राम सभा की कार्यवाही रजिस्टर में दर्ज कराना चाहिये ताकि समय पर उसे देखा जा सके और सबको पता रहे।

स्वास्थ्य एवं स्वच्छता से जुड़े मुद्दों की निगरानी

निगरानी के सूचकांक

निगरानी करने के पहले यह समझना जरूरी है कि किसकी निगरानी कर रहे हैं और क्या निगरानी की जा रही है। जैसे मरीज को दवा देने से पहले उसकी बीमारी के बारे में समझना जरूरी होता है उसी तरीके से व्यवस्था में क्या बिगड़ रहा है, यह समझकर ही अच्छी निगरानी की जा सकती है अर्थात पहले

तो यह समझना होगा कि सही व्यवस्था में क्या होना जरूरी है और फिर नापना होगा कि कौन सी चीज सही प्रकार से काम नहीं कर रही है। इस मापदण्ड के तरीके को निगरानी के सूचकांक भी कह सकते हैं।

सूचकांक – यानि निगरानी किन विषय वस्तुओं पर होगी उसके मानक

- स्वास्थ्य सुविधा, आंगनवाड़ी सुविधा, शिक्षा की सुविधा और गांव में स्वच्छता। निगरानी किस विषय पर करनी है यह तय करने के बाद उस सम्बन्धित सेवा के सूचकांक बनाने आवश्यक हैं। सूचकांक बनाने के लिये यह जानना जरूरी है कि वह सेवा गांव या पंचायत में क्या उपलब्ध कराने वाली है। उदाहरण के तौर पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा उपलब्ध सेवाओं की आवश्यक जानकारी –

स्वास्थ्य के कामो की निगरानी के लिये ग्राम स्वास्थ्य रजिस्टर का उपयोग

ग्राम स्वास्थ्य रजिस्टर से प्राप्त हो सकने वाली जानकारी के कुछ उदाहरण इस प्रकार है :

- गॉव में साफ पीने के पानी की उपलब्धता के बारे में जानकारी।
- गॉव में आंगनवाड़ी केन्द्र है या नहीं , कितने बच्चों का पंजीयन हुआ है,उन्हें नियमित पोषण आहार मिलता है, या नहीं ?
- गॉव में 2 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों की संख्या, उनके नाम और उनके टीकाकरण के बारे में जानकारी।
- गॉव में वर्तमान में गर्भवती महिलाओं का नाम, उनके पंजीयन की स्थिति , उन्हें टिटनेस के दो टीके लग गए है या नहीं ?
- गॉव में कितने दम्पत्ति परिवार नियोजन की सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं, कितने परिवार नियोजन की सुविधाओं का लाभ लेना चाहते है और वे क्या तरीका अपनाना चाहते है?

ग्राम स्वास्थ्य रजिस्टर

ग्राम स्वास्थ्य रजिस्टर में दी गई जानकारी के आधार पर ग्राम सभा/ग्राम स्वास्थ्य समिति के सदस्य साफ पीने के पानी की व्यवस्था, पोषण आहार की व्यवस्था, स्वास्थ्य आदि से संबंधित अन्य विषयों पर कार्ययोजना बना सकते है।

उदाहरण के लिए , यदि गॉव में सभी बच्चों को टीके नहीं लगे है, तो ग्रामसभा/ग्राम स्वास्थ्य समिति के सदस्य स्वास्थ्य कार्यकर्ता के साथ चर्चा कर टीके लगवाने का कार्य कर सकते हे। इसी तरह यदि गॉव में गंदा पानी इकट्ठा होने की समस्या है , जिससे मच्छर पैदा होकर मलेरिया फेल सकता है तो ग्रामसभा गॉव में पानी इक्ट्ठा होने की समस्या पर चर्चा कर उसके हल के लिए जरूरी कार्यवाही कर सकती है ।

ग्राम स्वास्थ्य रजिस्टर का मासिक परीक्षण

ग्राम स्वास्थ्य रजिस्टर का परिक्षण प्रत्येक माह करना जरूरी है क्योंकि रजिस्टर में दी गई सूचना समय–समय पर बदलती रहेगी जैसे गॉव में गर्भवती महिलाओं के पंजीयन की स्थिति या टीकाकरण के योग्य बच्चों की संख्या इत्यादि। इसलिए ग्राम स्वास्थ्य समिति प्रत्येंक माह बैठक कर ग्राम स्वासयि रजिस्टर में रखी सूचना में उचित बदलाव करे। साथ ही यह जरूरी है कि समिति की बैठक में पिछले माह जो निर्णय हुए थे उस पर की गई कार्यवाही की समीक्षा करे और आगे की कार्यवाही तय करे।

ग्राम स्वास्थ्य रजिस्टर	आंगनवाड़ी	समेकित एवं बाल विकास सेवाएं
1. ए.एन.एम के दौरे का दिन, समय व किये गये कार्य । 2. गांव में कितने हैण्डपम्प में साफ पानी आ रहा है। 3. गांव के दो वर्ष से कम उम्र के बच्चों की संख्या और टीकाकरण की स्थिति। 4. गांव में वर्तमान में गर्भवती महिलाओं की संख्या और उनके पंजीयन व टीकाकरण की स्थिति । 5. गांव में जन्म, विवाह, मृत्यु व पंजीयन की स्थिति। 6. गांव में किसी प्रकार की बिमारी का प्रकोप व उससे पीडित लोगों की संख्या। 7. किसी रोग के कारण गांव में हुयी मृत्यु	1. गांव के कुल बच्चे व आंगनवाड़ी में पंजीकृत बच्चों की संख्या । 2. कुल बच्चों में कोपोषित बच्चों की संख्या । 3. अतिकोपोषित बच्चों की संख्या। 4. बच्चों व गर्भवती महिलाओं को मिलने वाले पोषण आहार की नियमितता । 5. पोषण आहार की गुणवत्ता 6. आंगनवाडी केन्द्र के खुलने की नियमितता । 7. आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का व्यवहार। 8. कुपोषित बच्चों को विशेष सहयोग । 9. बच्चो का नियमित वनज लेना। 10. पोषण आहार से सुधार। 11. 3–6 साल के बच्चों की शिक्षा नियमित एवं बेहतर।	आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अपने रजिस्टरो तथा आकड़ों के आधार पर मासिक एवं अर्द्धवाषिक रिपोर्ट तैयार करते है। यह रिपोर्ट आंगनवाड़ी की मुख्य सेविकाओं को, ये परियोजना अधिकारी को, ये केन्द्रीय मुख्यालय को भेजते है। स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में भी रिपोर्ट आंगनवाड़ी स्तर पर तैयार की जाती है, जिसमें एम.एम.आर. , कर्मचारियों की तैनाती , प्रशिक्षण, स्वाास्थ्य सामग्री का वितरण , पोषण आदि मुद्दे शामिल होते है। विभिन्न स्तरों–प्रखण्ड जिला मंडल एवं राज्य पर स्वास्थ्य कर्मचारियों की मासिक समिक्षा बैठक आयोजित की जाती है।

स्वास्थ्य की निगरानी के चार्ट

सीहोर जिलें की कुछ पंचायतों में पंचायत प्रतिनिधियों समिति सदस्यों और समुदाय के लोगों के द्वारा बनाई गई निगरानी समितियों द्वारा स्वास्थ्य से जुडे कई सारे कामों की निगरानी इन चार्ट के माध्यम से करने की कोशिश शुरू हुई है। आप लोग भी अपनी–अपनी पंचायतों में इन चार्ट के माध्यम से निगरानी करने के कोशिश शुरू कर सकते है।

1. बच्चों के टीकाकरण का निगरानी चार्ट

माह

क	मुखिया का नाम	बच्चे का नाम	जन्म का पंजीयन **हुआ या नहीं**	बच्चे की उम्र	**टीकाकरण विवरण**															
					1) माह			2) माह		3) माह		9) माह		16–24 माह		3–5 वर्ष				टिप्पणी
					बी. सी. जी	डी. टी. पी–1	पोलियों–1	डी. पी. टी–2	पोलियों–2	डी. पी. टी.–3	पोलियों–3	विटामिन ए	खासरा टीका	डी.पी.टी. टूस्टर	पोलियों टूस्टर	विटामिन ए–2	विटामिन ए–3	विटामिन ए–4	विटामिन ए–5	
1																				
2																				

2. गर्भवती माता की जॉच एवं टीकाकरण

माह

क	गर्भवती महिला का नाम	पति का नाम	कार्ड बना है या नहीं यदि हां तो दिनांक	जांच हुई है या नहीं यदि हां तो कितनी बार			आयरण की गोली मिली या नहीं यदि हां तो कितनी बार			टिटेनस के टीके लगे या नहीं यदि हां तो कितनी बार			प्रसव का माह एवं दिनांक	प्रसव का स्थान जंहा हुआ		**विजय राजे** प्रसव योजना का लाभ लिया या नहीं	क्या सहयोग मिला
				1	2	3	1	2	3	1	2	3		घर	अस्पताल		

3 स्वास्थ्य कार्यकताओं की उपस्थिति का निगरानी चार्ट

ekg

क	स्वास्थ्य कार्यकर्ता का नाम	पद	आने का तय			उपस्थिति का			अवकाश	
			दिन	दिनांक	समय	दिन	दिनांक	समय	तय छुट्टी	ली गई छुट्टी
1										
2										
3										

4. स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाऐं और लाभार्थी

माह

क्र	पंचायत में संचालित योजनाओ के नाम	गॉव में लाभार्थी परिवारों की संख्या	परिवार के मुखिया का नाम	क्या सहयोग मिला	क्या और मिलना है
1					
2					
3					

5 .डिपों होल्डर निगरानी का चार्ट

माह :

क्र	संचालक का नाम	सामग्री आने का विवरण			सामग्री का वितरण			परिवार का मुखिया	लाभार्थी महिला/ पुरूष
		दिनांक	वस्तु का नाम	नग/मात्रा	दिनांक	वस्तु का नाम	नग/मात्रा		

अध्याय–4
स्वास्थ्य सुविधा कार्यकर्ता और उनकी जिम्मेदारी

स्वास्थ्य विभाग की संरचना

क्षेत्र		सुविधा
1. हर गांव में	एक आशा और एक प्रशिक्षित दाई ,	गांव में लोगो को स्वास्थ्य से जुड़ी जरूरते उपलब्ध कराते है।
2. ग्रामीण क्षेत्र में 5000 की जनसंख्या पर (यहां एक ए.एन.एम. और एक एम.पी.डब्ल्यू कार्यरत होते हैं किन्तु मरीज भर्ती नहीं किये जाते हैं।)	एक उपस्वास्थ्य केन्द्र,	यहां मरीजो के स्वास्थ्य की जांच होती है मरीज भर्ती नहीं किये जाते है।
3. ग्रामीण क्षेत्र में 3000 की जनंसख्या पर यानि छः उप स्वास्थ्य केन्द्रो पर	एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	यहां मरीजो के स्वास्थ्य की जांच होती है ।
4. ग्रामीण क्षेत्र में हर एक लाख बीस हजार की जनसंख्या पर यानि चार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो पर (पहाड़ी तथा आदिवासी क्षेत्रो में 80,000 की जनसंख्या पर)	एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	यहां मरीज भर्ती भी किये जाते है।
5. हर जिला मुख्यालय पर	जिला चिकित्सालय	यहां चांज भी होती है और मरीज भर्ती भी किये जाते है।

कौन सी सुविधा के लिए कहा जाए

• दस्त, बुखार जैसी आम बीमारियों के लिए	• आंगनवाड़ी केन्द्र या उपकेन्द्र
• गर्भावस्था की जांच के लिए	• उपकेन्द्र
• टिटनेस के टीके के लिये	• उपकेन्द्र आंगनवाड़ी
• गर्भ के दौरान लोह तत्व की गोलियां लेने के लिये	• उपकेन्द्र आंगनवाड़ी
• प्रसूति के लिये	• प्रशिक्षित दाई, ए.एन.एम.
• नवजात बच्चे की देखभाल	• प्रशिक्षित दाई, ए.एन.एम.
• परिवार नियोजन की सलाह	• ए.एन.एम.
• टीकाकरण	• उपकेन्द्र आंगनवाड़ी
• विटामिन ''ए''	• उपकेन्द्र आंगनवाड़ी
• कुँए में दवा डालने के लिए	• पुरूष स्वास्थ्यकर्ता
• बच्चे गर्भवती औरतों एवं दूध पिलाने वाली माताओं के पोषण के लिये	• आंगनवाड़ी केन्द्र

स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता

विलेज हैल्थ गाइड	**हर गांव में** ● आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ● ए.एन.एम. ● जन स्वास्थ्य रक्षक	● स्वास्थ्य की जानकारी एवं छोटी–मोटी बीमारियों की दवाई देना ● बड़ी बिमारियों जैसे–टी.बी. हैजा आदि हो तो उसकी जानकारी इकट्ठी करना ● जनसंख्या स्थरीकरण के तरीकों का प्रचार करना।
स्वास्थ्य केन्द्र महिला स्वास्थ्यकर्ता पुरूष स्वास्थ्यकर्ता	● हर चार, पांच गांव मिलाकर या 5000 की आबादी के लिये (पहाड़ी एवं आदिवासी क्षेत्रों में 3000 की आबादी के लिये)	● जनसंख्या स्थरीकरण के तरीकों का प्रचार करना ● पुरूष एवं महिला आपरेशन करवाना। ● गर्भवती माताओं एवं नवजात शिशुओं का समय पर टीकाकरण करवाना। ● छोटी–मोटी बीमारियों की दवाई देना। ● मलेरिया के बारे में जानकारी देना एंव खून की जांच करवाने में मदद करना। ● टी.बी. के मरीजों के थूक और खून की जांच करवाना।
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में 15 कार्यकर्ता होते है। जिनमें डॉक्टर, नर्स, ए.एन.एम. शामिल है।	6 उपकेन्द्रों के लिये या हर 30000 की आबादी के लिये (पहाड़ी एवं आदिवासी क्षेत्रों में 20000 की आबादी के लिये	● म्रीजों का इलाज करना और दवा देना। ● खून, पेशाब आदि कि जांच करवाना। ● गांव स्तर के स्वास्थ्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देना। ● गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं का टीकारण। ● गर्भवती महिलाओं को आयरन की गोलियां देना तथा वनजात शिशुओं को विटामिन ''ए''' देना। ● साफ–सफाई का प्रचार–प्रसार करना। ● जन्म और मृत्यु संबंधित जानकारी एकत्रित करना।
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में 25 कार्यकर्ता होते है। ● 4 डॉक्टर – 1 महिला डॉक्टर	हर 4 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिये या 80000 से 120000 की जन संख्या तक	● सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में मरीजो का इलाज किया जाता है। ● दवाई दी जाती है। ● आरेशन की सुविधा भी उपलब्ध होती है।

• एक्सरें मशीन एवं खून, पेशाब की जांचे की सुविधा		
जिला अस्पताल • मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी सी.एम.ओ. • जिला स्वास्थ्य अधिकारी डी.एच.ओ.	**हर जिले में** (ऐसा अस्पताल ब्लो और तहसील स्तर पर हो सकता हैं)	• यहां मरीजों की गंभीर बीमारियों का भी इलाज होता है। • यहां पर सभी प्रकार के आपरेशन एंव जांच की सुविधा उपलब्ध होती है।
राज्य और केन्द्र स्तर पर	लोक स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण मंत्रालय	• यहां स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य से संबंधित जुड़ी नीतियां एवं योजनायें बनाई जाती है।

ग्राम स्तर पर :

सामुदायिक स्वास्थ्य दल :

ग्राम स्तर पर जन स्वास्थ्य रक्षक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, प्रशिक्षित दाई और ग्राम स्वास्थ्य समिति के सदस्यों का सम्मिलित स्वरूप से सामुदायिक स्वास्थ्य दल बनता है। विभिन्न स्वास्थ्य संबंधि गतिविधियों में इन सभी का आपस में तथा महिला एवं पुरूष स्वास्थ्य कार्यकर्ता के साथ आपसी समन्वय जरूरी है। इन सभी की एक दल के रूप में क्या भूमिका होनी चाहिए उसे यहाँ विस्तृत रूप से समझाया जा रहा है।

जन स्वास्थ्य रक्षक

जन स्वास्थ्य रक्षक का काम प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करवाने के साथ साथ छोटी मोटी बीमारियों का इलाज करना, गंभीर रू‍ से बीमार व्यक्तियों को निकटतम स्वास्थ्य केन्द्र तक भेजने एवं विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में सहयोग कर समुदाय एवं स्वास्थ्य विभाग के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करना है, इसी प्रकार स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य के कारकों जैसे पोषण आहार स्वच्छता टीकाकरण आदि क्षेत्रों में जन स्वास्थ्य रक्षक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, दाई एवं ग्राम स्वास्थ्य समिति के सदस्यों के साथ एक दल के रूप में कार्य करना है।
जन स्वास्थ्य रक्षक का चुनाव ग्राम सभा द्वारा किया जाता है। चयन करते समय निम्न बातों पर ध्यान देना आवश्यक है :

- व्यक्ति 10 वी पास हो (जहॉ 10 वी पास व्यक्ति नहीं हो वहॉ आठवी पास व्रूक्ति का चयन भी हो सकता है)
- व्यक्ति उसी गॉव का निवासी हो।

चयनित जन स्वास्थ्य रक्षक को :

1. 6 माह का प्रशिक्षण दिया जाता है ।
2. प्रशिक्षण के दौरान 500 रूपये प्रतिमाह शिष्यवृति दी जाती है।

3. प्रशिक्षण के उपरान्त स्वास्थ्य विभाग द्वारा परीक्षा आयोजित की जाती है , और उत्तीर्ण उम्मीद्वारों को जिला पंचायत द्वारा प्रमाण प्त्र दिया जाता है जिसके द्वारा उन्हें उसी गॉव में कार्य करने की अनुमति दी जाती है।

आंगवाड़ी कार्यकर्ता

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ग्राम स्वास्थ्य दल की एक महत्वपूर्ण सदस्य है ।जहॉ गॉवों में प्रशिक्षित जन स्वास्थ्य रक्षक नहीं है, उन गॉवों में ग्राम स्वास्थ्य समिति के सचिव की जिम्मेदारी भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को सौंपी गई है। ग्राम स्वास्थ्य समिति को स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य के कारकों जैसे पोषण आहार, स्वच्छता, टीकाकरण, साफ पानी की उपलब्धता स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्रों में प्रभावी रूप से काम करने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि महिलाओं एवं बच्चों से उसका प्रत्यक्ष और रोज का संबंध है।

दाई

गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व, प्रसव के समय एवं प्रसव के बाद की देखभाल के साथ नवजात शिशु की प्रारंभिक देखभाल के लिए आज भी गॉव के प्रशिक्षित दाई की जरूरत महसूस की जाती है। स्वभाविक रूप से ग्राम स्वास्थ्य दल में दाई एक मजबूत आधार है। जहॉ एक ओर दाई कमा काम '' 5 स्वच्छ'' बातों को अपना कर सुरक्षित प्रसव कराना है, वहीं दूसरी ओर उसका काम महिला स्वास्थ्य काय्रकर्ता (ए.एन.एम.) के माध्यम से प्रसव पूर्व जॉच करवाने, संस्थागत प्रसव पर जोर देने एवं गंभीर प्रसव को समय से रेफर करने में गर्भवती महिला एवं उसके परिवार को समझाइश देना भी है ।

ग्राम स्वास्थ्य समिति

ग्राम स्वास्थ्य समिति को ग्राम स्वास्थ्य दल के संरक्षक के रू‍ में समझाा जा सकता है। इस दल के अन्य सदस्यों जैसे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, जन स्वास्थ्य रक्षक एवं दाई के साथ ग्राम स्वास्थ्य समिति को निम्न लिखित कार्य करने है ।

1. समुदाय की आवश्यकता निर्धारण (कम्पयुनिटी नीड्स असेसमेन्ट) का मासिक परीक्षण करना।
2. दाई तथा जन स्वास्थ्य रक्षक के उम्मीद्वारों का प्रशिक्षण हेतु चयन करना ।
3. टीकाकरण शिविरों से संबंधित प्रचायर –प्रसार एवं समन्वय का कार्य करना।
4. श्राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों की निगरानी, समन्वय एव उनसे संबंधित प्रचार–प्रसार का कार्य करना।
5. प्रजजन एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम के अर्न्तगत चार आवश्यक पंजीयन सुनिश्चित करना।
6. मातृ तथा शिशु देखभाल, टीकारण तथा परिवार नियोजन की योजनाओं का प्रचायर करना, जागरूकता बढ़ाना।
7. परिवार कल्याण तथा परिवार नियोजन की सेवाओं की निगरानी तथा मूलयांकन में जिला पंचायतों का सहयोग/समन्वय।
8. स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण एंव शिशु रोग निदान से संबंधित शिविरों के आयोजन में सहयोग करना।

उप स्वास्थ्य केन्द्र के कार्यकर्ता

महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता

प्रत्येक उप स्वास्थ्य केन्द्र पर एक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता होती है , जिसके कार्यक्षेत्र में उप स्वास्थ्य केन्द्र के अंतर्गत आने वाले सभी गॉव होते है। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का प्रमुख काम इस प्रकार है ।

1	मॉ एवं शिशु स्वाास्थ्यः इनमें गर्भवती मॉ और बच्चे से जुड़ी गतिविधियां शामिल है।	2	छूआ छूत वाली बीमारी (संचारी रोग)
3	परिवार नियोजन प्रचार और लोगों को समझाना और तैयार करना।	4	महत्वपूर्ण गतिविधियों : जन्म और मृत्यु का रिकार्ड तैयार करना ।
5	गर्भपात से संबंधित प्रकरणों की पहचान और ऐसे प्रकरणों को मान्यता प्राप्त संस्थानों पर संदर्भित (रिफर) करना।	6	रिकार्ड या दस्तावेज रखना । ○ 15–44 साल की महिलाओं का रिकार्ड ○ तीन महीने की गर्भावस्था वाली माताओं का रिकार्ड ○ 0–1 वर्ष तक के बच्चों का रजिस्टर
7	पोषणः गर्भवती मॉ और बच्चों के पोषण पर ध्यान देना।	8	शुरूआती चिकित्सकीय सहायता
9	टीकाकरणः छूआछूत की सभी बीमारियों पर नजर/डायरिया वृद्धि पर डॉक्टर को तत्काल सूचित करना।	10	टीम गतिविधियॉ : स्टाफ के साथ मिलकर काम करना और पुरूष कार्यकर्ता के साथ समन्वय से काम करना।
11	दाई प्रशिक्षण	12	राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन के रिकार्ड और जिस्टर रखना ।

स्वास्थ्य कार्यकर्ता पुरूष

प्रात्येक उप स्वास्थ्य केन्द्र पर एक पुरूष स्वास्थ्य कार्यकर्ता होता है , जिसके कार्यक्षेत्र में उप स्वास्थ्य केन्द्र के अंतर्गत आने वाले सभी गॉव होते है। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता और पुरूष स्वास्थ्य कार्य कर्ता के काम एक जैसे ही है लेकिन पुरूष स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पास नीचे लिखे तीन काम अलग है :

- टीम वर्क
- मलेरिया
- पर्यावरण स्वच्छता

महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता–आशा

पिछले कुछ महीनों से कई बार स्वास्थ्य सम्बन्धी चर्चाओं में कई बार हम सबने आशा का नाम सुना है कौन है आशा और उसका क्या काम है ?

गांव में बेहतर स्वास्थ्य की चेतना जगाने वाली गांव की अपनी महिला है आशा । इसे ग्राम सभा द्वारा पंचायत की आम सभा में ही चुना जायेगा–इसलिये ही तो है आशा हमारी अपनी। खास बात यह है कि इसे चुनेंगे तो हम लेकिन आशा को सरकार की भी मान्यता प्राप्त होगी। गांव की आशा पंचायत के साथ मिलकर पंचायत के लोगों और स्वास्थ्य विभाग के कामों के बीच में एक कड़ी काम करेगी। हमारी सरकार हमारे पंचायत की आशा को तरह–तरह के प्रशिक्षण देगी जिससे वह हमारे पंचायत में स्वास्थ्य की बेहतर स्थिति लाने में हमारी मदद कर सके।

ए.एन.एम तो हमेशा हमारे बीच नहीं रहती लेकिन आशा तो हर गांव में होगी और हमेशा हम सबके बीच रहेगी। आते–जाते, पानी भरते, मन्दिर में या पड़ोस में विवाह उत्सव के बीच हम कभी भी आशा से अपनी स्वास्थ्य सम्बन्धी परेशानियों को पूछ सकते हैं।

आशा हमें किन विषयों पर मदद कर सकती है –

- महिलाओं को जननी सुरक्षा योजना का लाभ दिलाने के लिये
- महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दे सकती है।
- बच्चों का टीकाकरण करवाने में मदद कर सकती है।
- बच्चों की आम बीमारी जैसे दस्त, उल्टी के बचाव और उपचार बताने में मदद कर सकती है।
- छोटे–मोटे मौसमी बुखार में क्या सावधानी बरतें यह भी बता सकती है।
- आशा के पास एक दवाओं का किट दिया जायेगा जिसमें आम लोगों के लिये सामान्य घरेलू दवाईयां व अंग्रेजी दवाईयां भी होगी। यह दवाईयां हमारी आशा को सरकार से मिलेगी और हम जरूरत पड़ने पर इसे आशा से आसानी से ले सकते हैं।
- आशा को प्रोत्साहन देने के लिये कुछ विशेष योजनाओं (जैसे जननी सुरक्षा योजना, शौचालय निर्माण इत्यादि) में मार्गदर्शी होने पर सरकार द्वारा कुछ प्रोत्साहन राशि भी दी जायेगी।

हमारी आशा हमारे लिये बहुत उपयोगी है इसलिये यह जरूरी है कि हम आशा का चयन भलीभांति करें और उसे हमेशा सहयोग करें।

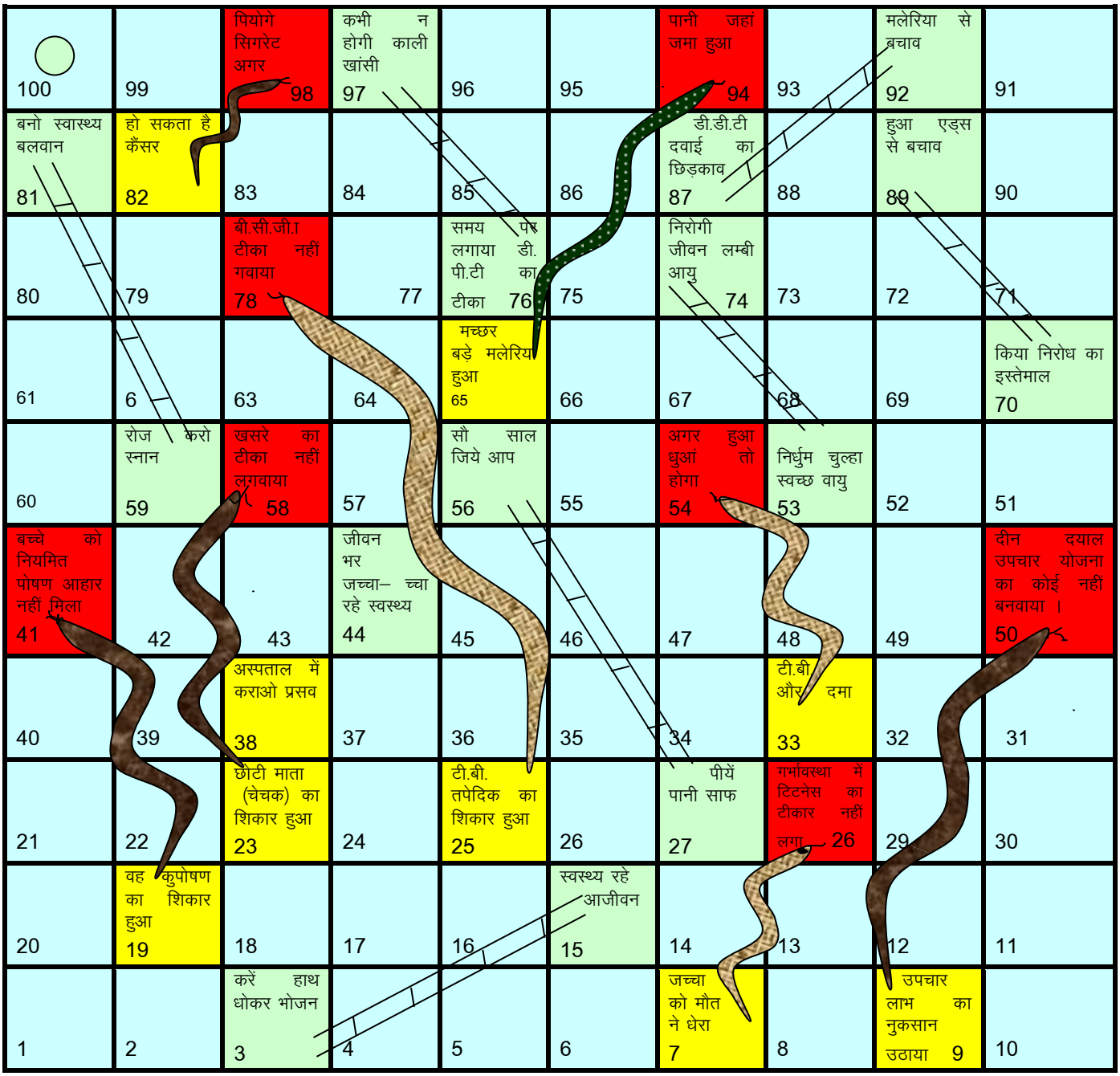
100
99
पियोगे सिगरेट अगर
98
कभी न होगी काली खांसी
97
96
95
पानी जहां जमा हुआ
94
93
मलेरिया से बचाव
92
91
बनो स्वास्थ्य बलवान
81
हो सकता है कैंसर
82
83
84
85
86
डी.डी.टी दवाई का छिड़काव
87
88
हुआ एड्स से बचाव
89
90
80
79
बी.सी.जी.ा टीका नहीं गवाया
78
77
समय पेर लगाया डी. पी.टी का टीका
76
75
निरोगी जीवन लम्बी आयु
74
73
72
71
61
6
63
64
मच्छर बड़े मलेरिया हुआ
65
66
67
68
69
किया निरोध का इस्तेमाल
70
60
रोज करो स्नान
59
खसरे का टीका नहीं लगवाया
58
57
सौ साल जिये आप
56
55
अगर हुआ धुआं तो होगा
54
निर्धुम चुल्हा स्वच्छ वायु
53
52
51
बच्चे को नियमित पोषण आहार नहीं मिला
41
42
43
जीवन भर जच्चा– च्चा रहे स्वस्थ्य
44
45
46
47
48
49
दीन दयाल उपचार योजना का कोई नहीं बनवाया ।
50
40
39
अस्पताल में कराओ प्रसव
38
37
36
35
34
टी.बी. और दमा
33
32
31
21
22
छौटी माता (चेचक) का शिकार हुआ
23
24
टी.बी. तपेदिक का शिकार हुआ
25
26
पीयें पानी साफ
27
गर्भावस्था में टिटनेस का टीकार नहीं लगा
26
29
30
20
वह कुपोषण का शिकार हुआ
19
18
17
16
स्वस्थ्य रहे आजीवन
15
14
13
12
11
1
2
करें हाथ धोकर भोजन
3
4
5
6
जच्चा को मौत ने धेरा
7
8
उपचार लाभ का नुकसान उठाया
9
10